बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषयसूची

पृष्ठ सं.

संपादकीय 2

अनुचिंतन 4

साक्षात्कार 6

लेख

- बढ़ते ऋण बाजार का जोखिम घटाने में सहायक है ऋण सूचना ब्यूरो — डॉ. सुरेश कुमार — 10
- संयुक्त हिंदू परिवार व बैंकिंग कारोबार — ए. के. बंसल — 14
- ग्रामीण विकास में सूक्ष्म ऋण संस्थाओं की बढ़ती भागीदारी — डॉ. राजीव कुमार सिन्हा — 17
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश — विनय बंसल — 21
- बैंक बीमा : आय के नये स्रोतों की तलाश — एस. के. टंडन — 26

बैंकिंग परिदृश्य 31

कंप्यूटर परिभाषा कोश 33

पुरस्कृत निबंध

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-समस्या या समाधान — श्रीलता एस. एस. — 37

महत्वपूर्ण परिपत्र 41

पुस्तक समीक्षा 49

ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता 51

लेखकों से/ पाठकों से 52

संपादकीय

प्रिय पाठको,

आप जानते ही हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने 29 अप्रैल 2003 को वर्ष 2003-04 के लिये मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा की थी । इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए, मैंने सोचा क्यों न इस सम्पादकीय के माध्यम से मौद्रिक और ऋण नीति की महत्ता को समझने का प्रयास किया जाए ।

सामान्यतः मौद्रिक नीति दो उद्देश्यों को लेकर चलती है - वहनीय स्तर तक मुद्रास्फीति के स्तर को नियंत्रित करना और वास्तविक एवं उत्पादक प्रयोजनों के लिये पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना । इस ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य का मकसद राष्ट्रीय आय की वृद्धि को सहज करना हेाता है क्योंकि अपर्याप्त ऋण से, सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में चल निधि की समस्या आ सकती है और फिर सकल स्तर पर उत्पादन की हानि हो सकती है । आज भी यह उद्देश्य खरा है ।

इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण और अर्थव्यवस्था का संचलन बाजारोन्मुख होने के परिप्रेक्ष्य में, मौद्रिक नीति का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करना भी है । इस उद्देश्य की प्राप्ति वित्तीय प्रणाली के विभिन्न घटकों को व्यापक एवं गहरा करने और उनमें एकात्मकता बनाये रखने से की जाती है । यह देखने के लिये कि वित्तीय प्रणाली अर्थक्षम और लाभप्रद बनी रहे यह जरुरी है कि बाज़ार के विभिन्न घटक बिना किसी अधिक अस्थिरता के सम्यक रुप में विकसित हों ।

परम्परागत रूप से देखा जाए तो मौद्रिक नीति के जो साधन हैं, वे इस प्रकार हैं - बैंक दर, नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर), सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर), खुले बाजार के कार्यकलाप, पुनर्वित्त सुविधाएं, चयनित ऋण नियंत्रण, नैतिक प्रबोधन आदि । इन साधनों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों अर्थात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों के रूप में विभाजित किया जा सकता है । प्रत्यक्ष साधन वे हैं जो जमा राशि जुटाने, ऋण नियोजन, निवेश, चलनिधि प्रबंध, आदि जैसे बैंकिंग कार्यकलापों पर केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी निर्देश जैसे होते हैं । इस आधार पर, खुले बाज़ार के कार्यकलापों को छोड़कर उपर्युक्त सभी साधन प्रत्यक्ष साधनों में आते हैं । खुले बाज़ार के कार्यकलाप रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के संविभागों से प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित होते हैं । दूसरे शब्दों में कहें तो नकदी प्रारक्षित अनुपात को छोड़कर सभी प्रत्यक्ष साधन वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रों पर सीधा प्रभाव डालते हैं जबकि अप्रत्यक्ष साधन केन्द्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक दोनों के तुलनपत्रों पर प्रभाव डालते हैं । साथ ही, अप्रत्यक्ष साधन बाज़ार आधारित होते हैं और वे बाज़ार के "खिलाड़ियों" को प्रोत्साहन देते हुए कार्य करते हैं । प्रत्यक्ष साधन बैंकों के बीच कोई भेदभाव (अंतर) नहीं करते जबकि अप्रत्यक्ष साधन, प्रत्येक बैंक को प्रभावित करने के बजाय, बैंकों की आवश्यकताओं के अनुसार चयनित आधार पर चलनिधि कम करने/बढ़ाने के लिये उपयोगी होते हैं ।

वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को लागू किये जाने के बाद, मौद्रिक नीति के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष साधनों में परिचालनगत बदलाव आए हैं । इस परिवर्तन में वित्तीय प्रणाली में चलनिधि के नियंत्रण के लिये "रिपोज़" (Repos) के साथ-साथ अधिक से अधिक खुले बाज़ार के कार्यकलाप शामिल हैं । आपमें से बहुत से लोग जानते होंगे कि हाजिर वायदा, रिपोज़ (पुनर्खरीद) और पुनःक्रय आदि ऐसे लेनदेन हैं जिनमें दो पार्टियां एक ही प्रतिभूति को बेचने एवं खरीदने के लिये सहमत होती हैं और यह भावी तारीख के लिये सहमत मूल्य पर द्विपक्षीय लेनदेन है । इसमें विक्रेता को अल्पावधि के लिये निधियां उपलब्ध होती हैं । यह

क्रेता को एसएलआर उद्देश्य के लिये एसएलआर प्रतिभूतियां भी देता है। जब रिज़र्व बैंक वाणिज्य बैंकों के साथ "रिपोज़" लेनदेन करता है तो बैंकिंग प्रणाली से धन रिज़र्व बैंक के पास आ जाता है। इससे रिज़र्व बैंक को अंतर-बैंक बाज़ार में आधार दर बनाये रखने में सहायता मिलती है।

इसके विपरीत, प्रति-रिपो (रिवर्स रिपो) में पूर्व में तय की गई दर पर एक अवधि के बाद वापस बेचने के उद्देश्य से, प्रतिभूतियां खरीदी जाती हैं। जब रिज़र्व बैंक वाणिज्य बैंकों के साथ प्रति रिपो लेनदेन करता है तो बैंकिंग प्रणाली में धन का प्रवाह बढ़ता है, प्रति रिपो कार्यकलाप प्रणाली में एक उच्चतम दर निर्धारित करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा दैनिक आधार पर रिपो और प्रति रिपो के कार्यकलापों से, उनके द्वारा निर्धारित आधार एवं उच्चतम दर के दायरे में, अंतर बैंक मांग मुद्रा दर के लेनदेनों में सहजता आती है। इस दायरे (फ्रेमवर्क) को ही चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कहा जाता है, जिसका मूल उद्देश्य मुद्रा बाजार में चलनिधि का उपयुक्त स्तर बनाये रखना है और इसमें रिपो और प्रति रिपो के माध्यम से चलनिधि प्रवाहित करना तथा समेटना और द्विपक्षीय उधार सुविधा (एसएलएफ) तथा रिज़र्व बैंक को उपलब्ध अन्य स्थायी सुविधाएं एवं प्राथमिक व्यापारियों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त चलनिधि समर्थन सुविधा शामिल हैं। बाजार विकास के स्तर को देखते हुए इस सुविधा को चरणबद्ध रुप में लागू किया जा रहा है।

पूर्व में, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये उसके उपर्युक्त साधनों में नीति की घोषणा के समय परिवर्तनों की घोषणा की जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ क्रमिक एकीकरण के होने से बाज़ार आधारित परिवेश में यह जरुरी हो गया है कि ऐसे उपायों को मौद्रिक नीति की घोषणा में जोड़ने के बजाय जब कभी आवश्यक हो तो उचित रुप में घोषित किया जाए। ऐसे अल्पावधि उपायों को मौद्रिक नीति घोषणा में शामिल करना प्रासंगिक हो गया है। अतः मौद्रिक नीति में घोषित उपाय मूलतः संरचनात्मक स्वरुप के हैं और उनका दूरगामी प्रभाव होता है जो विनियंत्रित ढांचे को बाज़ार आधारित ढांचे की तरफ सहज रुप में परिवर्तित कर देगा तथा जो बैंकिंग प्रणाली को बाज़ार की स्थितियों और विश्व बाज़ार के प्रभावों का सक्षमता से मुकाबला करने के लिये मजबूत बनाने में सहायता करेगा।

वर्ष 2003-04 के प्रारंभ में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी सकारात्मक पक्ष उभरकर सामने आये - लगातार दूसरे वर्ष भी भुगतान संतुलन के चालू खाते में अधिशेष जो अपने आप में अनूठा है, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी, ब्याज दरों में कमी, बाहरी अस्थिरताएं होते हुए भी विदेशी मुद्रा बाज़ार में स्थिरता, कतिपय आयातित वस्तुओं जैसे कि तेल आदि के मूल्यों में हुई वृद्धि के "बावजूद" सौम्य मुद्रास्फीतिकारी स्थिति। फिर भी, सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2001-02 की 5.6 प्रतिशत की उच्च वृद्धि की तुलना में वर्ष 2002-03 में 4.4 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रहने का अनुमान है जिसका मुख्य कारण है व्यापक रुप में फैला हुआ सूखा।

इन परिस्थितियों में नीति का मुख्य उद्देश्य अल्पावधि और मध्यावधि में कम ब्याज दर की स्थिति बनाये रखना है ताकि वर्ष 2003-04 में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि को सहज एवं संभव बनाया जा सके। नीति में घोषित अल्पावधि उपाय के रूप में बैंक दर और नकदी प्रारक्षित अनुपात में कमी करना जो वृद्धि के लिये सहज वातावरण उपलब्ध करायेगा।

वर्ष 2003-04 के लिये घोषित मौद्रिक एवं ऋण नीति के बारे में अखबारों एवं अन्य संचार माध्यमों में काफी कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। बहुतों का यह मानना है कि यह मुद्रास्फीतिकारी दबावों को देखते हुए कम ब्याज दर आधार पर वृद्धिकारक नीति है। कुछ लोगों ने रिज़र्व बैंक की इस बात के लिये सराहना की है कि वह वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को लगातार बनाये रखे हुए है और साथ ही वह बैंकों की अपेक्षाओं के अनुरुप अर्थव्यवस्था को संतुलित किये हुए है। यह नीतिगत घोषणा वित्तीय क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं पेशेवरों के लिये पठनीय दस्तावेज है। नीति का समग्र भाव यह है कि वह हमें वृद्धि के मार्ग पर अग्रसर रखेगी।

शेष फिर,

आपका

सी. आर. गोपालसुंदरम

अनुचिंतन

जोखिम प्रबंधन विशेषांक में जोखिम प्रबंधन पर ज्ञानवर्धक एवं संग्रहणीय लेखों को प्रकाशित करने के लिए संपादक मंडल को हमारी ओर से हार्दिक बधाई । आशा है कि भविष्य में इसी प्रकार के संग्रहणीय अंक प्राप्त होते रहेंगे ।

जी. के. भुट्टन
उप महाप्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
आंचलिक कार्यालय, आगरा

मैं ''बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन'' का पिछले सात वर्ष से ग्राहक हूं । मैं चाहूंगा कि यह पत्रिका नियमित चलती रहे और ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए लोगों का ज्ञानोपार्जन करती रहे । भले ही इसके लिए चंदा लिया जाए । इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के बदलते परिवेश को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए एवं बैंक में पदोन्नति से संबंधित जानकारी भी दी जाए ।

संतोष कुमार मीणा
अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक
खोह, भरतपुर

''बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन'' को वेबसाईट के साथ-साथ मुद्रित प्रतियों में भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । जिन विषयों एवं उद्देश्यों को लेकर इस पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है उसमें यह 100 प्रतिशत सफल रही है । पत्रिका का कलेवर सुंदर है । यदि ग्रामीण विकास से संबंधित विषय का प्रचुर समावेश किया जाता है तो इसकी उपयोगिता में चार चांद लग जाएंगे ।

अजय वर्मा
वरीय प्रबंधक (योजना एवं विकास)
मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
कचहरी रोड, लहेरियासराय
मिथिलाग्राम

(पत्रिका में समय-समय पर ग्रामीण बैंकिंग एवं विकास आदि पर लेख प्रकाशित होते रहते हैं ।-- **कार्यकारी संपादक**)

''बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन'' के अक्तूबर-दिसंबर 2002 अंक में संकलित विभिन्न लेख समीचीन एवं ज्ञानवर्धक हैं । इसके लिए हम सभी लेखकों को हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं तथा संपादक मंडल के सभी सदस्यों की गहरी सूझ-बूझ एवं लगन की सराहना करते हैं जिनके अथक प्रयासों से यह उत्कृष्ट प्रकाशन सुलभ हो सका है । हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी ''बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन'' पत्रिका के माध्यम से हमें बैंकिंग संबंधी नवीनतम विषयों पर सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे ।

एम. बी. खुर्जेकर
महाप्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
फोर्ट, मुंबई - 400 023

''बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन'' पत्रिका बैंकिंग जगत की जटिल एवं दुरुह तथ्यों को सहज हिंदी भाषा के माध्यम से पाठकों तक पहुंचानेवाली एक अनूठी पत्रिका है । आपने जनवरी-मार्च 2003 अंक से ''साक्षात्कार'' नामक नए स्तंभ की शुरुआत करके स्तुत्य कार्य किया है । इस अंक में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष श्री दलबीर सिंहजी के साथ किए गए साक्षात्कार को पढ़कर ऐसा लगा मानो आज के सागर रुपी बैंकिंग ज्ञान को गागर में भरकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया हो । अनुरोध है कि इस स्तंभ को पत्रिका का स्थायी स्तंभ बनाने का कष्ट करें । पुस्तकों की समीक्षा के अन्तर्गत डॉ. सुरेश कांत जी की पुस्तक ''कुशल प्रबंधन के सूत्र'' की समीक्षा इतने बढ़िया ढंग से की गई है कि पुस्तक को तत्काल खरीदकर पढ़ने की उत्कंठा जागृत हो गई है ।

डॉ. श्याम किशोर पाण्डेय
वरिष्ठ प्रबंधक (रा. भा.)
सिंडिकेट बैंक
मणिपाल - 576 119

''बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन'' पत्रिका उपयोगी, ज्ञानवर्धक और लोकप्रिय है । ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के ज्वलंत प्रश्नों का समाधान ''बैंकिंग चिंतन'' को अनुचिंतन करने का है । पत्रिका में छपी सभी रचनाएं/लेख/सामग्री बहुत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक हैं ।

प्रत्येक लेख के अंत में दी गई ''प्रयुक्त शब्दावली'' ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी है । पत्रिका का कलेवर भी अत्यंत शोभनीय है ।

विनोद सी. दीक्षित
बैंक ऑफ इंडिया
अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय
भद्र, अहमदाबाद

''बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'' के प्रत्येक अंक में सीएआईआईबी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर कोई न कोई लेख अवश्य प्रकाशित किया जाए । आपसे अनुरोध है कि बैंकिंग परिवेश में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी भी पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित की जाए ताकि अधिकारी संवर्ग की लिखित परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिल सके । ''जोखिम प्रबंधन'' अत्यंत ज्ञानवर्धक लगा ।

प्रबल कुमार गुप्ता
सुकलिया ग्राम
इंदौर - 452010 (म.प्र.)

(हमारा यह मानना है कि पत्रिका में प्रकाशित लेख किसी न किसी रुप में सीएआईआईबी के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए होते हैं । -- **कार्यकारी संपादक**)

यह पत्रिका बैंकिंग के विराट एवं विविध विषयों को सुंदरता से कवर कर रही है । भारतीय बैंकिंग उद्योग से संबंधित जानकारी-पूर्ण आलेखों विशेषकर बैंकों में शाखा स्तर पर लाभप्रदता, प्रगतिशील बैंकिंग के अनिवार्य घटक और स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण बैंकिंग में एक नयी क्रांति आदि विषयों पर प्रकाशित आलेख नयी दिशा और दृष्टि प्रदान करते हैं ।

एम. बी. सामंत
महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा
अंचल कार्यालय
चेन्नै - 600 018

मुझे अपने प्रधान कार्यालय के दौरे के दौरान ''बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन''का जनवरी-मार्च 2003 अंक प्राप्त हुआ जिसकी विषयसामग्री एक बैंकर हेतु ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ संग्रहणीय भी है । पत्रिका में लाभप्रदता के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर भी विस्तृत विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित किया गया है । ''तेज आर्थिक विकास से सामाजिक चुनौतियों का सामना संभव'' शीर्षक लेख में बैंकों की भूमिका का बेबाक उल्लेख पत्रिका की उपयोगिता को बढ़ाने में सर्वथा समर्थ हुआ है ।

राजेन्द्र सिंह वर्मा
सहायक प्रादेशिक प्रबंधक
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
मथुरा (उ.प्र.)

पत्रिका में प्रकाशित लेख - विदेशी मुद्रा नियंत्रण व विनियंत्रण और गैर निष्पादक ऋण - वर्तमान परिपेक्ष सम-सामयिक एवं ज्ञानवर्धक हैं । बैंकिंग परिदृश्य बहुत सूचनात्मक है । बैंकों में शाखा स्तर पर लाभप्रदता और स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समस्या या समाधान आदि सूचनात्मक थे ।

प्र. ग. पाण्डे
सहायक महाप्रबन्धक
इंडियन बैंक
मंडल कार्यालय
चेन्नै

त्रैमासिक पत्रिका ''बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'' जनवरी-मार्च 2003 प्राप्त हुई, जो कि बैंकिंग विषय पर हिन्दी भाषा में अपने आप में एक परिपूर्ण पत्रिका है, जिसके लेख पढ़कर ज्ञानवर्धन होता है और बैंक-कर्मी और अधिक उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा पाते हैं । मैं समझता हूँ कि यह समस्त पाठकों के लिए उत्प्रेरण का कार्य करने में काफी हद तक सफल रही है ।

प्रकाश गोलानी
यादव कालोनी
जबलपुर
मध्यप्रदेश - 482 002

साक्षात्कार

ग्रामीण बैंकिंग की सफलता 'नवोन्मेष' में

इस स्तम्भ ने पाठकों की अपेक्षाओं में बढ़ोतरी की है। वे आज बैंकिंग के हर पहलू से जुड़ना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपना रुख किया ग्रामीण बैंकिंग की तरफ और इस बार आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नाबार्ड के अध्यक्ष **श्री योगेश चन्द नंदा** से। श्री नंदा के पास ग्रामीण और केन्द्रीय बैंकर के रुप में 38 साल का व्यापक अनुभव है। प्रारंभ में रिज़र्व बैंक में रहते हुए केन्द्रीय बैंक को समझकर वर्ष 1983 से नाबार्ड से जुड़े और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर होते हुए वर्ष 2000 से उसके अध्यक्ष हैं। बैंकिंग और विशेषकर ग्रामीण बैंकिंग से जुड़ी शायद ही कोई ऐसी संस्था हो जिससे श्री नंदा किसी न किसी रुप में सक्रियता से न जुड़े हों। ग्रामीण बैंकिंग में "नवोन्मेष" की बात करनेवाले श्री नंदा व्यक्ति के रुप में सरल एवं सहज हैं।

दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स से स्नातकोत्तर पदवीधारी श्री नंदा सीएआईआईबी के एसोसिएट हैं। ग्रामीण बैंकिंग से जुड़ी देशी विदेशी कईं योजनाओं / परियोजनाओं में इनका योगदान महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ नियोजक भी रहा है। वे अपना काम मिशनरी भावना एवं तत्परता से करने में विश्वास करते हैं और सदैव अपनी आंखों में ग्रामीण बैंकिंग के विकास का सपना संजोये रहते हैं।

नाबार्ड एक्ट के आमुख में कहा गया है कि इसकी स्थापना कृषि के विकास और ग्रामीण क्षेत्र के विकास, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आदि के विकास के लिये हुई है। आपकी बैंक का लोगो भी कहता है कि ग्रामीण समृद्धि के लिये समर्पित - आंकड़ों की बात छोड़ दें - नाबार्ड कितना सफल रहा है अपने उद्देश्यों में ?

⁎ देखिए, नाबार्ड के उद्देश्य नाबार्ड अधिनियम से ही उभरकर आये हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के लिये ऋण प्रवाह बनाये रखना, ग्रामीण ऋण दात्री प्रणाली को मजबूत बनाना, ग्रामीण ऋण में नवोन्मेषों को प्रोत्साहन देना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना तथा ग्रामीण समृद्धि में योगदान देने में पहल करना नाबार्ड के उद्देश्य हैं। ऋण देने और संवर्धनकारी गतिविधियों के संयुक्त प्रयासों से बैंक ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दे सका है। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक नाबार्ड बैंकों को पुनर्वित्त एवं राज्य सरकारों को ऋण के रुप में 1,67,324 करोड़ रुपये की राशि वितरित कर चुका है। नाबार्ड जो बैंकों को पुनर्वित्त देता है वह अल्पावधि के माध्यम से फसल के लिये होता है जबकि कृषि एवं कृषेतर क्षेत्र में निवेश ऋण के माध्यम से पूंजी निर्माण मे बढ़ोतरी करता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिये राज्य सरकारों को जो वित्त उपलब्ध कराया जाता है, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने तथा ग्रामीण उत्पादों को बाज़ार से जोड़ने में सहायक होता है। नाबार्ड की संवर्धनकारी गतिविधियों में कृषेतर क्षेत्र का विकास, जलविभाजक (वाटर शेड) कार्यकलाप और सूक्ष्म वित्त शामिल हैं। अपने उद्देश्यों को पाने की दिशा में सहभागीय जलविभाजक विकास को मुख्य धारा से जोड़ना और लगभग 12 मिलियन परिवारों को शामिल करते हुए विश्व में तेजी से फैलते और व्यापक होते सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम को चलाना आदि दो उल्लेखनीय उदाहरण हैं।

आपने सूक्ष्मवित्त (माइक्रो फाइनेन्स) की योजना को मिशनरी भावना से आगे बढ़ाया - फंड भी बनाया - इस बारे में बतायेंगे ?

⁎ आपको बताऊं, स्वयं सहायता समूह और बैंक सम्बद्धता कार्यक्रम प्रयोग के रुप में वर्ष 1992 में 500 समूहों को बैंकों के साथ जोड़ने के एक उचित लक्ष्य के साथ शुरु किया गया था। हम यह सोचते थे कि इससे बैंकिंग प्रणाली उन लोगों तक

पहुंच जायेगी जो औपचारिक वित्तीय प्रणाली से अब तक वंचित रहे हैं । आज स्थिति यह है कि स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी एजेन्सियों और बैंकों के असीमित सहयोग और व्यापकता के दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम विश्व में सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम बन गया है । आप जानते हैं, मार्च 2003 के अंत तक 7.14 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह बैंकिंग से जुड़ गये हैं । यह कार्यक्रम तीन अलग धाराओं अर्थात, सामाजिक संगठन के रुप में गैर सरकारी संगठन, वित्तपोषण के लिये बैंक और वित्तीय संस्थानों के उचित इस्तेमाल के लिये व्यक्तियों का त्रिवेणी संगम है । इस कार्यक्रम की सफलता को कई बिन्दुओं पर परखा जा सकता है । कार्यक्रम की सदस्यता में अधिकांशतः महिला नेतृत्ववाली महिलायें ही हैं जो सशक्तीकरण की तरफ बढ़ रही हैं । इसमें वसूली की दर बहुत ही उच्च स्तर की रही है और अनर्जक आस्तियां नगण्य से शून्य तक रही हैं । इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान रहा है - लोगों की मितव्ययिता की आदत, बैंक ऋण लेने के लिये बचत को बढ़ाना और संपार्श्विक प्रतिस्थापन जैसे उल्लेखनीय पहलुओं का ।

आप तो जानते हैं कि समूह को प्रायोजित करने, उसका विकास करने और प्रशिक्षित करने के लिये धन बाहरी स्रोतों से जुटाना था । अतः रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और अन्य बैंकों की सहायता से 100 करोड़ रुपये की सूक्ष्म वित्त विकास निधि का गठन किया गया । इस निधि का इस्तेमाल मुख्य रुप से समूहों के संवर्धन और देखभाल, क्षमता में वृद्धि करने; संबंधित अध्ययन और शोध करने तथा अन्य प्रासंगिक गतिविधियों के लिये किया जाता है जिससे कि कार्यक्रम समृद्धिशाली बन सके ।

आपकी अधिकांश योजनाएं स्वयं सहायता समूहों के कारण ही ज्यादा सफल हुई हैं । इसलिये वसूली भी बहुत बढ़िया रही है । आप इसे स्वीकारते हैं ?

* ऐसा है कि, स्वयं सहायता समूह अपनी गतिविधियां अपनी बचत से करता है । इस धन को उधार देना और उसकी वसूली करना उसे ''वित्त प्रबंधक'' बनाता है, और वित्तीय मध्यस्थता के मूल पाठ सिखाता है और इस प्रकार ''समूह'' अपने सदस्यों के बीच वित्तीय अनुशासन लाता है । स्वयं सहायता समूह को प्रारंभ के 6 महीनों से लेकर एक वर्ष की अवधि अर्थात, वित्तीय कारोबार में मध्यस्थता के सफल गुर सीखने के बाद बैंकों से ऋण प्राप्त होता है । ऋण देने और वसूली का कार्य समूह के सदस्यों पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि वे ही अपने सदस्यों के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं और वे ही उचित निर्णय ले भी सकते हैं । बस, स्वयं सहायता समूह संविभाग की उच्च गुणवत्ता एवं उच्च स्तर की वसूली का गुरुमंत्र है ।

सभी बैंक अनर्जक आस्तियों (NPA) की समस्या से परेशान हैं । जबकि आपके यहां शुद्ध अनर्जक आस्तियाँ 0.0001 प्रतिशत हैं । इसका रहस्य क्या है ?

* हमारा अनर्जक आस्तियों का स्तर नगण्य है क्योंकि हम किसानों और संस्थानों से सीधे जुड़ते ही नहीं हैं । नाबार्ड, आप जानते ही हैं कि बैंकों को पुनर्वित्त और राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष ऋण देता है । इससे हमारा काम आसान हो जाता है । फिर भी, हम ऋण सावधानीपूर्वक देते हैं । इस पोर्टफोलियो की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्यांकन प्रणाली और वसूली की संतोषप्रद क्रियाविधियों का होना बहुत महत्वपूर्ण है । भारत सरकार, रिज़र्व बैंक और निदेशक बोर्ड से मार्गदर्शन मिलने के अलावा उधारकर्ता ग्राहकों के उल्लेखनीय सहयोग ने भी हमें अनर्जक आस्तियों का स्तर लगभग ''शून्य'' स्तर पर रखने में बहुत सहायता दी है ।

सभी प्रकार के प्रयासों के बावजूद यदि गरीबी की रेखा कोई मानदण्ड है तो ग्रामीण विकास अभी भी एक सपना है क्योंकि हम सब औद्योगिक विकास की तरफ ही ज्यादा सोचते हैं । ऐसे में नाबार्ड की भूमिका कितनी सार्थक है ?

* ऐसा है कि, ग्रामीण विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अलग-अलग संस्थानों और अलग-अलग तरीकों का हस्तक्षेप शामिल रहता है । देखिए, यह मात्र आर्थिक विकास का मामला नहीं है बल्कि यह सामाजिक विकास तथा ग्राम्य जीवन की मूलभूत जरुरतों और उसकी गुणवत्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया है । कोई एकल संस्थान न तो ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी ले सकता है और ना ही कोई ऐसा दावा कर सकता है । ऋण के क्षेत्र में नाबार्ड एक शीर्ष संस्थान है और समेकित रुप में ग्रामीण विकास को पाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में, भले ही उत्पादक आस्तियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये हो या फिर उत्पादन गतिविधियों के लिए हो, ऋण का प्रवाह बिना किसी रुकावट के बढ़ता रहे । यह नये विचारों एवं प्रणालियों को लागू करने में भी भूमिका अदा करता है । नाबार्ड ने ऋण संस्थानों को मज़बूत करने के प्रयास किये हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये

प्रोत्साहनकारी ठोस वित्तीय आधार बना रहे । पिछले 8 वर्षों में नाबार्ड ने कृषि, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं या सामाजिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण खाई को भी अपनी ग्रामीण मूलभूत विकास निधि के माध्यम से बांटने का प्रयास किया है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नाबार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

विकास स्वयंसेवक वाहिनी (वीवीवी); जेन्डर प्रोग्राम, कृषेतर विकास के लिये ग्रामीण महिला सहायता (ARWIND) ग्रामीण महिला कृषेतर उत्पाद विपणन (MAHIMA) आदि के बारे में क्या अनुभव रहे हैं ?

* हमारी विकास स्वयंसेवक वाहिनी कार्यक्रम (वीवीवीपी) की संकल्पना हमने सामाजिक तंत्र के रुप में की है जो एकदम निचले स्तर पर बढ़ते हुए अतिदेयों को कम करने की नाबार्ड की चिन्ता का द्योतक है । इस कार्यक्रम में ''ऋण के माध्यम से विकास'' के पांच सिद्धांत शामिल हैं और इनमें ''कृषक क्लब'' नामक ग्रामीण उधारकर्ताओं के संगठन के माध्यम से ग्रामीण ग्राहकों के बीच बेहतर ऋण अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है । इस तरह के क्लब खोलने, चलाने तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिये वित्तीय सहायता नाबार्ड देता है । नाबार्ड ने कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से परियोजना आधार पर ग्रामीण टेक्नोलॉजी अंतरण की दिशा में विकास स्वयंसेवक वाहिनी क्लबों की शुरुआत भी की है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 26 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों के 560 जिलों में से 444 जिलों में यह लागू हो गया है । आंकड़ो में कहें तो 31 मार्च 2002 को ऐसे क्लबों की संख्या 6846 थी जो 31 मार्च 2003 तक 7640 हो गयी है ।

आप जानते ही हैं कि महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या के लगभग आधी है और हमारी श्रमशक्ति में उनका अंश एक तिहाई है । संस्थागत वित्त में उनकी पहुंच को बढ़ाने की दिशा में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए बहु-आयामी विशेष योजनाएं बनायी गयी हैं । कृषेतर विकास के लिये ग्रामीण महिला सहायता (ARWIND) के अन्तर्गत एस्कॉर्ट सेवाओं, सामान्य सुविधा केन्द्रों, मातृत्व इकाइयों, उत्पादन डिज़ाइनों, गुणवत्ता नियंत्रण, महिला संगठन आदि जैसी गतिविधियों के लिये सहायता उपलब्ध है और इसमें नाबार्ड बैंकों को शतप्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करता है ।

महिला उद्यमियों के लिये विपणन की महत्ता को समझते हुए ग्रामीण महिला कृषेतर उत्पाद विपणन (MAHIMA) नामक योजना लागू की गयी जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों द्वारा पैदा किये गये उत्पादों के विपणन की दिशा में कई प्रकार की पहलों को समर्थन देना है । इसके अन्तर्गत बाजार सर्वेक्षण, सक्षमता विकास, टेक्नोलॉजी उन्नयन, बॉण्ड करना, लेबल करना, पैकिंग करना, प्रचार, शो-रुम/बिक्री इकाइयों की स्थापना आदि जैसे विपणन से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिये सहायता उपलब्ध हैं ।

इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों में महिला विकास कक्ष की स्थापना के लिये बैंकों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और आपको बताएं, ये सभी कार्यक्रम सफल रहे हैं ।

हम बैंकिंग के सन्दर्भ में रि-इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ग्रामीण बैंकिंग की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं । इनकी लिंकेज कैसे हो सकती है ?

* ग्रामीण बैंकिंग राष्ट्रीय बैंकिंग संरचना का एक अभिन्न अंग है। वाणिज्य बैंकों की 33000 से भी ज्यादा शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लगभग 15000 शाखाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से उल्लेखनीय जमाराशि जुटाई जाती है और बैंकों का बहुत सारा स्टाफ इन इलाकों में कार्य करता है । जनसंख्या परिदृश्य यह दर्शाता है कि लगभग 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकों में ही रहते हैं और वे पूरे देश के लिए खाद्यान्न को सुनिश्चित करते हैं और संगठित उद्योग के लिये कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं । बैंकिंग को भी ग्रामीण क्षेत्र की गुणवत्ता पूर्ण वित्तीय सहायता देने में भूमिका निभानी है । आठवें दशक के प्रारंभ में बैंकिंग का नियोजित विकास यह सुनिश्चित करता रहा है कि बैंक ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों सहित सभी आर्थिक गतिविधियों के लिये समर्थन दें । हम आपको बता दें कि सुधारों के बाद बैंकिंग के पुनर्निर्माण और कार्पोरेट गवर्नेंस पर जोर देने से ग्रामीण बैंकिंग के सन्दर्भ में भूमिका कम नहीं हो जाएगी । कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एक उल्लेखनीय पहलू है । बैंकों के संदर्भ में इसका अर्थ है कि कम लागत पर देश के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों को सेवाएं देना । इसका मतलब होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावशाली ढंग से इससे जोड़ना । लागत कम करने एवं ग्राहकों के लिये सहज उत्पादक सेवाएं देने हेतु नवोन्मेषी उपायों की जांच करने की जरुरत है और उन्हें ग्रामीण बैंकिंग के साथ भी जोड़ने की जरुरत है । प्रक्रिया पुनर्निर्माण का अर्थ इस सन्दर्भ में होगा लाभदायक और वहनीय उत्पादों को लागू करना और यह सब ग्रामीण ग्राहकों के साथ दोस्ताना रूप में होगा । स्वयं सहायता समूह और बैंक की सम्बद्धता का कार्यक्रम यह सिद्ध करता है कि बैंकों के लिये

लाभदायक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों के लिये दोस्ताना स्वरुप के उत्पाद शुरु करना संभव है। नाबार्ड अपने स्तर पर बैंकिंग प्रक्रिया पुनर्निर्माण एवं ग्रामीण बैंकिंग विकास के बीच कोई दरार नहीं महसूस करता।

ग्रामीण मूलभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) में इस वर्ष के बज़ट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आपको क्या कारण लगते हैं ?

* वस्तुतः ग्रामीण मूलभूत विकास निधि वाणिज्य बैंकों को साधन उपलब्ध कराके मूलभूत उत्पादों के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने की एक सुविधा है। चूंकि केन्द्र सरकार पर इसका कोई सीधा असर नहीं है अतः बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। पिछले वर्ष केन्द्रीय बजट में इस निधि के आकार का उल्लेख किया गया था और इस बार 2003-2004 के बजट में वह भी नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय और रिज़र्व बैंक ने पहले से ही यह संकेत दिया है कि यह निधि 5500 करोड़ रुपये की होगी और यह शीघ्र ही कार्यरत हो जायेगी।

आपका बैंक करोड़ों रुपये पुनर्वित्त के रुप में दे रहा है परन्तु उसका कितना अंश अंतिम उधारकर्ता के पास जाता है , इसे जानने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं ?

* ऐसा है कि, नाबार्ड आवधिक निगरानीगत अध्ययन के साथ-साथ पुनर्वित्त की गयी गतिविधियों पर स्वीकृति के बाद मूल्यांकन अध्ययन करता है। वह उधारदाता बैंकों से भी कहता है कि वे इस प्रकार के अध्ययन करें। निवेश के असफल होने और गलत इस्तेमाल के कुछ मामलों को छोड़कर पुनर्वित्त से निचले स्तर पर अस्तियों का निर्माण हुआ है और वर्तमान आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार आया है।

बैंकिंग चिन्तन-अनुचिन्तन के पाठकों को ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित कोई सन्देश ?

* ग्रामीण बैंकिंग एक रोमांचक क्षेत्र है। करोड़ो लोग जो हमारे लिये खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं उन्हे बैंकों से धन की जरुरत है। हो सकता है कि यह इतना आकर्षक क्षेत्र नहीं हो पर यह बहुत ही जरुरी है क्योंकि ये हमारे देश की 65 प्रतिशत से ज्यादा की जनसंख्या से जुड़ता है। ग्रामीण बैंकिंग में नवोन्मेष की जरुरत है और साथ ही जरुरत है ग्रामीण ग्राहकों को उचित लागत पर गुणवत्ता वाली सेवा की। चूंकि अर्थार्जन पर लगातार दबाव बढता रहेगा अतः बैंकों को नया सोचते रहना पड़ेगा। मेरे विचार से ग्रामीण वित्त में नवोन्मेष ही ग्रामीण बैंकिंग की जीवनधारा बन सकता है। मैं यह महसूस करता हूँ कि ग्रामीण शाखा प्रबंध को खेतों में ही उतरना पड़ेगा। आप अपनी शाखा में बैठकर अच्छे ग्रामीण बैंकर नहीं बन सकते। इस दिशा में, ''आपसी संबंधों की पूंजी ही महत्वपूर्ण है।''

प्रस्तुतकर्ता : पुष्प कुमार शर्मा

अपने प्रारंभ से लेकर 31 मार्च 2002 तक नाबार्ड द्वारा दिये गये पुनर्वित्त के अनुमानित आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नाबार्ड द्वारा दिए गए पुनर्वित्त से निचले स्तर पर आस्तियों का निर्माण हुआ है

क्र.सं.	गतिविधि	वित्तपोषित आस्तियां	क्र.सं.	गतिविधि	वित्तपोषित आस्तियां
1.	लघु सिंचाई		7.	कुक्कुट उद्योग	1637 लाख
	कुएं (सं.)	47.28 लाख		(पक्षियों की संख्या)	
	पम्पसेट (सं.)	21.28 लाख	8.	भेड एवं बकरी (संख्या)	361.60 लाख
2.	कृषि यांत्रिकीकरण		9.	सुअर पालन (सं.)	16.11 लाख
	ट्रॅक्टर (सं.)	11.58 लाख	10.	मत्स्य उद्योग	
	पावर टिलर्स (सं.)	1.43 लाख		यांत्रिक नावें (सं.)	21145
	अन्य (सं.)	3.91 लाख		अन्य नावें (सं.)	72124
3.	कृषि विकास (हे)	29.39 लाख		खारा जल मत्स्य उद्योग (हे)	4780
4.	बाग एवं बागवानी (हे)	17.89 लाख		स्वच्छ जल मत्स्य उद्योग (हे)	3.39 लाख
5.	वानिकी (इटीपी)	23.05 लाख	11.	भंडारण (टन)	151.08 लाख
6.	डेयरी विकास		12.	मंडियां (सं.)	1976
	(दुधारु पशुओं की संख्या)	134.04 लाख	13.	कृषेतर इकाइयां (सं.)	37.60 लाख

बढ़ते ऋण-बाजार का जोखिम घटाने में सहायक है ऋण सूचना ब्यूरो

डॉ. सुरेश कुमार
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय स्टेट बैंक
मुंबई - 400 021

भारत में ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक कार्य-दल गठित किया था । उस कार्य-दल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में ऋण सूचना ब्यूरो की आवश्यकता रेखांकित करते हुए सिफारिश की कि ये ऋण ब्यूरो फैलते फुटकर वित्तीय बाजार के अभिन्न अंग होने चाहिए । रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि भारत में ऋण सूचना ब्यूरो स्थापित करने के लिए उपयुक्त कानूनी और **विनियामक सहायता** उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

ऋणदाता कंपनियाँ ऋणों की मात्रा अधिक रखते हुए भी अशोध्य ऋणों की संख्या कम रखने के लिए ऋण-मूल्यांकन के प्रति ज्यादा सजग होती जा रही हैं और तदनुसार ऋण-सीमाओं तथा लक्ष्य-समूहों के बारे में निर्णय कर रही हैं ।

फरवरी 2000 में बजट प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन वित्तमंत्री ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि ऋणकर्ताओं और संभावित ऋणकर्ताओं के संबंध में ऋणविषयक जानकारी बाँटने के लिए जल्दी ही ऋण सूचना ब्यूरो स्थापित किया जाएगा ।

इस पृष्ठभूमि में 31 जनवरी 2001 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कारपोरेशन (एचडीएफसी), डून एंड ब्रैडस्टीट इनफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डी एंड बी) और ट्रांस यूनियन इंटनेशनल इंक (टीयू) ने क्रमशः 40: 40: 10: 10 के शेयरधारिता-प्रतिशत अनुपात में क्रेडिट इनफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) की स्थापना करने के लिए शेयरधारक-करार पर हस्ताक्षर किए । डी एंड बी और टीयू, जो इसके प्रौद्योगिकी-साझेदार भी हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध ऋण सूचना ब्यूरो हैं । अनेक देशों में मौजूदगी रखने वाले ये ब्यूरो क्रमशः वाणिज्यिक और उपभोक्ता खंडों में विशेषज्ञता रखते हैं । सिबिल इन दोनों खंडों की जरूरतें पूरी करने वाला एक **संमिश्र ब्यूरो** है ।

हाल के वर्षों में भारत एक बढ़ती औद्योगिकी और तीव्र संवृद्धिशील अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है । अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और आधुनिकीकरण ने उच्च शिक्षा-स्तर, बढ़ी हुई आय और क्रय-शक्ति, बेहतर जीवन-शैली की आकांक्षाओं और उच्चतर गुणवत्ता वाले उत्पादों तथा सेवाओं की अपेक्षाओं की ओर अग्रसर किया है । निजी क्षेत्र के प्रवेश के साथ बैंकिंग का भी रूपांतरण हुआ है । अर्थव्यवस्था अब कहीं ज्यादा लचीली और आत्मनिर्भर है ।

ऋण-बाजार एक ओर जहाँ विस्तृत हो रहा है, वहीं उसमें जोखिम भी बढ़ रहा है । ऋणों, क्रेडिट-कार्ड के भुगतानों आदि में चूक बढ़ती जा रही है । फलतः ऋणदाता कंपनियाँ ऋणों की मात्रा अधिक रखते हुए भी **अशोध्य ऋणों** की संख्या कम रखने के लिए ऋण-मूल्यांकन के प्रति ज्यादा सजग होती जा रही हैं और तदनुसार ऋण-सीमाओं तथा लक्ष्य-समूहों के बारे में निर्णय कर रही हैं । इसके लिए वे एक उन्नत ''ऋण-संवीक्षा तंत्र'' की जरूरत महसूस कर रही हैं । ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित परंपरागत अनुमोदन-पद्धतियाँ बढ़ते विकास के साथ मेल नहीं खा सकतीं । ऋणदान अब ज्यादा

''व्यवसायीकृत'' होता जा रहा है । इस अर्थ में कि ऋण संबंधी निर्णय प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत संपर्क आदि सामाजिक कारकों पर कम और ग्राहकों के ऋण-सामर्थ्य पर ज्यादा निर्भर करने लगे हैं । **अविनियमित ब्याज-दर** के वातावरण में मूल्य-निर्धारण संबंधी निर्णय लेनदेन के दृष्टिगत जोखिम पर भी आधारित हो सकते हैं । ऋण-सूचना अर्थात् अनिवार्यतः ऋण के इतिहास पर आधारित सूचना की उपलब्धता और उसका विश्लेषण अत्यधिक महत्व प्राप्त करता जा रहा है ।

सिबिल व्यक्तिगत और कारपोरेट / वाणिज्यिक ऋणकर्ताओं के संबंध में ऋणविषयक सूचना प्राप्त करता है, इस सूचना का डेटाबेस तैयार करता है और इस सूचना को ऋण-रिपोर्टों के रूप में एक सीमित प्रयोगकर्ता-समूह (ऋणदाता) को मूल्य लेकर बेचता है । आँकड़ों के प्रयोगकर्ताओं और प्रदानकर्ताओं के बीच आँकड़ों का लेनदेन आदान-प्रदान के सिद्धांत पर आधारित होगा । ब्यूरो से आँकड़े तभी लिए जा सकेंगे जब आँकड़े दिए जाएँगे अर्थात् आँकड़े इस्तेमाल करने वाले को आँकड़े उपलब्ध भी कराने होंगे ।

ऋण संबंधी सूचना की उपलब्धता और विश्लेषण का महत्व बढ़ता जा रहा है ।इसलिए ऋण संबंधी सूचना के लिए ऋण सूचना ब्यूरो से संपर्क साधा जाएगा और फलस्वरूप एक केंद्रीय स्रोत पर सूचना की उपलब्धता के कारण संभव कारगर ऋण-संवीक्षा-प्रक्रियाओं की बदौलत एक स्वस्थ ऋण-संस्कृति का काफी हद तक प्रसार किया जा सकेगा ।

बैंक, वित्तीय संस्थाएं, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, आवास-वित्त कंपनियाँ, क्रेडिट -कार्ड कंपनियां आदि सिबिल के संभावित प्रयोगकर्ता होंगे ।

ऋण संबंधी सूचना गोपनीय किस्म की होती है और ऋणदाता गोपनीयता के सिद्धांत से बँधे होते हैं, जो उन्हें यह सूचना किसी अन्य को देने या उसका रहस्योद्घाटन करने से रोकता है । हाँ, ग्राहकों की निश्चित सहमति से आँकड़े शेयर किए जा सकते हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया गया एक प्रमुख विधान (जिसे ऋण सूचना ब्यूरो विनियमन अधिनियम 2001 कहा जाना प्रस्तावित है) पहले से ही वित्त मंत्रालय के पास है, जिसे जल्दी ही संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संभावना है । यह कानून भारत में ऋण सूचना ब्यूरो की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक व्यापक कानूनी ढाँचा उपलब्ध कराएगा । इसमें ऋण सूचना ब्यूरो की जिम्मेदारियाँ, सदस्य-संस्थाओं के अधिकार और दायित्व तथा गोपनीयता के अधिकारों की सुरक्षा के उपाय शामिल होंगे ।

मौजूदा बैंकिंग-विधियों के अंतर्गत सूचना प्रकट करने पर लगे प्रतिबंधों को दृष्टिगत रखते हुए बैंक और वित्तीय संस्थाएँ केवल **वादग्रस्त खातों** से संबंधित आँकड़े ही उपलब्ध करा सकती हैं, क्योंकि वे सार्वजनिक क्षेत्र में हैं । उपर्युक्त कानून बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर से यह प्रतिबंध हटा देगा और वे अपने ग्राहकों से संबंधित गोपनीय ऋण विषयक सूचना ऋण सूचना ब्यूरो को प्रदान कर सकेंगे ।

इस बदलते परिदृश्य में, जहाँ कि ऋण की माँग और साथ ही उससे संबंधित अपराध भी बढ़ रहे हैं, बाजार का आकार बड़ा होता जा रहा है और प्रतियोगिता में वृद्धि होती जा रही है, जोखिम-मूल्यांकन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । ऋण संबंधी सूचना की उपलब्धता और विश्लेषण का महत्व बढ़ता जा रहा है ।इसलिए ऋण संबंधी सूचना के लिए ऋण सूचना ब्यूरो से संपर्क साधा जाएगा और फलस्वरूप एक केंद्रीय स्रोत पर सूचना की उपलब्धता के कारण संभव कारगर **ऋण-संवीक्षा-प्रक्रियाओं** की बदौलत एक स्वस्थ ऋण-संस्कृति का काफी हद तक प्रसार किया जा सकेगा ।

वित्तीय तंत्र की कार्यप्रणाली सुधारने, विशेषकर अनर्जक आस्तियाँ घटाने और ऋणदाताओं की बहियों में उच्च गुणवत्ता की आस्तियों में वृद्धि करने के अभियान में सिबिल की स्थापना

सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है । सिबिल और उसके सदस्यों के बीच अत्यधिक **अन्योन्याश्रितता** का संबंध है । सिबिल अपने सदस्यों को एक महत्वपूर्ण सेवा उपलब्ध कराएगा, जिससे वे ज्यादा सूचनापूर्ण और तीव्र निर्णय ले सकेंगे । सिबिल की सफलता उसकी सेवा की गुणवत्ता और तत्परता से आँकी जाएगी और इस सफलता में उसकी सदस्यता के विस्तार तथा स्वयं सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की गुणवत्ता व मात्रा का योगदान होगा ।

बैंकों द्वारा ऋण-सूचना की प्रस्तुति

1. वादग्रस्त खाते

बैंकों से परामर्श करने के बाद रिज़र्व बैंक ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में दायर किए गए आवेदनों सहित वादग्रस्त खातों का दायरा बढ़ाने की तरफ अग्रसर है । साथ ही, शुरुआत के तौर पर सिबिल को वादग्रस्त खातों से संबंधित सूचना प्रसारित करने का काम सौंपा जा रहा है ।

इस उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने नीचे दी गई तालिका में दिखाए अनुसार सूचना की निर्धारित सीमा दो चरणों में घटाकर 1 लाख रूपए करते हुए वादग्रस्त खातों के संबंध में सिबिल को प्रस्तुत की जाने वाली ऋण-सूचना का दायरा क्रमिक रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया है :

2. गैर-वादग्रस्त खाते

क्रम सं	वादग्रस्त खातों की सूचना	किसे प्रस्तुत करनी है	अवधि	कब तक प्रस्तुत करनी है
1.	रु. 10 लाख और 1 करोड़ के बीच बकाया शेष	क्रेडिट इनफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि.	पहली विवरणी 31 मार्च 2002 के अनुसार समेकित करनी है अगली विवरणी 31 मार्च 2003 के अनुसार समेकित करनी है	31.01.2003
2.	रु. 1 लाख और 10 लाख के बीच बकाया शेष	-वही-	31 मार्च 2003 और उससे आगे	30.09.2003

रिज़र्व बैंक ने यह भी निदेश दिया है कि सिबिल को गैर-वादग्रस्त खातों के ब्यौरे भी प्रस्तुत किए जाएँ । किंतु इस संबंध में कानून बनने तक खातेदारों की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी । यह सहमति वर्तमान और नए, दोनों प्रकार के ऋणकर्ताओं के साथ-साथ उनके गारंटीदाताओं/**सह-दायित्वधारियों** से भी लिया जाना है और ऋण-दस्तावेजों में शामिल किया जाना है । इस सहमति से समस्त ऋण-खातों (चाहे वे अर्जक हों या अनर्जक) के संबंध में ऋण-सूचना का डेटाबेस समेकित करने हेतु, सभी ऋण खातों का ब्यौरा सिबिल को प्रस्तुत करना संभव हो सकेगा, जहाँ से उसे सदस्य-बैंकों को उपलब्ध कराया जा सकेगा ताकि उनके ऋण-मूल्यांकनों और निर्णयों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो सके ।

यह सहमति ऋण-सुविधा प्रदान करते समय ही ले ली जानी चाहिए । वर्तमान खातों के संबंध में ऋण-करार में सहमति का खंड उसके नवीकरण/वृद्धि या मौजूदा ऋण-सुविधा की संरचना में किसी परिवर्तन के समय शामिल किया जाना चाहिए । सिबिल को प्रस्तुत करने के लिए सहमति हेतु ऋणकर्ता का अनुमोदन पत्र-व्यवहार द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है ।

क्रम सं	गैर-वादग्रस्त खातों के संबंध में सहमति	सहमति प्राप्त करने की तारीख	सिबिल को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी की तारीख
1.	नए ऋण	अक्तूबर 2002 से प्रारंभ	31 मार्च 2003 और आगे
2.	रु. 10 लाख और उससे अधिक के ऋण	31 मार्च 2003 से पूर्व	30 जून 2003 और आगे
3.	अन्य सभी वर्तमान खाते	30 सितंबर 2003 से पूर्व	31 दिसंबर 2003 और आगे

बैंकों में ऋण-खातों की अत्यधिक बड़ी संख्या के कारण उन्हें कवर करने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से निपटाने का प्रस्ताव किया है । विभिन्न ऋणकर्ता-समूहों से सहमति प्राप्त करने और उसके बाद सिबिल को डेटा प्रस्तुत करने की अनुसूची नीचे तालिका में दी गयी है :

जाहिर है, समस्त श्रेणियों के ऋणकर्ताओं के संबंध में संशोधित सहमति-खंड प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया 30 सितंबर 2003 तक पूरी कर ली जानी है । भारतीय स्टेट बैंक में इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया गया है :

1) अब से प्रदान किए जाने वाले समस्त नए ऋणों का प्रलेखीकरण सहमति-खंड प्राप्त करने के अधीन होगा ।

2) आंचलिक कार्यालयों को 10 लाख रुपए और उससे अधिक के समस्त ऋणों की सूची बनानी है और उक्त कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का ध्यान रखना है । मंडल ऋण समिति (सीसीसी) और उससे ऊपर के प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत अग्रिमों के संबंध में स्थानीय प्रधान कार्यालयों द्वारा मदद की जानी है ।

3) क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रबंधकों के विभागों को 1 लाख से 10 लाख रुपए के समस्त ऋणों की सूची बनानी है और उक्त कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का ध्यान रखना है ।

प्रयुक्त शब्दावली

विनियामक सहायता	Regulatory assistance	वादग्रस्त खाते	Disputed accounts
संमिश्र ब्यूरो	Composite bureau	ऋण संवीक्षा प्रक्रिया	Credit review process
अशोध्य ऋण	Irrecoverable / bad debt	अन्योन्याश्रितता	Inter dependability
अविनियमित ब्याज दर	Deregulated interest rate	सह - दायित्वधारी	Co-obligatory

संयुक्त हिन्दू परिवार व बैंकिंग कारोबार

ए. के. बंसल
उप मुख्य अधिकारी (विधि.)
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
क्षेत्रीय कार्यालय, जेल चुंगी
मेरठ (उत्तर प्रदेश)

संयुक्त हिन्दू परिवार की प्रथा भारत में सदियों से चली आ रही है । भारत में इस प्रथा की दो शाखाएं विद्यमान हैं- मिताक्षरा तथा दायभाग । दायभाग शाखा मात्र बंगाल प्रदेश में लागू होती है । मिताक्षरा शाखा बाकी सारे देश में लागू होती है । मिताक्षरा शाखा के अनुसार बच्चा जन्म लेते ही परिवार का सदस्य हो जाता है तथा संयुक्त परिवार से पृथक होने पर अपने परिवार का मुखिया हो जाता है ।

संयुक्त हिन्दू परिवार का मुखिया एक पुरूष होता है और यह परिवार विभाजन होने तक पुरूष वंशजों द्वारा चलाया जाता है । इसकी सदस्यता जन्म लेते ही प्राप्त हो जाती है । पुरूष सदस्यों की पत्नियां विवाह के द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्यता प्राप्त करती हैं । कोई भी बाहरी व्यक्ति संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य नहीं हो सकता बल्कि विवाह के बाद संयुक्त हिन्दू परिवार की पुत्रियों की सदस्यता समाप्त हो जाती है ।

संयुक्त हिन्दू परिवार के खाते खोलने में कई तरह की जटिलताएं और समस्याएं हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की प्रकृति को भली भाँति समझ लिया जाए ।

संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा परम्परागत रूप से व्यवसाय चलाया जाता है और व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने हेतु बैंकों में अपने खाते भी खोलने पड़ते हैं । संयुक्त हिन्दू परिवार के खाते खोलने में कई तरह की जटिलताएं और समस्याएं हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की प्रकृति को भली भाँति समझ लिया जाए ताकि इसके खातों का परिचालन करवाने में बैंक अधिकारियों को कोई समस्या न आए ।

संयुक्त हिन्दू परिवार के समस्त पुरूष सदस्यों (जिनको सहभागी कहा जाता है), का परिवार की सम्पत्ति पर **संयुक्त स्वामित्व** होता है । लेकिन उनका हिस्सा परिवार के विभाजन के समय ही निर्धारित हो सकता है । संयुक्त परिवार के मुखिया को 'कर्ता' कहा जाता है । संयुक्त परिवार के सभी लेन-देन और संचालन केवल कर्ता द्वारा ही किए जाते हैं । कर्ता को संयुक्त परिवार के प्रबंध एवं संचालन सम्बंधी सभी अधिकार प्राप्त हैं । वह संयुक्त परिवार के नाम से बैंक में खाता खोल सकता है एवं कर्ता की हैसियत से उसका परिचालन कर सकता है । लेकिन बैंक के रिकार्ड में सभी सहयोगियों के हस्ताक्षर, नाम, आयु व पते आदि उपलब्ध होने चाहिए ताकि कर्ता की मृत्यु होने पर **उत्तरजीवी** ज्येष्ठ सहभागी के बारे में कोई दुविधा बैंक अधिकारियों को न हो । समस्त सहभागियों से यह लिखित रूप से लिया जाना चाहिए कि वे सहभागियों के जन्म मरण आदि की सूचना यथासमय बैंक को उपलब्ध करवाते रहेंगे ।

कर्ता को संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यवसाय के संचालन और इससे सम्बन्धित समस्त अधिकार प्राप्त हैं । उदाहरणतः खाता खोलने, खाते का परिचालन करना । यह ध्यान देने योग्य बात है कि खाता संयुक्त हिन्दू परिवार के वास्ते खोला जाएगा और कर्ता निम्न प्रकार से खाते का संचालन करेगा ।

कृते (ए बी सी) संयुक्त हिन्दू परिवार कर्ता

संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यवसाय के लिए और विधिक आवश्यकताओं के लिए भी कर्ता कोई भी कार्य कर सकता है जैसे ऋण लेना, ऋण की **अभिस्वीकृति** करना, सम्पत्ति को प्रतिभूति के रूप में प्रमाणित करना इत्यादि । संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के रखरखाव के लिए भी कर्ता कोई भी कार्य कर

सकता है । जब कर्ता परिवार की आवश्यकता के लिए अथवा व्यवसाय के लिए ऋण लेकर प्रलेख निष्पादित करता है तो इन प्रलेखों पर परिवार के समस्त सहभागी, परिवार की सम्पत्ति में अपने हित की सीमा तक आबद्ध होते हैं चाहे प्रलेखों पर उनके हस्ताक्षर नहीं हों ।

यदि कर्ता परिवार की विधिक आवश्यकता के लिए ऋण लेता है तो ऋण दाता को यह स्थापित करना पड़ता है कि उसने कर्ता को ऋण विधिक आवश्यकताओं हेतु दिया तब ही ऋणदाता अपना ऋण वसूल कर सकता है । विधिक आवश्यकताओं में निम्नलिखित आवश्यकताएं सम्मिलित हैं जैसे सहभागियों का लालन-पालन, शिक्षा, विवाह, सम्पत्ति का रखरखाव इत्यादि । एक केस **मुस मौली बनाम बृज लाल और अन्य (1942) लाहौर 345** में यह निर्णय हुआ था कि यदि कर्ता ने संयुक्त हिन्दू परिवार हेतु ऋण लिया है तो ऋण दाता ऋण की वसूली तभी कर सकता है यदि वह यह स्थापित कर दे कि कर्ता ने ऋण विधिक आवश्यकता हेतु लिया था । एक अन्य केस **रघुनाथ बनाम श्री नारायण (1923) 45 इलाहाबाद :** में यह निर्णय दिया गया था कि यदि कर्ता संयुक्त हिन्दू परिवार के लिए प्रोनोट के आधार पर ऋण लेता है और यह ऋण विधिक आवश्यकताओं के लिए है तो परिवार के अन्य सदस्यों पर भी ऋण वसूली के लिए दावा किया जा सकता है भले ही उन्होंने प्रोनोट पर हस्ताक्षर न किए हों ।**केस अब्दुल मज़िद खान बनाम सरस्वती बाई (1934) 61 आई ए 90** में यह निर्णय हुआ था कि जहाँ कर्ता ऋण लेता है, वहाँ यह नहीं माना जा सकता कि कर्ता ने ऋण विधिक आवश्यकता के लिए लिया है बल्कि ऋण दाता को यह साबित करना पड़ेगा कि कर्ता ने ऋण विधिक आवश्यकता हेतु लिया । उक्त निर्णयों से स्पष्ट है कि बैंक को ऋण प्रदान करने से पूर्व, पूर्णतयाः संतुष्ट होना चाहिए कि ऋण, कर्ता को परिवार और विधिक जरूरतों के लिए ही दिया जाए और यह कि बैंक इसको सिद्ध भी करने की स्थिति में होना चाहिए ।

एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त हिन्दू परिवार को विधिक व्यक्ति का दर्जा प्राप्त नहीं होता जैसे कि कम्पनी को होता है । संयुक्त हिन्दू परिवार का उसके सदस्यों से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता । उदाहरणतया संयुक्त हिन्दू परिवार अपने नाम से न तो दावा दायर कर सकता है और न ही उसके विरूद्ध दावा दायर हो सकता है जैसे कि कम्पनी के केस में होता है । संयुक्त हिन्दू परिवार को दावा दायर करना हो या उसके विरूद्ध दावा दायर होना हो तो यह कर्ता के द्वारा ही किया जाता है । अन्यथा यह विधिक रूप से गलत होगा । उदाहरणतया

ए बी सी संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा श्री एक्स..... कर्ता।

- वादी / प्रतिवादी

अतः संयुक्त हिन्दू परिवार को एक इकाई कहना ज्यादा उचित होगा जो कर्ता के द्वारा व्यवसाय करती है । परन्तु कर्ता अथवा किसी अन्य सहभागी की मृत्यु होने पर संयुक्त हिन्दू परिवार समाप्त नहीं होता बल्कि उत्तरजीविता के सिद्धांत के अनुसार तब तक चलता है जब तक कि उसका विभाजन न हो जाए ।

संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय के नाम से निम्नलिखित अवस्थाओं में चालू खाता खोला जा सकता है -

(क) जहाँ केवल कर्ता ही खाते का परिचालन करेगा-

कृते (एक्स वाय जैड) संयुक्त हिन्दू परिवार

कर्ता

(ख) जहाँ संयुक्त रूप से कोई एक सहभागी कर्ता के साथ खाते का परिचालन करेगा : कृते (एक्स वाय जैड) संयुक्त हिन्दू परिवार

सहभागी **(कर्ता)**

(ग) जहाँ कर्ता द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि खाते का परिचालन करेगा- कृते (एक्स वाय जैड) संयुक्त हिन्दू परिवार

अधिकृत प्रतिनिधि

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिन्दू परिवार एक इकाई है जिसकी हैसियत विधिक व्यक्ति की नहीं होती और जिसके कर्ता की हैसियत एक तरह से एजेन्ट और **न्यासी** के बीच की है । एक **केस अन्नामालै बनाम मुरूगेसा (1903) 26 मद्रास 544 :** में यह माना गया था कि संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की हैसियत एक एजेन्ट की न होकर न्यासी के रूप में माना जाना उचित होगा । फिर भी पूर्ण रूप से कर्ता को न्यासी नहीं माना जा सकता ।

एक अत्यंत महत्वपूर्ण केस हनुमान प्रसाद बनाम बाबुई में यह निर्णय हुआ था कि कर्ता संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति भी बेच सकता है यदि यह क्रय या तो विधिक आवश्यकता या सम्पत्ति के फायदे के लिए हो । यह केस अभी तक कर्ता के अधिकारों की सीमा का आधार माना जाता है ।

एक अन्य केस शांति लाल बनाम् मुंशी लाल (1932) 56 बॉम्बे 595 में यह निर्णय लिया गया था कि कर्ता को यह अधिकार है कि वह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के सम्बंध में कोई भी वाद **विवाचक** को सौंप दें लेकिन यह सम्पत्ति के फायदे में होना चाहिए । परन्तु कर्ता को यह अधिकार नहीं है कि वह संयुक्त परिवार को देय किसी ऋण को माफ कर दे या छोड़ दे ।

संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय का खाता खोलने हेतु निर्धारित फार्म विधिवत भर कर संयुक्त परिवार के सभी वयस्क पुरूषों और स्त्रियों के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है । उचित स्टैम्प सहित कर्ता-फार्म, कर्ता व सभी वयस्क सहभागीदारों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए व इसे बैंक के रिकार्ड में रखा जाना चाहिए या कर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र लिया जाना चाहिए । सभी चेक वगैरह कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए या जिन आदेशों सहित खाता खोला गया हो उसके हस्ताक्षर होने चाहिए । किसी भी अवयस्क सहभागी का नाम खाता खोलने वाले फार्म पर नहीं लिखा जाना चाहिए । कर्ता और वयस्क सदस्यों को विधिक अधिकार है कि वे पारिवारिक फर्म के नाम में संयुक्त व्यवसाय की ओर से हस्ताक्षर और प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उन्हें समय-समय पर गठित संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को बांधने का अधिकार प्राप्त होता है ।

यदि खाते का परिचालन केवल कर्ता कर रहा हो और वह किसी दूसरे सहभागी को भी खाते के परिचालन के लिए अधिकार देना चाहता हो तो उचित होगा कि वह संबंधित सहभागी के पक्ष में उचित **मुख्तारनामा** प्रतिपादित करें । यदि खाते को कर्ता और दूसरे सहभागी संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से परिचालित कर रहे हों और किसी अन्य सहभागी को खाते के परिचालन के लिए अधिकृत करना हो तो परिचालन कर रहे सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से मुख्तारनामा दिया जाना चाहिए । यदि संयुक्त परिवार के बाहर से किसी तीसरे पक्ष को खाते के परिचालन हेतु अधिकार देना हो तो कर्ता और वयस्क सहभागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से उचित मुख्तारनामा प्रतिपादित किया जाना चाहिए ।

यदि कर्ता बैंक को यह सूचना लिखित रूप से देता है कि किसी अमुक वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर को मान्यता न दी जाए तो बैंक को चाहिए कि उस व्यक्ति को खाते के परिचालन की अनुमति न दे । यदि कोई अन्य सहभागी यह सूचना देता है वह कर्ता को कोई मान्यता नहीं देता या संयुक्त पारिवारिक फर्म से अपने आपको अलग कर लेता है तो न तो फर्म के खाते में आगे कोई परिचालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए और न ही प्रतिभूतियों को वापिस जाना चाहिए जब तक कि मामले का निपटारा न हो जाए ।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि किसी सहभागी द्वारा चालू खाते के परिचालन के लिए चालू खाता खोलने वाले फार्म पर लिए जाने वाले विशेष अनुदेश सामान्य प्रकार के होते हैं । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त अनुदेश में प्रतिभूतियों, शेयरों तथा अन्य दस्तावेजों को जो बैंक 'संयुक्त परिवार फर्म' को दी गई सुविधाओं के बदले में रखता है उसे सहभागी को वापस करने का अधिकार शामिल नहीं होता । इन दस्तावेजों इत्यादि को कर्ता के उचित हस्ताक्षर लेने के उपरांत ही वापस किया जाना चाहिए ।

प्रयुक्त शब्दावली

संयुक्त स्वामित्व	Joint holder	न्यासी	Trustee
उत्तरजीवी	Successor	विवाचक	Arbitrator
अभिस्वीकृति	Approval	मुख्तारनामा	power of attorney

ग्रामीण विकास में सूक्ष्म ऋण-संस्थाओं की बढ़ती भागीदारी

डॉ. राजीवकुमार सिन्हा
रिसर्च एसोसिएट
भागलपुर विश्वविद्यालय
भागलपुर - 812 007 (बिहार)

परिभाषा के अनुसार-**'सूक्ष्म वित्त'**, निर्धनों को गरीबी का सामना करने योग्य बनाने के उद्देश्य से उनके कौशल में **स्तरोन्नयन** तथा उद्यमशीलता में विकास लाने सहित समस्त प्रकार की वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सेवाओं का प्रतिपादन करता है। निर्धनों के लिए 'कार्यक्रमों के निरूपण' के संदर्भ में 'सूक्ष्म-वित्त' की मान्यता तथा इसकी स्वीकृति - ''निर्धनों के सामाजिक तथा **आर्थिक सशक्तीकरण** (विशेषकर महिलाओं के सशक्तीकरण पर बल देते हुए) से निर्धनता - उन्मूलन के नये दृष्टांतों में से एक है।'' इस प्रकार 'सूक्ष्म वित्त' की रूपरेखा अनिवार्य रूप से इस प्रस्तावना के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है कि ; -(क) 'स्व-रोजगार उद्यम' का निर्माण निर्धनता-उन्मूलन के लिए एक उपयोगी वैकल्पिक साधन है ; (ख) पहले से विद्यमान तथा सम्भाव्य सूक्ष्म उद्यमों तक 'पूँजीगत परिसम्पत्तियों / साख-सुविधा' की यथोचित पहुँच एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करती है ; तथा (ग) अपने निम्न आय-स्तरों के बावजूद निर्धन लोग बचत करने में समर्थ हैं।

सूक्ष्म वित्त ग्रामीण, उपनगरीय तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निर्धनों को उनके रहन-सहन के स्तरों में उत्थान लाने योग्य सक्षम बनाने के लिए उन्हें मितव्ययिता, साख, अन्य वित्तीय सेवाओं तथा छोटी राशि के उत्पादों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

सूक्ष्म - वित्त का अभ्युदय

विगत वर्षो में, 'स्थायी रूप से चलने वाले आय-सृजन अवसरों' को पैदा करके निर्धनता-उन्मूलन के मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केन्द्रित करने में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 'विकास कार्यक्रम' अपनी अनेकताओं के कारण असफल रहा है। 'हाशिम समिति' की अनुशंसाओं के सन्दर्भ में, भारत-सरकार ने एक **एक-छत्रीय योजना** के अंतर्गत सभी निर्धनता-उन्मूलन कार्यक्रमों को पुनर्संरचनात्मक रूप प्रदान करते हुए अप्रैल 1999 से ''स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाय)'' की शुरूआत की। अन्य बातों के अलावा इस कार्यक्रमान्तर्गत अधिक बल 'समूह अभिगम' पर है तथा निर्धनों को 'स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.)' में संगठित करने पर भी है।

केन्द्रीय बजट 2000-2001 में सन्निहित प्रस्तावों के निष्पादन के क्रम में 80 करोड़ रूपयों के शुरूआती आबंटन सहित 'नाबार्ड' (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा स्थापित एक 'सूक्ष्म वित्त विकास निधि' (एम.एफ.डी.एफ.) का सृजन 100 करोड़ रूपयों की राशि से किया गया। 80 करोड़ रूपयों की यह राशि 'भारतीय रिज़र्व बैंक' तथा 'राष्ट्रीय बैंक' द्वारा बराबर -बराबर तथा शेष राशि ''वाणिज्यिक बैंकों'' द्वारा प्रदान की जाती है। इन निधियों का उपयोग 'एस. एच. जी. क्रमबंध कार्यक्रमों' के स्तरोन्नयन तथा अन्य 'साख वितरण प्रतिमानों' (जो साख-वितरण के क्षेत्र में नये परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हों, को सहायता प्रदान करने में किया जाता है। 'सूक्ष्म वित्त' के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखकर 'भारतीय रिज़र्व बैंक' ने इसकी परिभाषा वर्ष 2000 में इस प्रकार दी है ''सूक्ष्म वित्त ग्रामीण, उपनगरीय तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निर्धनों को उनके रहन-सहन के स्तरों में उत्थान लाने योग्य सक्षम बनाने के लिए उन्हें मितव्ययिता, साख, अन्य वित्तीय सेवाओं तथा छोटी राशि के उत्पादों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। यह 'निर्धनों द्वारा संचालित विभिन्न कृषि अथवा गैर-कृषि क्रिया-कलापों हेतु सिर्फ 'उपभोग ऋण' या 'उत्पादन ऋण' उपलब्ध कराये जाने तक ही

सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अपनी साख-आवश्यकताओं, जैसे :- गृह तथा निवास स्थानों के जीर्णोद्धार की पूर्ति के दायित्वों का भी निर्वहन करता है । '' 'सूक्ष्म वित्त' के इन व्यापक उद्देश्यों के मद्देनज़र हाल के वर्षों में बैंकों ने भी (विशेषकर 'वाणिज्यिक बैंक' तथा 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक')'ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूहों' का बैंकों द्वारा साख-सम्बद्धता' के जरिये 'औपचारिक बैंकिंग सेवाओं' को ग्रामीण निर्धनों तक पहुँचाने में अभिरूचि लेना प्रारम्भ कर दिया है ।

प्रदत्त ऋण में भी इस अवधि में 3,539.10 गुणा की वृद्धि दर्ज की गयी है । 1992-93 में बैंक ऋण की राशि मात्र 0.29 करोड़ रूपये थी, जो तेजी से बढ़ती हुई वर्ष 2001-2002 में 1,026.34 करोड़ रूपये हो गयी । इसी प्रकार 'एस.एच.जी.' के माध्यम से ग्रामीण निर्धनों को उपलब्ध करवायी गयी पुनर्वित्त की राशि में उक्त दशकावधि में 2,948.15 गुणा की वृद्धि देखी जा सकती है ।वर्ष 1992-93 में पुनर्वित्त की यह राशि 0.27 करोड़ रूपये थी, जो लगातार रूप से बढ़ते हुए वर्ष 2001-2002 में 796 करोड़

सारणी

''स्वयं सहायता समूह' - बैंक संयोजन कार्यक्रम - संचयी प्रगति'' (1992-1993 से 2001-2002)

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बैंक वित्त पोषित एस. एच. जी. की संख्या	बैंक ऋण	पुनर्वित्त
1992-1993	255	0.29	0.27
1993-1994	620	0.65	0.46
1994-1995	2,122	2.44	2.13
1995-1996	4,757	6.06	5.66
1996-1997	8,598	11.84	10.65
1997-1998	14,317	23.76	21.39
1998-1999	32,995	57.07	52.09
1999-2000	94,645	192.98	150.13
2000-2001	2,13,213	480.87	400.74
2001-2002	4,61,478	1,026.34	796.00

[स्रोत :- ''नाबार्ड वार्षिक प्रतिवेदन (2000-2001) तथा (2001-2002)"]

एस. एच. जी. की व्यापकता तथा बैंक-साख

इस उत्साहजनक तथ्य से 'एस.एच.जी. साख-सम्बद्धता' के रूप में सूक्ष्म वित्त की दिनानुदिन बढ़ती महत्ता तथा ग्रामीणों द्वारा इसकी उपादेयता की स्वीकृति का पता चलता है कि, वर्ष 1992-93 में 'एस.एच.जी. लिंक्ड' की संख्या मात्र 255 थी, जो प्रतिवर्ष दोगूणे-तीनगुणे वृद्धि दर्शाती हुई वर्ष 2001-2002 में (अर्थात दस वर्षों की अवधि में) 1,809.71 गुणा बढ़कर 4,61,478 हो गयी । इन 'बैंक सम्बद्ध स्वयं सहायता समूहों' को बैंकों से रूपये हो गयी । इस प्रकार, केन्द्रीय बजट (2000-2001) में एक लाख 'एस.एच.जी.' को बैंकों से जोड़ने के 'नाबार्ड' के निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए - 4,61,478 एस. एच. जी. को वर्ष 2001-02 (31 मार्च, 2000) तक 'साख सम्बद्ध' किया जा चुका है ।सारणी के अवलोकन से स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है ।

'सूक्ष्मवित्त-विकास' में राष्ट्रीय बैंक की अद्यतन भूमिका

'सूक्ष्म वित्त' के क्षेत्र में विस्तार के प्रति सरकार की बढ़ती रूचि का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्ष 2001-02 के दौरान 'स्वयं

सहायता समूहों' और अन्य सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विकास एवं संवर्द्धन 'नाबार्ड' का एक प्रमुख कार्य बना रहा । केन्द्रीय बजट 2001-02 में निर्धारित 1 लाख 'स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण के लक्ष्य की तुलना में वर्ष के दौरान 1.98 लाख नये स्वयं सहायता समूहों का वित्त पोषण करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गयी । 31 मार्च, 2001 तक कुल 4.61 लाख स्वयं सहायता समूहों को 1,026 करोड़ रूपयों का कुल बैंक ऋण प्रदान किया गया । इससे लगभग 78 लाख निर्धन परिवार लाभान्वित हुए ।

ऊपर वर्णित वर्ष में - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने स्वयं सहायता समूहों के **संवर्द्धन एवं सहबद्धता** के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है । यह विशेष रूप से उल्लेखनीय बात है कि बैंकों के साथ जुड़े इन समूहों में लगभग 90 प्रतिशत एस.एच.जी. महिलाओं के थे । स्वयं सहायता समूहों से ऋणों की वसूली का स्तर लगभग निरंतर 95 प्रतिशत से अधिक बना रहा ।

ग्रामीण निर्धनों को उनके कौशल योग्य रोजगार के अवसर तथा आय-संवर्द्धन के उपाय उपलब्ध करवाने हेतु वांछित साख-सुविधा प्रत्यक्षतः प्रदान करके उनके जीवन-स्तरों को ऊंचा उठाने में अहम भूमिका निभाने वाली 'राष्ट्रीय बैंक' ने 'सूक्ष्म वित्त' के बढ़ते महत्व तथा प्रासंगिकता को देखते हुए उसमें अपनी सहभागी संस्थाओं, जैसे-बैंकों, गैर सरकारी संगठनों तथा सरकारी एजेंसियों को उनके क्षमता-निर्माण के लिए वित्तीय और अन्य सहायता देना जारी रखा है ।

इस संबंध में एक और भी उत्साहजनक बात यह है कि मार्च, 2002 के अंत तक लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं बहुत से गैर सरकारी संगठन, जिनमें 'नाबार्ड', 'प्रदान', 'डब्ल्यू, डब्ल्यू, एफ', 'सेवा', 'सी.डी.एफ.', 'माईराडा', 'अदिथि', 'ग्राम-विकास परिषद' आदि प्रमुख हैं - इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं । इतना ही नहीं, इनमें सहकारी बैंकों की सहभागिता भी बढ़ रही हैं । मार्च, 2002 के अंत तक 209 'सहकारी बैंक / समितियाँ' इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थीं । ग्रामीण निर्धनों को उनके कौशल योग्य रोजगार के अवसर तथा आय-संवर्द्धन के उपाय उपलब्ध करवाने हेतु वांछित साख-सुविधा प्रत्यक्षतः प्रदान करके उनके जीवन-स्तरों को ऊंचा उठाने में अहम भूमिका निभाने वाली 'राष्ट्रीय बैंक' ने 'सूक्ष्म वित्त' के बढ़ते महत्व तथा प्रासंगिकता को देखते हुए उसमें अपनी सहभागी संस्थाओं, जैसे-बैंकों, गैर सरकारी संगठनों तथा सरकारी एजेंसियों को उनके क्षमता-निर्माण के लिए वित्तीय और अन्य सहायता देना जारी रखा है । इन सहभागी संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये । इन सकारात्मक प्रोत्साहक प्रयासों के अतिरिक्त, 'राष्ट्रीय बैंक' ने ग्रामीण ऋणकर्ताओं को ऋण वितरण करने की प्रणाली में सुधार हेतु 'स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेन्ट एण्ड को-ऑपरेशन' और क्षमता-निर्माण हेतु 'जी.टी.जेड.जर्मनी' जैसी विदेशी एजेंसियों के साथ सहयोग करना भी जारी रखा । ये उपाय निःसंदेह रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधा को सुदृढ़ कर रहे हैं ।

भारत में 'सूक्ष्म वित्त' की उपादेयता

इन दिनों भारत के निर्धनों के लिए 'सूक्ष्म वित्त' अवधारणा तथा पहुँच पहले के किसी भी समय से अधिक है । विशेषकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वयन की आवश्यकता के मद्देनजर यह और भी वाँछित हो जाता है । वर्ष 1996 में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 9,250 रूपये की आय के आधार पर भारत विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों में से एक है । 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (1981-82) के 'अखिल भारतीय कर्ज तथा विनियोग सर्वेक्षण प्रतिवेदन' के अनुसार - 1,000 रूपयों तक की परिसम्पत्ति रखने वाले 76.7 प्रतिशत 'निर्धनों में से निर्धन व्यक्तियों' ने गैर संस्थागत एजेंसियों से ऋण लिया । यह एक निर्विवाद कड़ुवा तथ्य है कि भारतीय जनसंख्या के लगभग 30 प्रतिशत भाग को नियमित रोजगार के अवसर अथवा आय की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात वे अर्द्ध-बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित हैं । इस कारण वे निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने को अभिशप्त हैं ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'वैश्विक कार्यक्रम तथा विकास की रणनीति' के एक भाग के रूप में - भारत को अपनी 2.5 करोड़ निर्धन महिलाओं को 'सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमान्तर्गत' लाने की प्रतिबद्धता का निर्वहन करना है तथा लगभग 15,000 करोड़

रूपयों की व्यवस्था करनी है, ताकि अगले 10 वर्षों में महिलाओं को 'तार्किक रूप से अच्छे रहन-सहन का स्तर' सुनिश्चित किया जा सके। पेय-जल, स्वास्थ्य सुविधा, ईंधन की उपलब्धता आदि बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के परिदृश्य को छोड़ भी दिया जाये, तो भी यह ज्ञातव्य है कि ग्रामीण निर्धनों को (विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों, सूखा-उन्मुख / रेगिस्तानी तथा शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में निवास करने वालों को) रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी के कारण 'वित्तीय निर्धनता' का दंश प्रायः झेलना पड़ता है। ऐसे क्षेत्र में 'सूक्ष्म वित्त' द्वारा एस.एच.जी. के माध्यम से बैंकों द्वारा निर्धनों को यथेष्ट साख-सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन किया जा सकता है। इससे निर्धनों की आय-संवर्द्धन की गति तीव्र होगी जिसकी भारत को जरूरत है।

स्तरोन्नयन के सुधारात्मक उपाय

'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' द्वारा चयन के आधार पर विभिन्न 'गैर-सरकारी संगठनों', स्वयं सहायता समूहों; 'संघों' तथा 'साख-संस्थाओं' को एस.एच.जी. तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण सुविधा प्रदान किये जाने हेतु 'चक्रीय (रिवाल्विंग) निधि सहायता (आर.एफ.ए)' से राशि उपलब्ध कराये जाने के पूर्व इन 'एन.जी.ओ.', 'एस.एच.जी.' तथा 'साख-संस्थाओं' के पिछले पाँच वर्षों के ऋण देने संबंधी क्रिया-कलापों, आधारों, पक्षपातरहितता तथा इनके समन्वयकों, निदेशकों, प्रबंध निदेशकों आदि के पूर्व एवम् वर्तमान सम्पत्तियों की विस्तृत जाँच कर लेनी चाहिए। 'आर.एफ.ए.', 'राष्ट्रीय महिला कोष' इत्यादि द्वारा बड़ी राशियों की सहायता प्राप्त करने वाले 'एन.जी.ओ.', तथा 'वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करनेवाली अन्य साख -संस्थाओं' के सदस्यों को ऋण-सुविधा मुहैय्या कराने से संबंधित क्रिया-कलापों का समय-समय पर **औचक निरीक्षण** कराने, इनके लेखा-जोखा की जाँच करने, एस.एच.जी. के सदस्यों, विशेषकर महिला सदस्यों को बैंकिंग सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानों, ऋण-अदायगी, बैंकों एवं सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक विकास हेतु समय-समय पर संचालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान कराने के लिए 'नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए बैंकों / 'जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों' द्वारा मानदेयाधारित प्रत्येक '10 एस.एच.जी.' के लिए सम्बन्धित जिलों / प्रमंडलों के एक-एक लब्ध प्रतिष्ठित / सुस्थापित 'ग्रामीण अर्थशास्त्रियों', 'ग्रामीण विकास विशेषज्ञों', 'कृषि अर्थशास्त्रियों', 'कृषि वैज्ञानिकों', 'बैंकर', 'अंकेक्षक', 'सहकारिता' के प्राध्यापकों तथा 'पंचायत या प्रखण्ड स्तर पर निर्वाचित जन - प्रतिनिधियों' की टीम / कार्यदल बनाया जाना चाहिए।

उपर्युक्त विशिष्ट उपायों से 'सूक्ष्म वित्त' की कार्य-प्रणली में और सक्षमता आयेगी। इससे भारत के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास का मार्ग तीव्र गति से प्रशस्त होगा और यही समय की माँग भी है।

प्रयुक्त शब्दावली

सूक्ष्म वित्त	Micro finance	एक - छत्रीय योजना	Single window scheme
स्तरोन्नयन	Upgradation	संवर्द्धन एवं सहबद्धता	Promotion & Co-ordination
आर्थिक सशक्तीकरण	Financial empowerment	औचक निरीक्षण	Surprise inspection

संदर्भ ग्रंथ विवरणिका

(1) डॉ. सरकार, ए.एन. ''इन्नोसन्स इन माइक्रो-फिनान्स लिंक्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स'', 'कुरूक्षेत्र'', दिसम्बर, 2001, पृष्ठ सं. 2-08.
(2) नाबार्ड, 2001
(3) डॉ. पटेल, ए.आर. ''नेशनल बैंक न्यूज रिव्यू'', खंड-18, संख्या 2, अप्रैल-जून 2002, पृष्ठ सं.-32-38
(4) ''फिनान्सिंग एग्रीकल्चर'', जनवरी-मार्च 2001
(5) ''नाबार्ड वार्षिक प्रतिवेदन (2001-2002)'', पृष्ठ संख्या - 16,166,167
(6) ''नाबार्ड वार्षिक प्रतिवेदन (2000-2001)''
(7) राव, वी.एम. ''वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स : प्रोफाईल्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश एण्ड कर्नाटका'', ''नेशनल बैंक न्यूज रिव्यू'', अप्रैल-जून, 2002, पृष्ठ सं. 62-68
(8) डॉ. पटेल ए.आर. ''माईक्रो - फिनान्स एण्ड माइक्रेा फिनान्स इंस्टीट्यूशन्स-नीड फॅार बैंक्स इनिशिएटिव एण्ड कमीटमेंट '', वही, पृष्ठ - 35

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

विनय बंसल
भारतीय स्टेट बैंक,
आगरा

प्रस्तावना

मार्च 2002 में समाप्त नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विनिवेश कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में कहा गया है कि वर्ष 1990-91 से 2001-02 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में विनिवेश से 26738 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई जबकि लक्ष्य 66000 करोड़ रुपये का रखा गया था। इस दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 47 उपक्रमों एवं उनकी सहायक इकाइयों में विनिवेश किया गया। जिन 47 उपक्रमों में विनिवेश किया गया उनमें से केवल 12 कंपनियों की बिक्री सीधे **प्रबंधकीय भागीदारों** को की गयी। दसवीं पंचवर्षीय योजना में विनिवेश द्वारा 78000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

कुछ क्षेत्रों में पूंजी निवेश बहुत अधिक होता है तथा लाभ अपेक्षाकृत कम होता है जिसके कारण निजी उद्यमियों की उनमें रुचि नहीं होती है या फिर सीमित रुचि होती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना का कारण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आशय ऐसे उपक्रमों से है जिनका स्वामित्व एवं प्रबंध सरकार के अधीन रहता है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना निम्नलिखित कारणों से की गयी है :

(i) स्वतंत्रता के समय देश में औद्योगिक **आधारभूत सुविधाओं,** यथा-यातायात, संचार, लोहा व इस्पात, भारी इंजीनियरिंग तथा सीमेंट जैसे उद्योगों का अभाव था। अत्यधिक विनियोजन के कारण निजी क्षेत्र इनका विकास करने में समर्थ नहीं थे। अतः सरकार को आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा।

(ii) कुछ क्षेत्रों में पूंजी निवेश बहुत अधिक होता है तथा लाभ अपेक्षाकृत कम होता है जिसके कारण निजी उद्यमियों की उनमें रुचि नहीं होती है या फिर सीमित रुचि होती है। अतः सरकार को स्वयं उन दोनों का विकास करना होता है।

(iii) कुछ लोकोपयोगी सेवाएं देश की जनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं जिनके कारण उन्हें निजी क्षेत्र के अधीन नहीं छोड़ा जा सकता।

(iv) **सामरिक महत्व** के कारण परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरणों आदि के निर्माण संबंधी उद्योगों को निजी क्षेत्र के अधीन नहीं छोड़ा जा सकता।

(v) रोजगार के वृहद अवसर प्रदान करने, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके संतुलित क्षेत्रीय विकास करने, निजी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के पुनरुत्थान तथा निजी क्षेत्र के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आवश्यक हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बढ़ता घाटा

मार्च 1994 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 240 थी जिनमें कुल 159307 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी जबकि, इनका कुल शुद्ध लाभ 1993-94 में मात्र 4435 करोड़ रुपये था। कुल 240 पूंजी उपक्रमों में से 117 उपक्रमों ने वर्ष 1993-94 में 5287 करोड़ रुपये का घाटा उठाया जिसे तालिका - 1 में दिखाया गया है।

तालिका - 1

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का घाटा

वर्ष	निवेश की गई पूंजी (करोड़ रुपये)	हानि वाले उपक्रमों की संख्या	हानि वाले उपक्रमों का कुल घाटा (करोड़ रुपये)
1990-91	102084	111	3122
1991-92	117991	102	3273
1992-93	140110	106	4113
1993-94	159307	117	5287

विनिवेश आयोग का गठन

निरंतर बढ़ते घाटे तथा **न्यून कार्यक्षमता** के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों तथा राजनीतिज्ञों की आलोचना का विषय बन गये और इन्हें सफेद हाथी कहा जाने लगा। इन उपक्रमों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए इन्हें निजी क्षेत्र को बेच देने, इनके प्रबंध में निजी भागीदारी बढ़ाने और रुग्ण **अव्यवहार्य इकाइयों** को बंद कर देने की मांग की जाने लगी।

इसी क्रम में अगस्त 1996 में श्री जी बी रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की सीमा, रणनीति, क्रियाविधि आदि के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में 58 उपक्रमों में विनिवेश की सिफारिश की। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए दिसम्बर 1999 में केन्द्र सरकार द्वारा एक पृथक विभाग की स्थापना भी की गयी।

विनिवेश क्या है ?

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में निजी पूंजी निवेश की अनुमति देना, इस प्रकार के स्वामित्व को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलना या सरकार की शेयरधारिता को बेचना विनिवेश कहलाता है।

भारत में विनिवेश की आवश्यकता

हमारे देश में विनिवेश की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महसूस की जाती रही है :

1. *केन्द्र और राज्य सरकारों का बढ़ता घाटा*

वर्तमान में केन्द्र और राज्य सरकारों का मिला-जुला **राजकोषीय घाटा** देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है, अर्थात् सरकार को हर वर्ष राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत उधार लेकर खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि निवेश के लिए सरकार के पास कुछ भी न बचे। अतः सरकार को आने वाले खतरे को भांपकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की नीति जारी रखनी चाहिए।

2. *सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में न्यून लाभप्रदता*

सामान्यतया, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में रहते हैं और सरकार से संसाधनों की मांग करते रहते हैं जबकि निजी उद्यम सरकार को संसाधन उपलब्ध कराते हैं और लाभ भी अर्जित करते हैं। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में व्याप्त कमियों एवं असफलताओं को दूर करके उनकी लाभप्रदता बढ़ाने के उद्देश्य से उनमें विनिवेश किया जाना आवश्यक है।

3. *अकुशल प्रबंध*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में निजी क्षेत्र में प्रबंध अधिक कुशल ढंग से होता है। निजी क्षेत्र की कुशल प्रबंधकीय क्षमता का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रयोग करके उनके कार्यनिष्पादन में सुधार किया जा सकता है। इस दृष्टि से भी विनिवेश आवश्यक है।

4. *आर्थिक विकास की न्यून दर*

विनिवेश द्वारा जहां एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में **सरकारी हस्तक्षेप** को नियंत्रित करना संभव हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर विनिवेश से प्राप्त धनराशि का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास हेतु किया जा सकेगा।

5. *विदेशी ऋण का बोझ*

भारत पर विदेशी ऋण के बढ़ते बोझ को देखते हुए भी विनिवेश आवश्यक है। विनिवेश के जरिए एकत्र संसाधनों से विदेशी ऋण का भुगतान करके उसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

6. *प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाना*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी उनमें विनिवेश आवश्यक है।

7. *विश्व व्यापार संगठन का दबाव*

विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मांग है कि भारत में व्यापार प्रतिबंधों को शिथिल किया जाए तथा विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए।

8. *नवोन्मेषी सोच का अभाव*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सामान्यतया अत्यंत पुरानी एवं अव्यावहारिक मान्यताओं पर चलते हैं और उनमें क्रांतिकारी एवं **नवोन्मेषी सोच** का अभाव रहता है जबकि निजी क्षेत्र के उपक्रमों में पहल करने का साहस होता है और वे बाजार की मांग के अनुसार अपने आपको अद्यतन बनाये रखने की कोशिश करते रहते हैं।

9. *मजदूर संघों का वर्चस्व*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूर संघों का वर्चस्व रहता है जिससे अनुशासन में शिथिलता आती है जिसके फलस्वरूप उत्पादन में भी कमी आती है । इसके विपरीत, निजी क्षेत्र में उत्पादन और गुणवत्ता अपेक्षाकृत अधिक होती है ।

विनिवेश लक्ष्य और एकत्र संसाधन

वर्ष 1998-99 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के जरिये 5000 करोड़ रुपये एकत्र किये जाने का लक्ष्य रखा गया था । वर्ष 1999-2000 और 2000-01 में प्रत्येक वर्ष 10000 करोड़ रुपये का तथा वर्ष 2001-02 में 12000 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था । वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 में विनिवेश द्वारा क्रमशः 5371, 2600 तथा 2500 करोड़ रुपये जुटाए गये थे ।

सरकार नब्बे के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को बेचकर पैसा कमा रही थी, लेकिन वे महज पैसा बनाने के तरीके थे ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विक्रय

जनवरी 2000 में मॉडर्न फूड लिमिटेड की 74 प्रतिशत इक्विटी 105.45 करोड़ रुपये में निजी क्षेत्र के हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को बेच दी गयी । मॉडर्न फूड लिमिटेड को हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के हाथों बेचे जाने के बाद उसकी बिक्री में आशातीत वृद्धि हुई तथा कार्यक्षमता में काफी सुधार हुआ । इसके बाद, जुलाई 2000 में लगन जूट मशीनरी कंपनी की 74 प्रतिशत इक्विटी मुरलीधर रतनलाल एक्सपोर्ट्स को 2.53 करोड़ रुपये में बेची गयी । मार्च 2001 में बाल्को की 51 प्रतिशत इक्विटी 826.50 करोड़ रुपये में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ को बेची गयी । निजीकरण के बाद इनकी कार्यक्षमता में भी काफी सुधार हुआ है ।

विनिवेश प्रक्रिया में तेजी

सरकार नब्बे के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को बेचकर पैसा कमा रही थी, लेकिन वे महज पैसा बनाने के तरीके थे । 1991 और 1999 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग 100 कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी के कुछ अंश बेचकर 18000 करोड़ रुपये उगाहे गये लेकिन एक भी कंपनी का निजीकरण नहीं किया गया । परिमाणस्वरूप सरकार को कुछ पैसा तो मिल गया लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रबंधन में कुछ बदलाव नहीं आया, कंपनियां अक्षम बनी रहीं । 1999 के अंत में विनिवेश मंत्रालय ने विनिवेश से निजीकरण की ओर ध्यान दिया, और शेयरों की छिटपुट बिक्री से सरकारी स्वामित्व की रणनीतिक बिक्री की ओर साहसिक कदम उठाया ।

लेकिन विनिवेश प्रक्रिया में तेजी जुलाई 2001 में श्री एच. आर. पाटिल की अध्यक्षता में नया विनिवेश आयोग गठित हो जाने के बाद आयी । सितम्बर 2001 से जून 2002 तक की 10 माह की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उपक्रमों को बेचा जा चुका है । इनका विवरण तालिका - 2 में दिया गया है ।

विनिवेश की प्रक्रिया में बाधाएं

विनिवेश की प्रक्रिया का मार्ग निर्बाध नहीं है । कुछ लोगों का मत है कि विनिवेशीकरण के बारे में नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है । विनिवेशीकरण के जरिये निजी क्षेत्र के एकाधिकार को रोकना होगा । ऐसे लोगों का मानना है कि जिन होटलों को आज बेचा जा रहा है उनकी जमीन की कीमत ही करोड़ों रुपये है । इन होटलों के खरीदार इनकी जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये कमा सकते हैं । अतः इन्हें बेचने के बजाय ठेके पर देना उचित होगा । विनिवेश प्रक्रिया का समर्थन न करने वालों के एक तबके का कहना है कि विनिवेशीकरण की प्रक्रिया ब्रिटेन में शुरू हुई थी, लेकिन वहां नतीजे अच्छे नहीं रहे । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दिवालिया होने के बाद फिर से इनका राष्ट्रीयकरण किया गया । हमें इससे सबक लेना चाहिए ।

विनिवेश की प्रक्रिया पर उंगलियां उठती रही हैं। उदाहरण के लिए, मॉडर्न फूड और सार्वजनिक क्षेत्र के कई अन्य उपक्रमों की परिसंपत्तियों को कम कीमत पर बेचने के आरोप सरकार पर लगते रहे हैं ।

तालिका - 2

माह-वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	बेची गयी इक्विटी (%)	बिक्री से आय (करोड़ रुपये)	खरीदार का नाम
सितम्बर 2001	सीएमसी	51.00	152.00	टाटा संस लि.
अक्तूबर 2001	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि.	74.00	55.00	हिमाचल फ्यूचरिस्टिक
अक्तूबर 2001	होटल एअरपोर्ट, मुंबई	100.00	83.00	ए. एल. बत्रा
अक्तूबर 2001	होटल जुहू, मुंबई	100.00	153.00	ट्यूलिप हॉस्पिटलिटी
अक्तूबर 2001	होटल राजगीर	100.00	6.51	इनपेक ट्रैवल्स
नवम्बर 2001	होटल अशोक, बेंगलूर	पट्टे पर	39.41	भारत होटल्स
नवम्बर 2001	होटल बोधगया अशोक	100.00	2.01	लोटस निक्को होटल्स
नवम्बर 2001	होटल हसन अशोक	100.00	2.51	मलनाड होटल्स
जनवरी 2002	होटल मदुरै अशोक	100.00	5.48	संगू चक्र होटल्स
फरवरी 2002	वीएसएनएल	25.00	3689.00	टाटा समूह
फरवरी 2002	आइबीपी	33.58	1153.68	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
फरवरी 2002	पारादीप फॉस्फेट्स लि.	74.00	151.70	जुआरी मारोक फॉस्फेट्स लि.
फरवरी 2002	जेसप एंड कंपनी लि.	72.00	18.18	रुइया कोटेक्स
फरवरी 2002	हिंदुस्तान जिंक लि.	26.00	445.00	स्टरलाइट इंडस्ट्रीज
फरवरी 2002	ममल्यापुरम अशोक बीच रिसॉर्ट	100.00	6.80	जी.आर.तंगा मलिगै
फरवरी 2002	होटल आगरा अशोक	100.00	3.93	मोहन सिंह
फरवरी 2002	कुतुब होटल, दिल्ली	100.00	35.67	सुशील गुप्ता एंड कंसोर्टियम
फरवरी 2002	लोदी होटल, दिल्ली	100.00	76.22	सिल्वरलिंक होल्डिंग्स
फरवरी 2002	लक्ष्मी विलास होटल, उदयपुर	100.00	7.52	भारत होटल्स
मई 2002	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि.	26.00	1490.84	रिलायंस इंडस्ट्रीज़
मई 2002	मारुति उद्योग	49.74	2424.00	सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन
जून 2002	कोवलम अशोक बीच रिसॉर्ट	100.00	43.68	एम. आर. होटल्स लि.
जून 2002	होटल एअरपोर्ट अशोक, कोलकाता	100.00	20.01	ब्राइट एंटरप्राइसेस
जून 2002	होटल औरंगाबाद अशोक	100.00	17.40	लोकसंगम होटल्स लि.
जून 2002	होटल मनाली अशोक	100.00	4.00	ऑटो इंपेक्स लि.

परंतु सरकार किसी भी हालत में विनिवेश कार्यक्रम को रोकना नहीं चाहती । इस बारे में किए जा रहे विरोधों के बारे में सरकार का कहना है कि हर संगठन को किसी भी नीति का विश्लेषण करने और उसकी आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन इससे विनिवेश कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा ।

उपसंहार

यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को **प्रतिस्पर्धी और अर्थक्षम** बनाना है तो उनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, उनमें विनिवेश करना होगा । आर्थिक दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश समय की मांग है । आवश्यकता इस बात की है

कि सरकार सभी को विश्वास में लेकर आम सहमति बनाए तथा विनिवेश प्रक्रिया में यथावश्यक संशोधन करे । सरकार इस बात का विश्वास दिलाए कि विनिवेश से होने वाली आय से पुरानी **देयताओं** की चुकौती की जाएगी, आधारभूत योजनाओं में निवेश किया जाएगा, **तकनीकी उन्नयन** तथा देश के आर्थिक विकास हेतु खर्च किया जाएगा ।

इस प्रकार अंततः बीपीसीएल और एचपीसीएल के निवेश पर आम सहमति के पश्चात् इनके विनिवेश का रास्ता साफ हो गया है और विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है ।

यदि विनिवेश से प्राप्त संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो 8 प्रतिशत की विकास दर हासिल की जा सकती है। वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश आर्थिक सुधारों की दूसरी पीढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है । अब देखना यह है कि विनिवेश प्रक्रिया में क्या संशोधन किया जाता है और कौन सी आम सहमति बनती है ।

प्रयुक्त शब्दावली

विनिवेश	Disinvestment	राजकोषीय घाटा	Fiscal deficits
प्रबंधकीय भागीदार	Managerial partners	सरकारी हस्तक्षेप	Govt. interference
आधारभूत सुविधा	Infrastructural facilities	नवोन्मेषी सोच	Innovative thinking
सामरिक महत्व	Strategic importance	प्रतिस्पर्धी और अर्थक्षम	Competitive & viable
न्यून कार्यक्षमता	Low efficiency	देयताएं	Liabilities
अव्यवहार्य इकाइयां	Non-viable units	तकनीकी उन्नयन	Technical upgradation

"राष्ट्रभाषा हिन्दी किसी व्यक्ति या प्रांत की संपत्ति नहीं है, उस पर सारे देश का अधिकार है ।"

- सरदार वल्लभ भाई पटेल

बैंकबीमा : आय के नये स्रोतों की तलाश *

एस. के. टंडन
महाप्रबंधक,
देना बैंक, मुंबई

विविध क्षेत्रों में विद्यमान स्थूल-आर्थिक असंतुलन को दूर करने की दिशा में आर्थिक उदारीकरण के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रारंभ की गई सुधार प्रक्रिया के फलस्वरूप बीमा क्षेत्र को मुक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ । बीमा सुधारों के संबंध में 1993 में गठित मल्होत्रा समिति ने कतिपय ऐसे मुद्दों को रेखांकित किया, जिनसे यह संकेत प्राप्त हुआ कि बीमा क्षेत्र में होनेवाले भावी सुधार भी बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की भांति ही होंगे और यह क्षेत्र भी धीरे-धीरे निजी क्षेत्र के लिए मुक्त कर दिया जाएगा । इसमें विदेशी कंपनियों को परिचालन की अनुमति देने के पूर्व घरेलू कंपनियों को अवसर प्रदान किए जाएंगे । उक्त संकल्पना ने राष्ट्रव्यापी बहस को जन्म दिया और जीवन (लाइफ) तथा सामान्य (नॉन-लाइफ) दोनों ही क्षेत्रों में कई निजी कंपनियां प्रवेश कर चुकी हैं ।

बीमा सुधारों के संबंध में 1993 में गठित मल्होत्रा समिति ने कतिपय ऐसे मुद्दों को रेखांकित किया, जिनसे यह संकेत प्राप्त हुआ कि बीमा क्षेत्र में होनेवाले भावी सुधार भी बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की भांति ही होंगे और यह क्षेत्र भी धीरे-धीरे निजी क्षेत्र के लिए मुक्त कर दिया जाएगा ।

भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण के उपरांत उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण वर्ग सहित देश के दूर-दराज के भागों तक अपनी पहुंच बनाते हुए कार्यालयों का एक **सुदृढ़ नेटवर्क** स्थापित कर लिया है । हालाँकि, उनकी कुछ सीमाएं रही हैं , जिनका वर्णन निम्नानुसार किया जा सकता है :

★ कुशल प्रबंधन एवं शीर्ष स्तरीय प्रबंधन की दृष्टि से ढांचे की अत्यधिक विशालता ।

★ सूचना प्रणाली का कमजोर होना तथा **आक्रामक विपणन** ढांचे का अभाव, जिसके फलस्वरूप संगठनात्मक अकुशलता निर्मित होती है ।

★ एकाधिकार, ट्रेड-यूनियनवाद तथा ग्राहक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव ।

★ दशकों से बाजार में सक्रिय रहने के बावजूद जनता में पर्याप्त बीमा जागरूकता निर्मित नहीं कर पाए और इस प्रकार बीमा योग्य आबादी की पहुँच बनाने में असफलता ।

★ न्यूनतम लागत ढांचे पर ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करना और उनके प्रति उचित सरोकार दर्शाना ।

★ त्वरित निर्णय लेने की दृष्टि से कार्यकलापों का **विकेन्द्रीकरण** ।

संभवतः, इन्हीं कारणों से राष्ट्रीयकृत क्षेत्र संभाव्यताओं का पूरी तरह **दोहन** नहीं कर पाया, जिनका पता निम्नलिखित ऐसे संकेतकों के आधार पर लगाया जा सकता है, जो भारत में बीमा कारोबार की पैठ का परिचय देते हैं :

1. 1999 में जापान में प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम 4800 डालर था । कोरिया गणराज्य में यह 1000 डालर, सिंगापुर में 823 डालर, हांगकांग में 823 डालर, मलेशिया में 144 डालर था जबकि भारत में यह मात्र 8 डालर था ।
2. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में बीमा

*भारतीय बैंक संघ, मुंबई की अनुमति से पुनर्प्रस्तुत । मूल रूप से आयबीए बुलेटिन के मार्च 2003 अंक में प्रकाशित ।

प्रीमियम का अनुपात जापान में 14%, दक्षिण अफ्रीका में 13%, कोरिया में 12%, इग्लैंड और फ्रांस में 9% के उच्चतर स्तर तक था। भारत में 1999 में यह अनुपात केवल 2% के लगभग था।

3. सकल घरेलू बचतों की तुलना में एक अन्य प्रासंगिक अनुपात बीमा प्रीमियम हो सकता है। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो जहां यह अनुपात इग्लैंड में 52%, अन्य यूरोपीय एवं अमेरिकी देशों में लगभग 35% था, तो भारत में यह महज 9% था।

4. सकल बीमा प्रीमियम की दृष्टि से विश्व बाजार में भी भारत का अंश अत्यल्प था। यह जापान के मामले में 31%, यूरोपीय देशों के मामले में 25% था जबकि भारत के मामले में यह केवल 0.3% है।

उपर्युक्त सभी संकेतकों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम चार दशकों की दीर्घ अवधि के उपरांत भी बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में उपलब्ध संभाव्यताओं का भरपूर दोहन नहीं कर सके। बीमा क्षेत्र को मुक्त कर दिए जाने के फलस्वरूप, विविध प्रकार की ऐसी नयी कंपनियां इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं जिनके लिए यह आवश्यक है कि वे स्वयं अपने लिए लाभ-अलाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के अलावा, इस भारी अंतराल को दूर करने में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयासों में सहायक हों। नयी कंपनियों को भारी रकम का निवेश करना होगा तथा उन्हें समर्थ बनाने हेतु लगभग 5 वर्षों की **अनुग्रह अवधि** प्रदान की जाएगी। उन्हें वास्तव में, यथासंभव अल्पतम अवधि के भीतर ही लाभ उठाने के उद्देश्य से कठिन प्रयास भी करने होंगे।

निजी क्षेत्र की सीमाएं

निजी क्षेत्र की नयी कंपनियों को भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम जैसे दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने जैसी चुनौती का सामना करने में कतिपय कमजोरियों का अनुभव करना पड़ता है, जिनका प्रभावी ढंग से निवारण किया जाना आवश्यक है। इनमें से कुछेक कमजोरियां हैं उनके बहुत छोटे नेटवर्क तथा सीमित पहुंच, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की तुलना में बाजार में उनकी उपस्थिति एवं विश्वसनीयता, ग्राहकों से संरक्षण के अभाव तथा अपनी पहचान बना पाने जैसी चुनौती से संबंधित हैं। ये सब न केवल **समयसाध्य** हैं, अपितु अधिक पूंजी की आवश्यकता से भी संबंधित हैं। वे अपने शाखा नेटवर्क में रातोंरात वृद्धि नहीं कर सकते और न ही ग्राहकों का विश्वास सहजता से अर्जित कर सकते हैं।

इसलिए तार्किक दृष्टि से स्वयं अपने नेटवर्क से परिचालन करने के अलावा उन्हें सहयोग करने जैसे किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी होगी, ताकि उन्हें ऐसे बने-बनाये बिक्री केन्द्र उपलब्ध हो सकें जो विश्वसनीय एवं बेहतर कारोबार के रिकॉर्ड, अच्छी साख तथा ग्राहक संरक्षण से युक्त हों। ऐसे परिदृश्य में, बैंकों का सुस्थापित शाखा नेटवर्क उनकी सभी चिंताओं का उपयुक्त निराकरण करने में सफल होगा। बैंकों का अपने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध होने के कारण उन्हें शाखाओं के बड़े नेटवर्क के जरिये ग्राहकों की निष्ठा प्राप्त है।

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र की नयी कंपनियों ने निम्नानुसार सहयोग किया है :

जीवन बीमा कंपनियां	बैंक
एलायेन्ज-बजाज लाइफ	स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिण्डलेज़
बिड़ला-सन लाइफ	सिटी बैंक, ड्यूश बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान
एवीवा इन्शोरेंस	केनरा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, एबीएन एमरो
एचडीएफसी-स्टैण्डर्ड लाइफ	एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक
आईएनजी-वैश्य लाइफ	दि वैश्य बैंक लि.
भारतीय जीवन बीमा निगम	कॉरपोरेशन बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
मेट लाइफ	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक धनलक्ष्मी बैंक
टाटा-एआईजी लाइफ	सिटी बैंक, एचएसबीसी

सामान्य बीमा कंपनियां	बैंक
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	आईसीआईसीआई बैंक
रॉयल सुन्दरम एलायेन्स	स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिण्डलेज़, एबीएन एमरो, सिटीबैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक
टाटा-एआईजी जनरल	एचएसबीसी
न्यू इंडिया एश्योरेंस	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बजाज-एलायेन्स	बैंक ऑफ राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. बैंक ऑफ पंजाब
युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस	इंडियन बैंक

बैंक का दृष्टिकोण

ब्याज अन्तर में हो रही निरंतर कमी के विद्यमान परिदृश्य में बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए गैर-ब्याजगत आय के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश भी कर रहे हैं। उनके पास कार्यालयों का सुव्यवस्थित नेटवर्क है और ग्राहकों के एक विशाल वर्ग के साथ दीर्घकालिक संबंध भी हैं। उन्हें उनका विश्वास भी हासिल है। मौजूदा प्रतियोगी वातावरण में उन्हें भी अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए अधिक राजस्व सृजन करने के उद्देश्य से अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। तथापि, कुछ बैंकों को विशेष रूप से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद की स्थिति में **अधिशेष जनशक्ति** की कमी के कारण इस कारोबार को चलाने में कठिनाई हो सकती है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन, सामाजिक सुरक्षा पद्धति की कमी, जीवन की अपेक्षाओं में वृद्धि, जीवन शैली में सुधार और ब्याज दर परिदृश्य में गिरावट आदि ने जीवन बीमा के प्रति लोगों की मनोदशा को बदला है।

बैंक बीमा

संभवतः, भारत में बैंकबीमा की संकल्पना के रूप में यह अप्रत्यक्ष वरदान है। हमारे देश में नया हो सकता है किन्तु विश्व के अन्य हिस्सों में यह बहुत सफल सिद्ध हुआ है। यह सभी प्रमुख मुद्दों का निराकरण करता है चाहे वे बीमा क्षेत्र से हों या फिर बैंक से संबंधित हों। बैंकबीमा प्रमुखतः बीमा-कारोबार में बैंकों के प्रवेश का संकेत देता है। यह प्रमुखतः तीन प्रकार का रूप ले सकता है जो इस प्रकार हैं :

1. निर्दिष्ट प्रणाली

इस प्रकार की व्यवस्था के तहत, चूंकि बैंक के पास बीमा कारोबार का संचालन करने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षित एवं पूर्णतया कुशल स्टाफ उपलब्ध नहीं है, इसलिए **अन्तरवर्ती व्यवस्था** करनी पड़ेगी, जिसमें बीमा कंपनी के अधिकारी नामित बैंक शाखाओं में बैठेंगे और बीमा कारोबार का संचालन करेंगे। गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 अक्तूबर, 2002 को मौद्रिक नीति के बारे में अपनी घोषणा में भी इस प्रणाली का उल्लेख किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ व्यवस्थाओं को अनुमोदित किया गया है। यह संपूर्ण कारपोरेट एजेंसी लेने के लिए बैंकों का एक अग्रगामी कदम हो सकता है।

2. कारपोरेट एजेंसी प्रणाली

इस व्यवस्था के तहत बैंक को अपने ढांचे/जनशक्ति का नियोजन करना है और बीमा कंपनी के एजेंट की हैसियत से स्वयं अपने आप बीमा कारोबार का संचालन करना है। इसके लिए दिशानिर्देश, जो कि अब तक बहुत सख्त थे, 17 अक्तूबर, 2002 की राजपत्र अधिसूचना के आधार पर सरल कर दिये गये हैं और अब निदेशकों द्वारा प्रशिक्षण एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने जैसी शर्त से छूट दे दी गई है। किन्तु इस प्रणाली के तहत यह आवश्यक है कि इस प्रकार का कारोबार करने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त प्रशिक्षित एवं निपुण स्टाफ होना चाहिए।

3. सहायक अथवा संयुक्त उद्यम स्थापित करना

कुछ बैंक कतिपय बीमा कंपनियों के साथ सहायक अथवा संयुक्त उद्यम स्थापित करना पसंद कर सकते हैं। बीमा कंपनी अपने बीमा कारोबार का संचालन करेगी और वित्तीय प्रभावों के लिए उन्हें कुछ साधन तलाश करने होंगे।

जीवन बीमा कारोबार

इस विषय पर गहन विचार-विमर्श हेतु हम जीवन बीमा कारोबार, बैंकबीमा और उनकी संभावनाओं पर चर्चा करते हैं।

जीवन बीमा क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक प्रवृत्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन, सामाजिक सुरक्षा पद्धति की कमी, जीवन की अपेक्षाओं में वृद्धि, जीवन शैली में सुधार और ब्याज दर परिदृश्य में गिरावट आदि ने जीवन बीमा के प्रति लोगों की मनोदशा को बदला है। पहले, जहां बहुत से लोगों द्वारा बीमा को कर बचत और दीर्घकालिक बचत के साधन के रूप में देखा जाता था वहीं अब जोखिम सुरक्षा के बारे में बोध बढ़ रहा है जिससे ऐसे कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ऐसे कारोबार के लिए बैंक बेहतरीन साझेदार हो सकते हैं क्योंकि जीवन बीमा वित्तीय आयोजना से जुड़ा है और निवेशकों को मार्गदर्शन प्रदान करने में निधि प्रबंधन में विशेषज्ञ वितरण चैनल बहुत उपयोगी हो सकता है। साथ ही, बैंकों को कई दशकों से अपने लाखों-करोड़ों ग्राहकों का दीर्घकालिक संरक्षण और विश्वास प्राप्त है। भारत में जीवन बीमा कारोबार की पैठ और संभावनाओं पर सरकारी नजर डालने पर हम पाते हैं कि :

- भारत की 100 करोड़ की आबादी में से केवल 3.5 करोड़ (3.5%) लोगों का बीमा किया गया है।
- विकसित बाजारों में सन् 1994 में प्रति व्यक्ति प्रीमियम जापान में 3,817 अमेरिकी डालर, इंग्लैंड में 1,280 अमेरिकी डालर, संयुक्त राज्य अमेरिका में 964 अमेरिकी डालर था, जबकि भारत में यह केवल 4 अमेरिकी डालर था।
- उभरते बाज़ारों में भी हम संगृहीत कुल बीमा प्रीमियम की दृष्टि से ताइवान और चीन से नीचे हैं।
- चालू प्रवृत्तियों के आधार पर यह अनुमान है कि 10% आबादी अगले तीन वर्षों में बीमा सुरक्षा के तहत होगी और सन् 2010 तक जीवन बीमा कारोबार 2500 करोड़ रुपये तक अनुमानित है।
- विश्व बीमा बाजार में केवल 0.34% के बाजार अंश के साथ भारत की स्थिति 23 वीं है।

ये सभी बातें दर्शाती हैं कि बहुत लंबा मार्ग प्रशस्त करना है और हमारे पास दोहन की व्यापक संभावनाएं हैं।

भावी चुनौतियां :

उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना

हमारे देश में जहाँ साक्षरता-दर कम है, जनसमुदाय को शिक्षित करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस दुरूह कार्य को पूरा करने के लिए **विनियामक एवं विकास प्राधिकरण** (आईआरडीए) को बृहत् स्तर पर आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए उन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। बीमा कंपनियों को भी इस कार्य में अपनी ओर से उचित योगदान करना हेगा। मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों आदि के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे जागरूकता पैदा करने तथा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इसके महत्व को समझाने में सहायता करें।

ग्राहकों की अपेक्षाएं पूरी करना तथा कम से कम लागत पर उत्पाद उपलब्ध कराना

अपनी कम लागतवाली संरचना, अधुनातन प्रौद्योगिकी तथा गैर-सरकारी संस्कृति की सहायता से निजी क्षेत्र की नयी बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए किफायती उत्पाद विकसित करने में समर्थ होंगी।

अपनी कम लागतवाली संरचना, **अधुनातन प्रौद्योगिकी** तथा गैर-सरकारी संस्कृति की सहायता से निजी क्षेत्र की नयी बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए किफायती उत्पाद विकसित करने में समर्थ होंगी। निजी क्षेत्र के बैंकों की भांति ही, वे सार्वजनिक क्षेत्र के अपने प्रतिस्पर्धियों के समक्ष कठिन चुनौती प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं और संभवतः यही कारण है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी दिग्गज बीमा कंपनियां जागृत हो गई हैं और अत्यधिक आक्रामक बन गई हैं। इन सभी कंपनियों ने किफायती एवं आकर्षक उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से अपने संभाव्य ग्राहकों को लुभाने का अभियान छेड़ दिया है।

नये उत्पादों का विकास

अब ग्राहक बीमा कंपनियों से संपूर्ण वित्तीय निराकरण उपलब्ध कराने की आशा करने लगे हैं। वे यह जान गए हैं कि बीमा कंपनियां संपूर्ण सुरक्षा के साथ-साथ स्थायी आय भी प्रदान कर रही हैं। अतएव, इन कंपनियों को निरंतर परिवर्तित होती रहने वाली ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादों का सतत **नवोन्मेष** करना आवश्यक होगा।

विपणन

जहां कंपनियां उत्पादक नवोन्मेष करने में सफल रही हैं, वहीं उनमें से अधिकांश अब भी वितरण चैनलों के उचित संमिश्र की समस्या से जूझ रही हैं । इन्हें इक्विटी के निर्माण हेतु अधिकतम बाजार अंश पर कब्जा जमाने में गहन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है । इसके साथ ही, उन्हें सुदृढ़ एवं प्रभावी ग्राहक संबंध बनाने में भी पर्याप्त कठिनाई हो रही है ।

ग्राहक जागरूकता

बीमा विशेषतः जीवन बीमा कभी खरीदा नहीं जाता, अपितु वह बेचा जाता है । विशाल जन-समुदाय को, जिसे जीवन बीमा के अमूर्त लाभों की तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी जानकारी नहीं होती, समझाना वास्तव में बहुत कठिन कार्य होता है । इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि बीमा को कर-बचत एवं निवेश के साधन के बजाय **जोखिम आयोजना उपकरण** के रूप में प्रस्तुत किया जाए ।

भावी परिदृश्य

वर्ष 1999 में प्रीमियम की दृष्टि से भारतीय बाज़ार की अनुमानित संभाव्यता लगभग 3,44,000 करोड़ रुपये तथा बाज़ार के आकार में 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है । भारतीय जीवन बीमा निगम एवं साधारण बीमा निगम द्वारा बाजार के केवल 10% अंश का ही दोहन किया गया है तथा शेष 90% अप्रयुक्त पड़ा है ।

इस प्रकार के विशाल अप्रयुक्त बाज़ार को देखते हुए उक्त उद्योग का भविष्य बहुत उज्जवल है, किन्तु विनियामक को यह सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों के साथ-साथ बीमाकर्ताओं के हित संरक्षित रहें, इस दिशा में अत्यंत सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा ।

बैंकबीमा प्रणाली के त्वरित विकास हेतु वित्त मंत्रालय ने एक समिति का गठन भी किया है, जिसमें विनियामकों, बैंकरों एवं बीमाकर्ताओं का समावेश है । यह समिति बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से बीमा उत्पादों के प्रभावी वितरण के मॉडल निर्धारित करेगी । उक्त समिति को ऐसे प्रशासनिक उपाय सुझाने के भी निदेश दिए गए हैं जिनसे बैंकों को विशेषतः असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीमा उत्पादों के वितरण का कार्य आरंभ करने का प्रोत्साहन प्राप्त होगा ।

प्रयुक्त शब्दावली

सुदृढ नेटवर्क	Well knit network	अंतरवर्ती व्यवस्था	Intrinsic arrangement
आक्रामक विपणन	Aggressive marketing	विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	Regulatory & Development Authority
विकेंद्रीकरण	Decentralization		
दोहन	Utilisation	अधुनातन प्रौद्योगिकी	Latest technology
अनुग्रह अवधि	Grace period	नवोन्मेष	Innovation
समयसाध्य	Time Consuming		
अधिशेष जनशक्ति	Surplus man powar	जोखिम आयोजना उपकरण	Risk planning instrument

बैंकिंग परिदृश्य

(राशि करोड़ रुपयों में)

चयनित संकेतक *		17 मई 2002	16 मई 2003
1. कुल जमाराशियां	:	11,84,634	13,21,752
2. बैंक ऋण	:	6,42,195	7,31,140
3. ऋण-जमा अनुपात	:	54.21	55.32
4. नकद-जमा अनुपात	:	6.64	6.11
5. निवेश - जमा अनुपात	:	38.69	43.63

6. जनसंख्या समूह		रिपोर्ट करनेवाले कार्यालयों की संख्या	कुल योग का प्रतिशत	कुल जमाराशियां (करोड़ रुपयों में)	कुल योग का प्रतिशत	सकल बैंक ऋण (करोड़ रुपयों में)	कुल योग का प्रतिशत
ग्रामीण	दिसंबर 2001	32,496	49.04	1,49,522	14.64	61,139	10.46
	दिसंबर 2002	32,315	48.65	1,67,339	13.86	70,941	10.18
अर्धशहरी	दिसंबर 2001	14,632	22.08	2,01,241	19.70	67,012	11.47
	दिसंबर 2002	14,786	22.26	2,27,392	18.84	78,398	11.25
शहरी /	दिसंबर 2001	19,133	28.87	6,70,365	65.64	4,55,997	78.06
महानगरीय	दिसंबर 2002	19,309	29.07	8,11,888	67.28	5,47,375	78.56
योग	दिसंबर 2001	66,261	(100)	10,21,129	(100)	5,84,149	(100)
	दिसंबर 2002	66,410	(100)	12,06,619	(100)	6,96,715	(100)

*** टिप्पणी :**

(1) मद संख्या 1 से 5 में दिये गये आंकड़े 17 मई 2002 और 16 मई 2003 की स्थिति दर्शाते हैं । ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के दिनांक 1 जून 2002 और 31 मई 2003 के "वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट" से लिये गये हैं तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं ।

(2) मद सं. 6 में दिये गये आंकड़े दिसंबर 2001 और दिसंबर 2002 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति दर्शाते हैं । ये आंकड़े भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित, बैंकिंग सांख्यिकी से संबंधित दिसंबर 2001 और दिसंबर 2002 की तिमाही पुस्तिकाओं पर आधारित हैं ।

जमाराशियों / ऋण की मात्रा के अनुसार सर्वोच्च स्तर के पच्चीस केन्द्र
दिसंबर 2002

(राशि लाख रुपयों में)

जमाराशियाँ					ऋण				
दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)	दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुंबई	1,457	1864367,26	41.0	1	मुंबई	1,457	191218,86	52.8
2	दिल्ली	1,396	132599,84	17.8	2	दिल्ली	1,396	82734,72	13.4
3	कोलकाता	988	41879,76	13.7	3	चेन्नई	772	38991,48	16.6
4	बंगलूर	765	36176,66	27.1	4	कोलकाता	988	29355,09	15.2
5	चेन्नई	772	32093,62	17.7	5	बंगलूर	765	22501,59	24.1
6	हैदराबाद	537	23515,61	21.5	6	हैदराबाद	537	15598,74	12.1
7	अहमदाबाद	472	14661,88	17.4	7	अहमदाबाद	472	12398,50	19.9
8	पुणे	322	13145,59	19.2	8	चंडीगढ़	164	10546,64	8.3
9	लखनऊ	240	11531,72	18.1	9	पुणे	322	8175,73	20.0
10	चंडीगढ़	164	8399,08	10.2	10	जयपुर	243	5637,16	16.4
11	कानपुर	291	7400,68	14.3	11	वड़ोदरा	194	5318,82	11.4
12	जयपुर	243	7238,01	8.9	12	कोयम्बतूर	184	5253,02	9.7
13	वड़ोदरा	194	6964,23	10.2	13	लुधियाना	210	4726,24	15.4
14	जलंधर	156	6171.16	13.3	14	इन्दौर	184	4497,52	8.1
15	लुधियाना	210	6039,05	12.8	15	कोच्ची	215	3981,98	12.2
16	पटना	170	6025,11	9.2	16	दोराहा	5	3501,79 (128,20)	-0.3
17	कोच्ची	215	5884,93	13.2	17	तिरुवनन्तपुरम	166	3363,04	15.5
18	तिरुवनन्तपुरम	166	5527,79	18.8	18	लखनऊ	240	2997,16	24.0
19	इन्दौर	184	5044,98	15.7	19	श्रीनगर	92	2391,14	3.0
20	कोयम्बतूर	184	4977,20	20.0	20	विशाखापट्टनम	130	2270,96	7.9
21	भोपाल	162	4973,83	16.8	21	नागपुर	171	2178,76	14.2
22	सूरत	163	4612,73	19.8	22	कानपुर	291	2160,16	6.1
23	नागपुर	171	4510,69	15.3	23	भोपाल	162	2093,54	-1.2
24	अमृतसर	156	4441,39	10.4	24	तिरुपुर	50	2078,53	10.3
25	देहरादून	84	4379,87	59.4	25	भुवनेश्वर	113	1987,14	27.6

(स्रोत : बैंकिंग सांख्यिकी, तिमाही पुस्तिका दिसंबर 2002)

कंप्यूटर परिभाषा कोश*

Home Directory - मूल स्थान निर्देशिका : यूनिक्स परिचालन प्रणाली में किसी प्रयोक्ता के खाते से सम्बद्ध निर्देशिका । प्रयोक्ता *लॉग इन* करने पर पहले अपनी मूल स्थान निर्देशिका में पहुंचता है । इसी निर्देशिका में सामान्यतया वह अपनी महत्वपूर्ण उपयोगी फाइलें रखता है ।

Home Monitor - मूल स्थान मॉनिटर, होम मॉनिटर : जब कंप्यूटर को एक से अधिक मॉनिटरों से जोड़ा जाता है, तो उनमें जो मॉनिटर प्रमुख प्रदर्शन करता है, उसे होम मॉनिटर कहते हैं । यह किसी भी पी सी का प्रथम मॉनिटर होता है, जिसमें प्रणाली सूचना का प्रदर्शन होता है, जैसे डेस्कटॉप, टास्क बार आदि ।

Home Office - गृह-कार्यालय, होम ऑफिस : घर में ही कार्यालय के रूप में कोई कमरा / स्थान, जहां व्यवसाय संबंधी कार्य किया जा सकता हो, जिसमें कुछ कंप्यूटर, फैक्स, जेरॉक्स मशीन आदि उपकरण होते हैं ।

Horizontal Scroll Bar - क्षैतिज स्क्रोल बार : किसी भी विंडो के दाहिनी ओर दिखायी पड़नेवाली क्षैतिज पट्टी, जो विंडो में मौजूद विषयवस्तु को ऊपर-नीचे ले जाने के काम आती है । किसी भी स्क्रोल बार के शीर्ष और नीचे के हिस्से में तीरनुमा संकेतक (↑↓) होता है, इनके बीच एक स्क्रोल बॉक्स होता है ।

Host Language - अपनी भाषा : 1. सी पी यू के मामले में मशीन भाषा । 2. परिचालन प्रणाली द्वारा विशेष तौर पर समर्थित उच्च स्तरीय भाषा ।

Hot Key - आवेशित कुंजी, हॉट की : 1. कोई भी कुंजी अथवा कुंजियों का समूह, जिससे किसी भी क्रमादेशन का कोई विशेष कार्य संपन्न होता है । 2. मेमोरी में स्थायी तौर पर उपलब्ध क्रमादेशनों को सक्रिय बनाने के लिए प्रयुक्त कुंजी (डॉस में काफी प्रचलित थी)

Hot Link - आवेशित संपर्क, हॉट लिंक : जब दो क्रमादेश (प्रोग्राम) डाटा को आपस में शेयर करते हैं, तो हॉट लिंक होता है । इस स्थिति में जब एक क्रमादेश में कोई डाटा परिवर्तित होता है, तो दूसरे क्रमादेश में भी वह स्वतः बदल जाता है । हॉट लिंक का उदाहरण किसी शब्द संसाधन का ऐसा प्रलेख है, जिसमें स्प्रेडशीट के आंकड़े (डाटा) मौजूद हों । इस परिस्थिति में स्प्रेडशीट में डाटा बदलने पर उक्त प्रलेख में भी वह परिवर्तन स्वतः परिलक्षित होता है ।

Hour Glass Icon - आवर ग्लास आइकॅन : जब कभी कंप्यूटर कार्यरत होता है, तब स्क्रीन पर दिखायी देनेवाला आवर ग्लास का प्रतीक दिखायी देता है । यह प्रतीक प्रयोक्ता को इंतजार करने का संकेत देता है, कभी-कभी हो सकता है, लंबा इंतजार भी करना पड़े ।

House Keeping - उपस्कर सज्जा, हाउस कीपिंग : फाइलों को व्यवस्थित ढंग से ठीकठाक रखना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुन : प्राप्त किया जा सके, इसके लिए नियमित रूप से डाटा का बैकअप लेना चाहिए तथा समय-समय पर उपयोग डिस्क उपयोगिता प्रोग्रामों को चलाते रहना चाहिए ।

Hue - ह्यू : किसी रंग विशेष की छटा, जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है ।

Hung - अटकना, हंग : जब किसी अज्ञात कारणवश कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे, तो उस स्थिति को हंग होना कहते हैं । कुंजीपटल पर कितना भी जोर डाला जाये, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

Hyper Card - हाइपर कार्ड : मैकिंटॉश कंपनी द्वारा सृजित एक सॉफ्टवेयर इरेक्टर सेट, जिसकी सहायता से साधारण प्रयोक्ता भी प्रोग्राम लिख सकता है ।

Hyper Media - हाइपर मीडिया : पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो का या इनके किसी मिश्रण का सहचारी सूचना भंडारण एवं प्राप्ति हेतु एकीकरण । इसमें प्रयोक्ता एक विषय से दूसरे में त्वरित विषयान्तर

* कंप्यूटर परिभाषा कोश (**संपादक डॉ. राजेश्वर गंगवार**, भा.रि.बैं., कें.का., बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, मुंबई -5) से साभार ।

कर इच्छित सूचना प्राप्त कर सकता है, अतः प्रयोक्ता को जानकारी क्रम से ही प्राप्त करना जरूरी नहीं है, जैसे विमान संचालन (navigation) का हाइपर मीडिया प्रस्तुतीकरण। यह खगोलशास्त्र (Astronomy), चिड़ियों का संचलन, भूगोल, उपग्रह राडार से संबंधित जानकारी भी दिखा सकता है। यदि जानकारी मूलतः पाठ रूप में हो तो हाइपर टेक्स्ट कहलाती है तथा यदि संगीत, वीडियो, एनीमेशन तथा अन्य तत्व भी शामिल हों तो हाइपर मीडिया कहलाती है।

Hyphenation - हाइफॅनेशन : पाठ में दो पंक्तियों में अत्यधिक बड़े शब्दों को विभाजित करना। यह प्रायः दाहिने मार्जिन को उपयुक्त रखने के लिए किया जाता है। अधिकांश शब्द संसाधनों तथा डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्रमादेशों (प्रोग्रामों) में इसका प्रावधान होता है।

IBMIO.COM, IBMDOS.COM - पी सी डॉस परिचालन प्रणाली की गुप्त फाइलें।

IBeam Cursor /Pointer - आइबीम कर्सर / प्वाइंटर : ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इस्तेमाल होने वाला माउस कर्सर। यह पतला तथा लम्बा होता है और अंग्रेजी के आइ (I) अक्षर के अनुरूप होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः शब्द संसाधकों में पाठ्यांश को सम्पादित (एडिट) करने में होता है। यदि दो अक्षरों के बीच में कुछ जोड़ना हो तो उनके बीच भी इसे रखा जा सकता है।

Icon - प्रतीक, आइकॅन : विंडोज में पटल पर उपलब्ध वह छोटा चित्र जो किसी अभिलक्ष्य (ऑबजेक्ट) को दर्शाता है। यह ऐसा प्रतीक है, जिसे शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। आइकॅन किसी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, फाइल, लेख, ड्राइव या प्रोग्रामों के समूह को निरूपित करता है। कई क्रमादेशों में मेनू में से आदेश स्वीकारने के लिए प्रतीक (आइकॅन) का प्रयोग किया जाता है। प्रयोक्ता को यह पता हो कि कौन-सा प्रतीक किस क्रमादेश के लिए है, तो वह उस प्रतीक विशेष पर क्लिक करके उस क्रमादेश पर कार्य कर सकता है। कुछ प्रोग्रामों (जैसे एम एस ऑफिस) में आइकॅन पर माउस का तीर पहुंचते ही, उस आइकॅन का परिचय देने वाला /वाले शब्द स्क्रीन पर आ जाते हैं।

Identifier - पहचानकर्ता, आइडेंटीफाइर : 1. वह शब्द या शब्दों की कड़ी, जिसको लेबल, किसी प्रक्रिया (प्रोसीजर) के नाम, किसी प्रोग्राम के चर (वैरिएबल) की तरह इस्तेमाल किया गया हो। 2. हार्ड डिस्क या फ्लॉपी को दिया गया नाम।

Idle - निष्क्रिय, आइडल : 1. जब कंप्यूटर / प्रयोक्ता सक्रिय नहीं होते अथवा कार्यरत नहीं होते, तब उन्हें निष्क्रिय / आइडल कहते हैं। 2. जब वे फिर कोई अनुदेश प्राप्त करने के इंतजार में हों।

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) - आइ ई ई ई : यह संगठन विश्व में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के विभिन्न क्षेत्रों के मानक निश्चित करता है।

IF - इफ : कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं में निर्णय को निश्चित करने वाला मुख्य शब्द। इसका उपयोग साधारणतया *Then* या *Else* के साथ किया जाता है। यह किसी प्रक्रिया में उपलब्ध मान या कथन को दिये गये मान या कथन से जांचता है तथा उसके सही या गलत होने पर उचित आदेश प्रेषित करता है।

Illegal - अमान्य, इल्लीगल : वास्तव में इसका तात्पर्य अनुमत अथवा मान्य न होने से है, न कि अवैध से। कम्प्यूटर प्रोग्राम में अमान्य कैरेक्टर वह है, जिसे कंम्प्यूटर समझ न सके।

Image - चित्र, प्रतिलिपि, इमेज : 1. किसी चित्र का भण्डारित किया गया विवरण, जो पिक्सलों के रंगों और चमक के मान के रूप में होता है, ताकि उनका उपयोग कर पटल पर वही चित्र बनाया जा सके। 2. किसी फाइल, डाटा प्रोग्राम, ड्राइव, मेमोरी आदि के किसी हिस्से या संपूर्ण की प्रतिलिपि।

Imaging - इमेजिंग, छवि-अंकन : किसी ग्राफ या चित्र को फाइल में बदलने, स्टोर करने, पटल (मॉनिटर) पर दिखाने या प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करने की प्रक्रिया।

Image Processing - छवि संसाधन : किसी चित्र, वीडियो, रेखाचित्र, नक्शे आदि से प्राप्त छवि का विश्लेषण, संपादन, भंडारण तथा प्रदर्शन। सामान्यतया यह क्रिया तीन चरणों में संपन्न होती है। सर्वप्रथम छवि का अभिग्रहण कर उसका अंकेकन करते हैं, ताकि उसके विभिन्न रंगों, शेडों को बाइनरी मानों में रखा जा सके, जिसे कंप्यूटर समझकर संसाधित कर सकता है। द्वितीय चरण में डाटा का संसाधन कर छवि के स्तर में सुधार (यदि जरूरी हो) तथा डाटा संपीडन किया जा सकता है। अंतिम चरण इस प्रकार से संसाधित कर बनी छवि का पटल पर प्रदर्शन या उसकी प्रिंटिंग से संबंधित होता है। छाया संसाधन का उपयोग टेलीविजन, फिल्मों,

उपग्रह से प्राप्त मौसम या अन्य प्रकार के डाटा तथा चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा होता है ।

Import - आयात, इम्पोर्ट : किसी अन्य प्रोग्राम / प्रणाली द्वारा तैयार की गयी सूचना या फाइल को वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे प्रोग्राम / प्रणाली में लेना । इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए दोनों फाइलों का संरूप (फार्मेट) एक ही होना चाहिए अथवा उसमें दूसरे के संरूप का समर्थन करने की क्षमता होनी चाहिए ।

Inactive Window - निष्क्रिय विंडो : कुछ परिचालन प्रणालियों या अनुप्रयोग सॉफ्टवेयरों में एक बार में कई विंडो स्क्रीन पर खोली जा सकती हैं, उनमें वर्तमान में सक्रिय विंडो को छोड़कर अन्य विंडो निष्क्रिय विंडो कहलाती हैं ।

Inclusive Or - अंतर्वेशित / इंक्लूसिव ऑर : एक तार्किक परिचालक, जिसका प्रयोग एकल बिट डाटा के मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है । इस आदेश का परिणाम सदा 1 होता है, बशर्ते दोनों संख्याएं शून्य न हों । इसका प्रयोग प्रायः ग्राफिक्स का सृजन करने के लिए होता है ।

Incremental Backup - वृद्धिशील बैकअप : केवल उन्हीं फाइलों का बैकअप लेना, जो पिछली बार के बैकअप के बाद परिवर्तित हुई हों या नयी बनी हों ।

Incremental Compiler - वृद्धिशील अनुभाषक : वह अनुभाषक (कम्पाइलर), जो प्रोग्रामर के प्रोग्राम की लाइन टाइप करने के तुरंत बाद ही उसे कम्पाइल करना शुरू कर देते हैं । ऐसा करने से प्रोग्राम की टाइपिंग समाप्त होते ही उसका अनुभाषित (कम्पाइल्ड) संस्करण प्राप्त हो जाता है । साधारणतया अनुभाषक प्रोग्राम के टाइप हो जाने के बाद कम्पाइल करने का अनुदेश देने पर ही अनुभाषण प्रारंभ करते हैं तथा इसमें काफी समय लगता है ।

Indent - मांग, इंडेंट : प्रलेख के किसी पैराग्राफ में पहली पंक्ति को बायीं ओर सामान्य मार्जिन से ज्यादा स्थान छोड़कर प्रारंभ करना । प्रलेख की कुछ पंक्तियों को बायें या दायें मार्जिन से ज्यादा जगह छोड़कर रखना, ताकि वे अलग-सी दिखें ।

Indentation - अभिस्थापन, इंडेंटेशन : पृष्ठ के मार्जिन के भीतर ही अनुच्छेदों का संरेखण (Alignment) । इसके लिए सामान्यतः शब्द संसाधन पैकेजों में टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ताकि किसी अनुच्छेद की पहली पंक्ति कुछ स्थान छोड़कर प्रारंभ हो, जिससे उसे पढ़ने में आसानी रहे तथा पाठ सुंदर भी लगे ।

Index - सूची, अनुक्रमणिका, इंडेक्स : अधिकांश शब्द संसाधनों, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्रमादेशों के अंतर्गत एक प्रमुख विशेषता, जिससे शब्दों, वाक्यांशों अथवा विचारों की सूची वर्णक्रमानुसार सृजित होती है । यह सूची कंप्यूटर पर पृष्ठ संख्या के साथ भी तैयार हो सकती है । 1. किसी फाइल के कुंजी शब्दों (की वर्ड्स) तथा संबंधित डाटा रिकॉर्डों के लोकेशन का रिकॉर्ड रखने वाली सूची । 2. प्रोग्रामिंग में वह स्केलर (मान), जो फाइल में उक्त विशेष मान से संबद्ध रिकॉर्ड खोजने हेतु क्रमिक अभिगम के बजाय सीधा अभिगम संभव कराता है । 3. शीघ्रता से डाटा भंडारण तथा प्राप्ति हेतु रिकार्डों के संदर्भों की फाइल / सूची बनाने की क्रिया । 4. किसी डाटाबेस में कुछ की शब्दों (जो उसी फाइल के क्षेत्र होते हैं) की सहायता से रिकॉर्डों को खोजने की क्रिया ।

Index Hole - सूची छिद्र : 5.25" की फ्लॉपी पर बीच की धुरी (गोले) के पास एक छोटा छिद्र । यह उस फ्लॉपी पर पहले सेक्टर की लोकेशन बताता है तथा फ्लॉपी पर लेखन / पठन करने में सहायता करता है ।

Indexed File - सूचीबद्ध फाइल : किसी डाटाबेस फाइल में मौजूद रिकार्डों की भौतिक स्थिति से संबंधित सूचना, जिसे अलग फाइल में रखा जाता है ।

Indexed Search - सूची से खोज : किसी डाटा की वह खोज, जो इंडेक्स का उपयोग करती है, ताकि समय बच सके ।

Inference Engine - निष्कर्ष इंजिन : किसी सुविज्ञ प्रणाली का डाटा संसाधन करनेवाला हिस्सा । यह इन्पुट किये गये प्रस्तावों को ज्ञान भंडार में उपलब्ध तथ्यों तथा नियमों की दृष्टि से जांच कर परिणाम सुविज्ञ प्रणाली (expert system) को देता है, जो उस पर कार्य करती है ।

Inference Programming - निष्कर्ष पर आधारित प्रोग्रामिंग : प्रोग्रामिंग की वह विधि, जिसमें प्रोग्रामों द्वारा प्राप्त परिणाम नियम तथा तथ्यों के समूह की रोशनी में तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होते हैं ।

Infinite Loop - अनंत पाश, इन्फिनिट लूप : जब कोई कंप्यूटर बार-बार उन्हीं अनुदेशों को लगातार क्रियान्वित करता रहे, तो इस प्रक्रिया को अनंत पाश कहा जाता है ।

Information Management - सूचना प्रबंधन : किसी संस्थान / निकाय में डाटा को परिभाषित करने, उसका मूल्यांकन करने,

सुरक्षित रखने तथा वितरित करने की प्रक्रिया ।

Information Resource Management - सूचना संसाधन प्रबंधन : किसी संस्थान / निकाय में उपलब्ध संसाधनों का डाटा इकट्ठा करने, प्रकलन करने तथा भंडारण करने एवं उपयोग करने की प्रक्रिया ।

Information Services - सूचना सेवा : किसी संस्थान में डाटा संसाधन विभाग को दिया गया नाम । इसके विभिन्न नाम निम्नलिखित हैं । जैसे - Data Processing, Information Processing, Information Systems, Information Technology, Management Information System, Management Information Services आदि ।

Information Werehouse - सूचनागार, इन्फॉरमेशन वेयरहाउस : किसी संगठन के सभी कंप्यूटरों पर उपलब्ध कुल डाटा ।

Information Warfare - सूचना युद्ध : शत्रु देश के आर्थिक जीवन तथा सुरक्षा में लगे कंप्यूटरों पर हमला करना । जैसे वायु यातायात की प्रबंधन प्रणाली को नियंत्रित करनेवाले कंप्यूटर को नष्ट करना या उसे निष्क्रिय कर देना, ताकि देश का वायु यातायात ठप्प हो सके अथवा स्टॉक एक्सचेंजों के कंप्यूटरों को नष्ट करना, ताकि देश के शेयर बाजारों का कारोबार ठप्प हो सके, आदि ।

Inheritance - उत्तराधिकार, इन्हेरिटेंस : इसका प्रयोग अभिलक्ष्य उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा में किया जाता है, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के लक्षणों की नकल करे (यहां वस्तु से तात्पर्य विशेष कार्य वाले कोडों (कूटों) के समूह से है)।

Initialize - प्रारंभ करना : 1. उपकरण के किसी एक हिस्से (कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉडेम आदि) को तैयार करने की प्रक्रिया, जिसे महत्वपूर्ण कार्य करना हो । इस प्रक्रिया से उपकरण में विद्यमान पुराना डाटा निकल जाता है । 2. किसी चर को शून्य या उसका प्रारंभिक मान देना । 3. कंप्यूटर को बूट करना ।

Inner Join - आंतरिक योग / जोड़ : बीजगणित का एक संकारक, जिसका उपयोग डाटाबेस प्रबंधन में भी होता है । जैसे किन्हीं दो डाटाबेसों में से डाटा मानों के विशेष मापदंडों को पूरा करनेवाले रिकॉर्डों का आपसी संबंध (टेबल) बनाना ।

Inoculate - वायरस से बचाव : वायरस के संक्रमण से बचने के लिए वायरस संबंधित जानकारियों को किसी प्रोग्राम में रखना तथा उसका उपयोग करना ।

Input - इन्पुट, प्रविष्टि : कंप्यूटर को संसाधनार्थ दी गयी सूचना । कंप्यूटर विभिन्न स्रोतों, जैसे कुंजीपटल, माउस, मॉडेम, टच स्क्रीन, डिस्क पर उपलब्ध फाइल आदि से इन्पुट प्राप्त कर सकते हैं ।

Input Buffer - इन्पुट बफर : कंप्यूटर मेमोरी का वह पूर्व आरक्षित हिस्सा, जो संसाधन के लिए प्राप्त सूचना के अल्पकालिक भंडारण हेतु उपयोग में लाया जाता है ।

Install - स्थापन, इंस्टाल : 1. किसी भी उपकरण / सॉफ्टवेयर को पहली बार प्रयोग में लाने के लिए तैयार करना । 2. एक ऐसा प्रोग्राम, जो वास्तव में स्थापन की प्रक्रिया में सहायक होता है तथा सामान्यतया फ्लॉपी या सी डी रॉम (CD ROM) पर होता है । यह कंप्यूटर पर उपलब्ध युक्तियों को जांचता भी है । 3. यह एक डॉस आदेश (कमांड) है, जो कॉनफिग.सिस (Config.SYS) फाइल द्वारा स्मृति में प्रोग्रामों को स्थापित करता है ।**स्थापन** जिन प्रोग्रामों की स्थापना करता है, उनके लिए स्थान उत्पन्न नहीं करता । इसलिए यदि ऑटोएक्जिक.बैट (AUTOEXEC.BAT) कमांड से प्रोग्रामों की स्थापना की जाये तो वे स्मृति में थोड़ा कम स्थान घेरते हैं । **स्थापन** द्वारा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को क्रिया के लिए तैयार किया जाता है । अनेक अनुप्रयोग (application) पैकेजों के अपने स्थापन प्रोग्राम होते हैं । इन प्रोग्रामों की मूल फ्लॉपी डिस्क से सभी फाइलें हार्ड डिस्क में अपेक्षित डायरेक्टरियों में स्थापित की जाती हैं । इसके बाद परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रोग्राम को संरूपित किया जाता है । माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के प्रोग्राम सेटअप प्रोग्राम द्वारा स्थापित किये जाते हैं ।

Installable Device Driver - संस्थापन योग्य युक्ति चालक : ऐसा डिवाइस ड्राइवर जिसे परिचालन प्रणाली में ही सन्निहित किया जा सके । सामान्यतया ऐसा करके वर्तमान में उपलब्ध कम सुविधाओं वाली व्यवस्था को रद्द कर दिया जाता है ।

(अगले अंक में जारी...)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-समस्या या समाधान*

पुरस्कृत निबंध

सुश्री श्रीलता एस. एस.
आशुलिपिक, कार्पोरेशन बैंक
बेंगलूर - 560 002.

परिभाषा : स्व इच्छा से निवृत्ति लेना - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में और जनसंचार माध्यम में अत्यधिक चर्चित विषय रहा है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति । श्री एस. एस. कोहली के नेतृत्व में सूत्रबद्ध और 'वर्मा समिति' की सिफ़ारिश पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम / योजना, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में, वित्त मंत्रालय से अनुमति पाने के बाद, पूर्ण रूप से कार्यान्वित हुई और 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुई ।

बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की आवश्यकता

इस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य था बैंकों को पुनर्गठित करना और अर्थव्यवस्था को ज्यादा शक्तिशाली बनाना । एक और उद्देश्य था, निजी और विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कर्मचारियों को व्यवस्थित करना ।

ज़ोरदार शाखा विस्तार, राजकीय दबाव और बैंकों के प्रशासन में कतिपय राजकीय हस्तक्षेप आदि असंतुलन का परिणाम यह निकला कि बैंकों का वित्त मूल उद्देश्यों के लिए प्रयोजनकारी नहीं हुआ । जनता को बैंकिंग सुविधा देते समय ऋण की वसूली के लिए यथेष्ट कार्रवाई करने पर ध्यान नहीं दिया गया ।

बैंकों तथा अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना की आवश्यकता

अर्थव्यवस्था की प्राणशक्ति है वित्त । एक स्वस्थ बैंकिंग व्यवसाय में हम एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब देख सकते हैं । अगर हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद का परिदृश्य देखें तो हम समझ सकते हैं कि सरकारी बैंकों का स्वास्थ्य कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है ।

राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य था सामान्य जनता को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना । इस उद्देश्य को पूरा करने में और अर्थव्यवस्था को विस्तृत करने में ज्यादा ध्यान देते हुए, राष्ट्रीयकरण ने अर्थव्यवस्था की व्यवहार्यता पर ध्यान नहीं दिया । ज़ोरदार शाखा विस्तार, राजकीय दबाव और बैंकों के प्रशासन में कतिपय राजकीय हस्तक्षेप आदि असंतुलन का परिणाम यह निकला कि बैंकों का वित्त मूल उद्देश्यों के लिए प्रयोजनकारी नहीं हुआ । जनता को बैंकिंग सुविधा देते समय ऋण की वसूली के लिए यथेष्ट कार्रवाई करने पर ध्यान नहीं दिया गया । कर्जदारों ने ऋण भुगतान नहीं किया और बैंकों को रियायत देने के लिए मजबूर होना पड़ा । इससे सार्वजनिक धन बिना मूल्य वृद्धि के अवरूद्ध हो गया ।

बैंकों में इस असंतुलन के कारण सरकार को ज्यादा धन बैंकों को देना पड़ा । तभी ''डेट रिलीफ स्कीम'' (Debt Relief Scheme) लाई गई । इस तरह की निरंतर निधि भरने से सरकार को ''आइएमएफ'' (IMF) और ''वर्ल्ड बैंक''(World Bank) से ऋण लेने पर मजबूर होना पड़ा जिससे सरकार को उन संगठनों की अपेक्षाओं को भी मानना पड़ा । नए पर्याप्तता 'आय निर्धारण', 'परिसंपत्ति वर्गीकरण' और पूंजी पर्याप्तता मानदंड ने बैंकों को दो भागों में, यानि लाभ कमानेवाले और हानि उठानेवाले भागों में बांट दिया और हानि उठानेवाले बैंकों की पुनर्संरचना पर सरकार को सोचना पड़ा ।

*भा.रि.बैं. द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अंतर-बैंक निबंध प्रतियोगिता, वर्ष 2001-02 में क्षेत्र 'ग' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध ।

वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण का प्रभाव और निजी तथा विदेशी बैंकों की प्रतिस्पर्धा से, सरकारी बैंकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाना पड़ा ताकि विश्व के सभी बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपने पूंजी पर्याप्तता मानदंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उठा सकें । अतः बैंकों की पुनर्संरचना की आवश्यकता पर विचार हुआ ।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का उद्देश्य

1. संचालन कीमत में घटाव
2. कुशल / दक्ष कर्मचारियों को काम पर रखना
3. आधुनिक प्रौद्योगिकी का बेहतर समावेश
4. उत्पादकता / लाभप्रदता में वृद्धि

भारत जैसे विकासशील देश में, जहां बहुसंख्या में बेरोज़गार और अल्प रोज़गार हैं, सेवानिवृत्ति कभी स्वैच्छिक नहीं हो सकती है । यदि हम एक सरसरी दृष्टि से देखें तो यह महसूस होता है कि कुछ कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के लिए उत्सुक हैं और इच्छुक हैं, उनके लिए तो यह समाधान है किंतु बैंकों के लिए यह एक समस्या है । इसके लिए एक गंभीर अध्ययन की जरूरत है ।

जो कर्मचारी ज्येष्ठ/वरिष्ठ हैं उनके लिए तो यह समाधान के रूप में हैं क्योंकि उनकी उम्र में उनके आधुनिक ज्ञान, स्थानांतरण आदि समस्याओं से छुटकारा पा सकने के लिए एक आसान तरीका मिला ।

बैंकों का पर्यावलोकन

यह योजना बैंकों में अनुत्पादक मानवशक्ति को निकालने और बचे हुए कर्मचारियों को और उत्पादक बनाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई । किंतु मानवशक्ति निर्धारण के प्रयत्न से, बैंकों को एक बड़ी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ी जो एक बड़ी समस्या के रूप में परिणत हुई ।

कर्मचारी का पर्यावलोकन

जो कर्मचारी ज्येष्ठ/वरिष्ठ हैं उनके लिए तो यह समाधान के रूप में हैं क्योंकि उनकी उम्र में उनके आधुनिक ज्ञान, स्थानांतरण आदि समस्याओं से छुटकारा पा सकने के लिए एक आसान तरीका मिला । मगर कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए यह सेवानिवृत्ति समस्या के रूप में आयी क्योंकि उनको एकपक्षीय स्थानांतरण, ज्यादा काम और वेतन में कोई वृद्धि नहीं, आदि समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।

समाधान

(1) बैंकों के लिए -

1. बैंकों ने नई / आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने का अवसर पाया ।
2. अनुत्पादक मानवशक्ति को आसानी से निकलने का एक रास्ता दिखा ।
3. निजी / विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मौका मिला ।
4. युवा कर्मचारियों को भर्ती करने का एक मौका प्राप्त हुआ ।

(2) कर्मचारियों के लिए -

- ज्येष्ठ कर्मचारियों को वेतन-सहित छुट्टी का आनंद
- स्थानांतरण समस्या से छुटकारा
- महिलाओं के लिए अपने परिवार का सुखी जीवन
- कर्मचारियों के लिए आधुनिक ज्ञान अपनाने के कष्ट से मुक्ति
- कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए शीघ्र तरक्की / पदोन्नति की आशा ।

समस्या

बैंकों के लिए -

- शाखाओं को बंद करने का दबाव
- ग्राहक सेवा को बेहतर करने की जिम्मेदारी
- काफ़ी बड़ी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देने का दायित्व
- वरिष्ठ पदों पर नए कर्मचारियों की भर्ती से अधिक जिम्मेदारी

- ट्रेड यूनियन का दबाव, कर्मचारियों (बचे हुए) का वेतन सुधारने एवं ज्यादा प्रोत्साहन हेतु धन देने की समस्या

कर्मचारियों के लिए समस्या -

- एकपक्षीय स्थानांतरण का भय
- ज्यादा कामकाज जो ज्यादा वेतन नहीं लाता
- बैंकों का निजीकरण और उसका कर्मचारियों पर प्रभाव

समस्या या समाधान : एक आम/सामान्य चर्चा - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तो एक पुरानी योजना है मगर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक नया तथ्य/दृश्य है । कर्मचारियों को इस सेवानिवृत्ति पर सोचने का समय बहुत कम मिला । सबको, खास तौर पर स्त्रियों को जिन्होंने 'पेंशन' विकल्प लिया था, उनको अपने 20 साल पूरा करने पर मजबूर होना पड़ा । जो कर्मचारी 20 साल सेवा खत्म कर चुके थे, उनके लिए तो यह योजना बहुत आसान लगी । बहुत से कर्मचारी इस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाने पर अपने भविष्य पर बहुत ही चिंतित हुए और कुछ असुरक्षा का अनुभव करने लगे । मगर बहुत सी महिलाओं के लिए यह योजना एक समाधान के रूप में थी क्योंकि अपनी कुछ वैयक्तिक समस्याओं जैसे बच्चों की देखरेख, अपनी शारीरिक अस्वस्थता और स्थानांतरण की समस्या में उन महिलाओं को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एक सही रास्ता दिखाई दिया । किंतु पुरुष वर्ग के लिए आगे आनेवाले दिनों में समय बिताने का, कमाई के बिना रहने का भय सताने लगा क्योंकि इस उम्र में उन्हें कोई और काम मिलने की उम्मीद भी नहीं होती है । आज की अस्थिर वित्तीय परिस्थिति में धन की किफायत कर पाना असंभव है । कुछ साल के बाद यह महसूस होगा कि जो धन पर सूद दिया जाता है, वह केवल हवा में खाली हाथ चलाने जैसा है । आजादी के इतने दशकों बाद भी अर्थव्यवस्था की असुरक्षा अभी भी है । जो भी क्षतिपूर्ति मिलती है, वह बच्चों को शिक्षा, शादी-विवाह आदि के लिए खर्च होती है और अपने लिए तो कुछ नहीं बचता है । उन लोगों के लिए अपने आगे के दिनों में बहुत ही अंधेरा दिखाई पड़ता है । हम निरीक्षण करें तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग उदास, निर्धन और परिवार से दंडित दिखाई देते हैं । कुछ लोग अपने मूर्खतापूर्ण फैसले के कारण आत्महत्या करने पर भी आमादा हो जाते हैं । व्यवसाय, कारोबार / व्यापार में अनुभव न होने के कारण कुछ लोग व्यापार भी नहीं कर सकते हैं । जब वे अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब उनके पास कुछ भी नहीं बचता है क्योंकि सारा पैसा परिवार की जिम्मेदारी निभाने पर खर्च हो गया होता है ।

निजी और विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि विदेशी एवं निजी बैंकों के ग्राहक उच्च वर्ग के हैं और साधारण जनता उन बैंकों के नियमों को पूरा भी नहीं कर सकती है । इसलिए साधारण जनता सदा सरकारी बैंकों की ग्राहक बनी रहेगी ।

ट्रेड यूनियन की कुछ आशंका :

सभी यूनियन / संगठन के सदस्य शुरू से ही इस योजना के विरूद्ध हैं । स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को वे विविध दृष्टिकोण से देखते हैं और वे समझते हैं कि -

- यह नौकरी की हत्या है
- यह नौकरी से हटाना है
- इसका उद्देश्य यूनियन के उद्देश्य के विरूद्ध है ।

यूनियनों ने यह मांग उठाई है कि -

- बड़े-बड़े कर्जदारों के नाम प्रकाश में लाए जाएं ।
- ऋण वसूली के लिए कठोर सुधारात्मक कार्रवाई लागू करें ।
- जहां जरूरत पड़े वहां कुछ नए कर्मचारियों की भर्ती करें ।
- बचे हुए कर्मचारियों का न्यायोचित रूप से उद्धार करें ।

कुछ संकलित विचार :

कुछ कर्मचारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, उनका कहना है कि -

- सेवानिवृत्ति तो सामान्य है, क्योंकि सभी उसके इंतजार में अपनी सेवा पूरी करते हैं, मगर 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' तो मृत्यु के पूर्व होनेवाली 'आत्महत्या' का रूप है ।
- गिनने से दिखाई गई क्षतिपूर्ति राशि कुछ और है और वास्तव में मिलने वाली रकम कुछ और होती है ।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के ''केक'' पर क्षतिपूर्ति सिर्फ एक ''चेरी'' है ।

उपसंहार

1. इस योजना का मूल उद्देश्य अभी तक पूरा होते नहीं दिखाई देता है ।इस निवृत्ति का उद्देश्य है शेष कर्मचारियों को व्यवस्थित करना । जब बैंकों के पास कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन धन नहीं है तो वे कर्मचारियों को व्यवस्थित कैसे कर पाएंगे ? अत : शेष कर्मचारी असंतुष्ट हो जाते हैं । इस तरह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है ।

2. जब जनता की बैंकिंग को अपनाया गया है, तो निजी और विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि विदेशी एवं निजी बैंकों के ग्राहक उच्च वर्ग के हैं और साधारण जनता उन बैंकों के नियमों को पूरा भी नहीं कर सकती है । इसलिए साधारण जनता सदा सरकारी बैंकों की ग्राहक बनी रहेगी, अतः सरकारी बैंकों के लिए किसी बात का भय नहीं होना चाहिए ।

3. वैश्वीकरण और पूंजी पर्याप्तता मानदंड को पूरा करने, भारी क्षतिपूर्ति देने से बैंकों पर भार अधिक पड़ेगा, साथ ही आंतरिक कामकाज़, ग्राहक सेवा का ध्यान रखना, स्टाफ की कमी के कारण शाखा बंद होने की चिंता आदि के कारण समय और धन दोनों का नुकसान होने की अत्यधिक संभावना बनी रहेगी ।

किसी भी अर्थव्यवस्था में और किसी भी विकासशील देश में देश का विकास सार्वजनिक हित में होना चाहिए । भारत जैसे देश में, जहां करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, वहां रोजगार के लिए अधिक अवसर उपलब्ध करवाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पर लगाना है क्योंकि हमारे देश में मानवशक्ति बहुत अधिक है किंतु काम बहुत कम है । इसलिए अर्थव्यवस्था का विकास या बैंकिंग क्षेत्र का विकास सार्वजनिक हित तथा देश के हित में होना चाहिए न कि मानवशक्ति का दुरुपयोग करने के लिए ।

अर्थव्यवस्था के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य उपाय भी हैं । जैसे -

- कर्ज न चुकाने वालों पर कठोर कार्रवाई
- बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के लिए विभिन्न कार्यक्रम
- ऋण वसूली के लिए कठोर क्रम
- ऋण मंजूर करने से पहले कड़े नियमों का पालन
- बैंकों में 'धोखाधड़ी नियंत्रण'
- राजकीय हस्तक्षेप में कमी करना, आदि
- अनावश्यक व्यय पर कड़ा नियंत्रण

भारत में उपलब्ध मानवशक्ति के बेहतर उपयोग से आधुनिक तकनीक अपनाते हुए नियमों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से काम करने से सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और देश का विकास भी होगा ।

किसी भी देश का विकास / पुनर्संरचना हमेशा देश के सार्वजनिक हित में होना जरूरी है क्योंकि जनता ही देश है और जनता के बिना किसी भी देश का कोई अस्तित्व नहीं होता है । इसलिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देश और बैंकिंग दोनों के हित में होनी चाहिए, किंतु हमने देखा कि इस योजना से जनता को अधिक फायदा नहीं पहुंचा । योजना ऐसी हो जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो तभी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ।

एक भाषा के बिना भारत में एकता नहीं हो सकती और वह भाषा हिन्दी है ।

-- आचार्य केशवचंद्र सेन

महत्वपूर्ण परिपत्र

विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग

चालू खाता लेनदेन - विदेशी टेलिविजन पर विज्ञापन के लिए प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान विदेशी टेलिविजन पर विज्ञापन के लिए प्रेषण हेतु अनुमोदन से संबंधित 14 मई, 2002 के ए.पी. (डीआईआर.सिरीज़) परिपत्र क्र. 44 की ओर आकृष्ट किया जाता है । परिपत्र के पैरा 2 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों से चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्राप्त करें ।

2. प्रक्रिया को सरल बनाने के विचार से निर्णय किया गया है कि :-

(i) यदि निर्धारित **निर्यात अर्जन** (पूर्ववर्ती दो वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये) उसी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से वसूल किया गया है जिस ाके माध्यम से प्रेषण भेजा जाना है, तो पूर्ववर्ती दो वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक के निर्यात अर्जन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र पर ज़ोर न दिया जाए ।

(ii) तथापि यह प्रमाणित करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि निकाय द्वारा किया गया प्रेषण केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में प्रसारण के लिए विज्ञापन पर खर्च किया गया प्रभार है । यह प्रमाण पत्र प्रत्येक प्रेषण के लिए प्राप्त किया जाना है ।

[संदर्भ सं : एपी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र क्र. 77 दिनांक 10 फरवरी 2003.]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - स्वचालित मार्ग का उदारीकरण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 3 मई ,2000 को जारी रिज़र्व बैंक की अधिसूचना क्र. फेमा 19 आरबी-2000, समय -समय पर यथासंशोधित, द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 के विनियम 6 की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. प्राधिकृत व्यापारी इस बात से अवगत हैं कि वर्तमान में भारतीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक के बिना किसी पूर्व अनुमोदन के 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की राशि का निवेश करने की अनुमति है बशर्ते कि भारत में प्राधिकृत व्यापारी से आहरित विदेशी मुद्रा भारतीय कंपनी की शुद्ध मालियत के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, भारतीय कंपनी रिज़र्व बैंक की सावधानी / चूककर्ता सूची में न हो और समान प्रमुख कार्यकलाप में रत विदेशी सत्ता में निवेश किया जाता हो ।

3. इसमें और अधिक उदारीकरण के रूप में निम्नलिखित निर्णय किया गया है :

(i) विदेश में संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी में निवेश के लिए बाज़ार से विदेशी मुद्रा की खरीद हेतु शुद्ध मालियत के 50 प्रतिशत की सीमा निवेशकर्ता कंपनी की शुद्ध मालियत के 100 प्रतिशत तक कर दी गई है ।

(ii) स्वयंसिद्ध पूर्व अभिलेख वाली भारतीय कंपनी अब अपनी शुद्ध मालियत के 100 प्रतिशत के बराबर, 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा के अंतर्गत, बाज़ार खरीद के माध्यम से किसी भी जायज़ कारोबार में रत विदेशी सत्ता में निवेश करने के लिए पात्र होगी ।

4. तथापि, वित्तीय कार्यकलापों में सन्नद्ध होने की इच्छुक कंपनियां 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 19 आरबी-2000 के विनियम 7 में निर्धारित अपेक्षाओं से नियंत्रित होती रहेंगी ।

5. 19 फरवरी, 2002 के ए.पी. (डीआईअर.सिरीज) क्र. 23 में निर्धारित द्विस्तरीय निवेश के संबंध में प्रतिबंध पूर्ववत् बने रहेंगे ।

6. रिज़र्व बैंक की सावधानी / चूककर्ता की सूची में शामिल कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग की सुविधा की अनुपलब्धता की शर्त जारी रहेगी ।

7. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 में वांछित संशोधन अलग से जारी किया जा रहा है ।

[संदर्भ सं. ए. पी. (डीआईआर सिरीज) क्र. 83 दिनांक 1 मार्च 2003]

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

अंतर-शाखा खाते-शुद्ध नामे शेष हेतु प्रावधान करना

कृपया 24 मार्च 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 22/21.04.018/99 देखें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को तीन वर्ष से अधिक समय तक बकाया, समाधान न की गयी प्रविष्टियों (नामे तथा जमा दोनों) से अपने अंतर-शाखा खातों में बनी शुद्ध नामे स्थिति के लिए शत-प्रतिशत प्रावधान करें । समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अंतर-शाखा खातों में शुद्ध नामे शेष हेतु प्रावधान करने के लिए अनुमत अवधि को 10 जनवरी 2000 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 133/21.04.018/2000 द्वारा 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष से तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष और 24 अगस्त 2001 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी बीसी. 17/ 21.04.018/2001-02 द्वारा और घटाकर एक वर्ष कर दिया गया था ।

2. इस संबंध में बैंकों का ध्यान 28 अप्रैल 1993 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफओएल. बीसी. 114/ 16.01.001/93 के पैरा 3 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे छः महीनों की अवधि के भीतर अपनी अंतर-शाखा प्रविष्टियों का समाधान करें । इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा श्रेष्ठ बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप यह निर्णय किया गया है कि अंतर-शाखा खातों में शुद्ध नामे जमा हेतु प्रावधान करने के लिए अनुमत अवधि को 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष से एक वर्ष से घटाकर छः महीने किया जाये । बैंकों द्वारा की गयी प्रगति की समीक्षा करते समय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने अपनी हाल ही की बैठक में यह नोट किया कि काफी अधिक संख्या में बैंक प्रविष्टियों का समय पर समाधान में समर्थ रहे और इसलिए बैंकिंग प्रणाली की सामान्य रूप से प्रशंसा किये जाने की जरूरत है । यह भी निर्णय किया गया कि प्रावधान करने संबंधी दिशा निर्देशों को संशोधित किया जाये ।

3. तदनुसार, बैंकों को अंतर-शाखा खातों में 31 मार्च 2004 को छः महीने से अधिक बकाया समाधान न की गयी प्रविष्टियों की श्रेणीवार शुद्ध स्थिति की गणना करनी चाहिए और सभी श्रेणियों के अंतर्गत कुल शुद्ध नामे के 100 प्रतिशत के बराबर प्रावधान करना चाहिए । ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि :

(i) 27 जुलाई 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/21.04.018/98 में निहित अनुदेशों के अनुसार सृजित अवरुद्ध खाते (ब्लॉक्ड अकाउण्ट) में जमा शेष को भी हिसाब में लिया जाये; तथा

(ii) एक श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध नामे को दूसरी श्रेणी शुद्ध जमा के साथ समायोजित न किया जाये ।

[संदर्भ सं : बैंपविवि संख्या बीपी बीसी 21.04.018/02-03 दिनांक 26 फरवरी 2003.]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेशों के लिए बैंक वित्त हेतु प्रारूप दिशा-निर्देश : शेयरों के लिए अवरुद्धता अवधि की शर्त

कृपया आप 16 अगस्त 2003 के हमारे परिपत्र बैंपविवि, सं. बीपी. बीसी. 17/21.137/2002-03 का पैरा 3 देखें, जिसके द्वारा बैंकों को यह सूचित किया गया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जिन विनिवेश शेयरों पर बैंक वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव है, वे यदि अवरुद्धता अवधि / प्रतिबंधात्मक शर्तों के कारण तत्काल नकदी योग्य न रहें तो जिस सफल बोलीदाता को बैंक वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया हो उसे चाहिए कि वह भारत सरकार और **विनियामक एजेंसियों** से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करे, जिसमें बैंक वित्त प्रदान किये जाने के पहले ऐसी ईक्विटीधारिता इन प्रतिबंधों से मुक्त हो ।

2. भारत सरकार के परामर्श से इस मामले की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय किया गया है कि :

(i) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विनिवेश कार्यक्रम में भाग लेने वाले ऋणकर्ताओं को वित्त प्रदान करने का निर्णय करते

समय बैंकों को ऐसे ऋणकर्ताओं को एक करार निष्पादित करने के लिए कहना चाहिए, जिसके द्वारा वे यह वचन दें कि :

(क) अवरुद्धता अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित शेयरों के निपटान के लिए सरकार से छूट प्राप्त करने का पत्र प्रस्तुत करेंगे, या

(ख) ऋणकर्ता द्वारा मार्जिन संबंधी अपेक्षा में कमी या चूक के मामले में अवरुद्धता अवधि के दौरान शेयरों को बेचने की गिरवीदार को सरकार द्वारा अनुमति सहित प्रलेखन में एक विशिष्ट उपबंध शामिल करेंगे ।

ii) बैंक सफल बोलीदाता को वित्त प्रदान कर सकते हैं, भले ही सफल बोलीदाता द्वारा विनिवेश कंपनी अर्जित किये जाने वाले शेयर अवरुद्धता अवधि / अन्य ऐसी प्रतिबंधात्मक शर्तों के अधीन हों जो उनकी चलनिधि को प्रभावित करती है, परंतु इस संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए :

(क) भारत सरकार और सफल बोलीदाता के बीच तैयार होनेवाले प्रलेख में ऐसा विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए, जिससे अपेक्षित मार्जिन में कमी या ऋणकर्ता द्वारा चूक होने की स्थिति में बंधकग्राही को शेयरों के समापन की अनुमति अवरुद्धता अवधि (जिसका निर्धारण इस तरह के विनिवेशों के संबंध में किया गया हो) में भी हो ।

(ख) यदि प्रलेखन में इस तरह का विशिष्ट प्रावधान न हो तो सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त किये गये शेयरों की अवरुध्दता अवधि में बिक्री के लिए ऋणकर्ता (सफल बोलीदाता) को चाहिए कि वह सरकार से छूट (वेवर) प्राप्त करे ।

3. सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के विनिवेश कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार बंधकग्राही बैंक को अवरुद्धता अवधि के पहले वर्ष में बंधक लागू करने की अनुमति नहीं होगी । यदि अतिरिक्त जमानत के द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्जिन रखने में ऋणकर्ता असमर्थ रहे अथवा बैंक और ऋणकर्ता के बीच सहमति से तय किये गये चुकौती कार्यक्रम के अनुसार अदायगी न की जाये तो अवरुध्दता अवधि के दूसरे और तीसरे वर्ष में बंधक लागू करने का बैंक को अधिकार होगा । अवरुध्दता अवधि के दूसरे और तीसरे वर्ष में बंधक लागू करने का बंधकग्राही बैंक का अधिकार सरकार और सफल बोलीदाता के बीच तैयार हुए प्रलेखों के नियमों और शर्तों के अधीन होगा, जिसमें बंधकग्राही बैंक की भी कुछ जिम्मेदारी हो सकती है ।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित बैंक को ऋण के संबंध में सटीक मूल्यांकन करते हुए ऋणकर्ता की उधार पात्रता और प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में उचित सावधानी बरतनी चाहिए । बैंक को यह भी अवश्य संतुष्ट हो लेना चाहिए कि बैंक के पास गिरवी रखे जाने वाले शेयरों के निपटान के संबंध में तैयार किया जाने वाला प्रस्तावित प्रलेख बैंक को पूर्णतः स्वीकार्य हो और इसके कारण बैंक को कोई अवांछित जोखिम उत्पन्न नहीं होता हो ।

5. औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के 8 जनवरी 2001 के परिपत्र सं. 10/08.12.01/2000-2001 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अन्य कंपनियों में निवेशों और अंतर-कंपनी ऋणों / या अन्य कंपनियों में जमाराशियों का **वित्तपोषण** करने पर बैंकों पर प्रतिबंध है । इस स्थिति की समीक्षा की गयी है और बैंकों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले विशेष प्रयोजन वाहकों (SPVs) को निवेश कंपनियां नहीं माना जायेगा और इसलिए उन्हें गैर बैंकिंग कंपनियां नहीं माना जायेगा :

(क) वे धारक कंपनियों, विशेष प्रयोजन वाहकों आदि के रूप में कार्य करती हों और उनकी कुल आस्तियों का कम से कम 90 प्रतिशत स्वामित्व के दावे के प्रयोजन के लिए धारित प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में हो ।

(ख) वे ब्लॉक बिक्री के सिवाय इन प्रतिभूतियों का व्यापर नहीं करतीं ।

(ग) वे कोई अन्य वित्तीय कार्यकलाप न करती हों ।

जो विशेष प्रयोजन वाहक उपर्युक्त शर्तों को पूरा करेंगे वे भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम के लिए बैंक वित्त के पात्र होंगे ।

[संदर्भ सं : बैंपविवि सं बीपी. बीसी. 83/21.04.137/02-03 दिनांक 21 मार्च 2003.]

अग्रिमों पर ब्याज दरें -मूल उधार दर तथा दायरा

कृपया आप मूल उधार दर (पी एल आर) संबंधी 30 जुलाई 2002 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 11/13.03.00/2002-03 का पैराग्राफ 2 देखें ।

2. इस संबंध में गवर्नर महोदय के 29 अप्रैल 2003 के पत्र एमपीडी. सं. बीसी. 230/07.01.279/2002-03 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए 'मौद्रिक और ऋण नीति' संबंधी वक्तव्य के पैराग्राफ 81, 82 और 83 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । वर्तमान में, वाणिज्य बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से घोषित मूल उधार दर के अनुसार विभिन्न ग्राहकों के लिए (2 लाख रूपये से अधिक की ऋण सीमा वाले) उधार दर निर्धारित करते हैं । बैंकों के ऋण उत्पादों के मूल्यन में अधिक पारदर्शिता लाने तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि मूल उधार दर वास्तविक लागत दर्शाये, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी बेंच-मार्क मूल उधार दर का निर्धारण करते समय नीचे दिये गये सुझावों पर विचार करें :

(क) बैंकों को बेंच-मार्क मूल उधार दर निर्धारित करते समय अपनी (i) निधियों की वास्तविक लागत; (ii) परिचालन व्यय तथा (iii) प्रावधान / पूंजी प्रभार तथा लाभ मार्जिन संबंधी विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखना चाहिए । बैंकों को अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से बेंच-मार्क मूल उधार दर घोषित करनी चाहिए ।

(ख) जैसे कि पहले ही व्यवस्था है, बैंच मार्क मूल उधार 2 लाख रूपये की ऋण सीमा के लिए अधिकतम दर बनी रहेगी ।

(ग) चूंकि अन्य सभी उधार दरें आवधिक प्रीमियम और / या जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए बेंच-मार्क मूल उधार दर के अनुसार निर्धारित की जायेंगी, अतः काल-संबद्ध मूल उधार दर की प्रणाली को समाप्त करना उचित होगा इन किस्तों को मूल उधार दर के उच्च तथा निम्न दायरों में फैक्टर किया जा सकता है ।

काल-संबद्ध मूल उधार दर को समाप्त करने के लिए प्रभावी तारीख के संबंध में बैंकों से आगे चर्चा करके निर्णय की घोषणा यथासमय अलग से की जायेगी ।

3. ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से तथा ग्राहकों से ली जाने वाली वास्तविक ब्याज दरों के संबंध में अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ली जाने वाली अधिकतम तथा न्यूनतम ब्याज दरों तथा बेंच-मार्क मूल उधार दर के संबंध में जानकारी प्रदान करना जारी रखें ।

4. बैंकों द्वारा बेंच-मार्क मूल उधार दर का निर्धारण तथा बेंच-मार्क मूल उधार दर के वास्तविक दायरे की समीक्षा सितंबर 2003 में की जायेगी । अतः उक्त सुझावों पर की गयी कार्रवाई की जानकारी रिज़र्व बैंक को यथाशीघ्र दी जाये ।

[संदर्भ सं. : बैंपविवि सं. डीआईआर. बीसी.103क /13.03.00/ 02-03 दिनांक 30 अप्रैल 2003.]

भारतीय संयुक्त उद्यमों (जे वी) / विदेश में पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं (डब्ल्यू ओ एस) को ऋण / गैर-ऋण सुविधाएं प्रदान करना और बैंकों द्वारा भारत में विदेशी पार्टियों को क्रेता को साख पर उधार और स्वीकृति वित्त प्रदान करना

कृपया 12 नवंबर 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 104/ 23.37.001/98-99 और 21 जनवरी 1999 का परिपत्र बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1707/ 23.37.001/ 98-99 देखें, जिनके अनुसार बैंकों को यह अनुमति दी गयी थी कि वे भारतीय संयुक्त उद्यमों /विदेश में पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं को कतिपय शर्तों पर उनकी टियर -I की अक्षत पूंजी के 5 प्रतिशत की सीमा तक ऋण /गैर-ऋण सुविधाएं दे सकते हैं । उक्त सुविधाओं के लिए बैंकों को अनुमति इसलिए दी गयी थी कि उन्हें एफ सी एन आर बी, ई ई एफ सी, आर एफ सी आदि खातों में रखी निधियों को नियोजित करने के लिए अतिरिक्त विकल्प प्राप्त हो सके ।

2. विद्यमान विदेशी मुद्रा विनियमों के अंतर्गत 21 दिसंबर 2002 के ए. पी. (डी आइ आर सीरीज़) परिपत्र सं. 63 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी अपने बोर्ड द्वारा स्वीकृत सीमा तक विदेशी बाज़ारों में निवेश कर सकते हैं ।

3. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को भारतीय संयुक्त उद्यमों / विदेश में पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं को ऋण / गैर-ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकतम सीमा को संशोधित करते हुए उसे टियर - I की अक्षत पूंजी के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर बैंकों की अक्षत पूंजीगत निधि (टियर I और टियर II की

पूंजी) के 10 प्रतिशत तक कर दिया जाये । अलबत्ता, ऐसी सुविधाओं के लिए हमारे उपर्युक्त परिपत्रों में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी :

(i) केवल उन्हीं संयुक्त उद्यमों को ऋण प्रदान किया जायेगा जहां भारतीय कंपनी के पास धारित राशि 51% से अधिक होगी ।

(ii) इस प्रकार के सीमा पार को उधार से उत्पन्न ऋण और ब्याज दर जोखिम के प्रबंध के लिए समुचित प्रणालियां लागू हों ।

(iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 25 का अनुपालन किया जाता हो ।

(iv) इस प्रकार के उधार के लिए संसाधन का आधार एफ सी एन आर (बी), ई ई एफ सी, आर एफ सी जैसे विदेशी मुद्रा खातों में धारित निधियां होनी चाहिए, जिनके बारे में बैंकों को विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करना पड़ता हो ।

(v) इस प्रकार के लेनदेनों से उत्पन्न अधिकांश आस्तियों और देयताओं के असंतुलन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित समग्र अंतर सीमाओं के भीतर होते हों ।

(vi) घरेलू ऋण / गैर-ऋण लेनदेनों पर लागू पूंजी पर्याप्तता, और देयताओं लेनदेन मानदंडों इत्यादि से संबंधित वर्तमान संरक्षणों / विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता हो ।

उपर्युक्त सुविधा की समीक्षा एक वर्ष के बाद की जायेगी ।

4. इसके अतिरिक्त, जैसा कि हमारे उपर्युक्त परिपत्र में निर्धारित है, ऐसी ऋण / गैर-ऋण सुविधा के लिए ऋण नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए

(क) इस प्रकार के ऋणों की स्वीकृति परियोजना को समर्थन देने वाले प्रवर्तकों की सिर्फ ख्याति पर ही नहीं, बल्कि परियोजना के समुचित मूल्यांकन और वाणिज्यिक अर्थक्षमता पर आधारित होती है । गैर-निधिक सुविधाओं की उसी सख्ती से छानबीन की जानी चाहिए जैसी कि निधि पर आधारित सीमाओं के बारे में की जाती है ।

(ख) उन देशों में जहां संयुक्त उद्यम / पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थित हो वहां विदेशी मुद्रा ऋण इत्यादि प्राप्त करने या प्रत्यावर्तन के लिए इन कंपनियों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होना चाहिए और अनिवासी बैंकों को विदेशी प्रतिभूतियां / आस्तियों पर कानूनी प्रभार लेने की अनुमति और आवश्यकता पड़ने पर उनके निष्पादन का भी अधिकार दिया जाना चाहिए ।

[संदर्भ सं : बैंपविवि आइबीएस. बीसी. 94/23.37.001/ 2002-03 दिनांक 8 अप्रैल 2003.]

मौद्रिक और ऋण नीति 2003-04-
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान

कृपया गवर्नर महोदय के 29 अप्रैल 2003 के पत्र एमपीडी. बीसी. 230/07.01.279/2002-03 के साथ संलग्न ''वर्ष 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति'' पर वक्तव्य का पैरा 130 देखें। 23 अप्रैल 2003 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी बीसी. 96/ 21.04.048/2002-03 के अनुबंध के पैरा 5 (अ) (क) में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं । यदि प्रतिभूतिकरण / पूनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर है (अर्थात् बही मूल्य में से धारित प्रावधान घटाकर), तो उक्त कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे डाल देना चाहिए । यह परिकल्पना की गयी है कि बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों को प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनियों को पर्याप्त डिस्काउंट पर बेच सकेंगे । इसके फलस्वरूप यदि कोई कमी आती है तो उसे पूरा करने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी अनर्जक आस्तियों के लिए न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं से काफी अधिक का प्रावधान रखें, खास तौर से उन आस्तियों के लिए, जिन्हें वे प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचना चाहते हैं ।

[संदर्भ सं : बैंपविवि बीपी बीसी 106/21.04.048/2002-03 दिनांक 7 मई 2003.]

मौद्रिक और ऋण नीति 2003-04-
निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि

कृपया गवर्नर महोदय के 29 अप्रैल 2003 के पत्र एमपीडी. बीसी. 230/07.01.279/2002-03 के साथ संलग्न ''वर्ष 2003-

04 की मौद्रिक और ऋण नीति'' पर वक्तव्य का पैरा 127 देखें । जैसा कि बैंकों ने सुझाव दिया है और निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि निर्मित करने में और रियायत देने के लिए यह निर्णय किया गया है कि निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि को टियर-II पूंजी के रूप में मानना जारी रखा जायेगा तथा यह निधि कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा की शर्त के अधीन नहीं होगी । तथापि, पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि सहित टियर-II पूंजी को कुल टियर-I पूंजी के अधिकतम 100 प्रतिशत तक माना जायेगा । उपर्युक्त व्यवस्था 31 मार्च 2003 से लागू होगी ।

[संदर्भ सं : बैंपविवि सं.बीपी.बीसी 105/21.01.002/2002-03 दिनांक 7 मई 2003.]

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग

गारंटी और सह-स्वीकृति

हम आपका ध्यान इस विभाग के दिनांक 23 फरवरी 1995 के अपने परिपत्र औनिऋवि. सं. 37/08.12.01/ 94-95 की ओर आकृष्ट करते हैं जिसके द्वारा बैंकों पर वित्तीय संस्थाओं, अन्य बैंकों तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों के पक्ष में गारंटी निर्गत करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण और विनियंत्रण के अनुरूप तथा बैंकों में जोखिम प्रबंध प्रणाली अपना लिए जाने को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली एजेंसियों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए उनके पक्ष में गारंटी निर्गत करने की अनुमति दी जाए ।

गारंटी देने वाले बैंक

2. अब से, बैंकों को अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए उनके पक्ष में गारंटी निर्गत करने की अनुमाति दी जाए परंतु इस संबंध में उन्हें निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा ।

क) निदेशक-मंडल को बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणाली की सुस्वस्थता / सुदृढ़ता को समझ लेना चाहिए और तदनुसार इस संबंध में एक सुव्यवस्थित नीति तैयार करनी चाहिए । निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए :

(i) बैंक की टीयर I पूंजी से संबद्ध किस विवेकपूर्ण सीमा तक अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों के पक्ष में गारंटी निर्गत की जा सकती है ।

(ii) प्रतिभूति और मार्जिनों का स्वरूप

iii) अधिकारों का प्रत्यायोजन

iv) रिपोर्टिंग प्रणाली

v) आवधिक समीक्षाएँ

ख) गारंटी केवल उधारकर्ता-घटकों के संबंध में तथा उन्हें अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करायी जाएगी ।

ग) गारंटी देनेवाला बैंक गारंटीकृत ऋणसीमा के कम से कम 10% के बराबर निधिक ऋणसीमा की जिम्मेवारी लेगा ।

घ) बैंकों को विदेशी ऋणदाताओं के पक्ष में गारंटी या **आश्वासन-पत्र** उपलब्ध नहीं कराना चाहिए । इसके अंतर्गत विदेशी ऋणदाताओं को समनुदेशित किए जानेवाली गारंटी या आश्वासन-पत्र शामिल माने जाएँगे परंतु ऐसा करते समय फेमा के अंतर्गत दी गई छूट प्रदान की जाएगी।

च) बैंक द्वारा निर्गत की गई गारंटी ऋण लेने वाली उस संस्था के पक्ष में ऋणसीमा मानी जाएगी जिसकी ओर से गारंटी निर्गत की गई है तथा उनके लिए प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम-भार भी लागू होगा ।

छ) बैंकों को घोष समिति की सिफारिशों तथा गारंटी निर्गत करने से संबंधित अन्य अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ताकि इस संबंध में धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके ।

ऋण देने वाले बैंक

3. अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्गत की गई गारंटियों के आधार पर ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने वाले बैंकों को निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिए :

i) अन्य बैंक/वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋणसीमा की जिम्मेवारी लेगा उसे गारंटी देने

वाले बैंक/वित्तीय संस्था की ऋणसीमा माना जाएगा तथा उसके लिए प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम-भार भी लागू होगा ।

(ii)अन्य बैंकों द्वारा निर्गत गारंटी के आधार पर ऋणसुविधा के रूप में कोई बैंक जिस ऋणसीमा की जिम्मेवारी लेगा उसकी गणना निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई अंतर-बैंक ऋणसीमा के अंतर्गत की जाएगी । चूँकि अन्य बैंक / वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋणसीमा की जिम्मेवारी लेगा उसकी अवधि मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और प्रतिभूति बाजार में किए जाने वाले अंतर-बैंक लेनदेनों की जिम्मेवारियों की अवधि से लंबी होगी, इसलिए निदेशक मंडल को दीर्घावधिक ऋणों के मामले में एक उपयुक्त उपसीमा निश्चित कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसे ऋणों के मामले में जोखिम अपेक्षाकृत ज्यादा होता है ।

(iii) बैंकों को चाहिए कि गारंटी देने वाले बैंक/वित्तीय संस्था पर जिस ऋणसीमा की जिम्मेवारी पड़ती है, उसपर वे अनवरत नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि बैंकों के लिए निदेशक-मंडल द्वारा निश्चित की गई विवेकपूर्ण सीमाओं/उप सीमाओं का तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गई प्रति उधारकर्ता विवेकपूर्ण सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ।

(iv) बैंकों को घोष समिति की सिफारिशों तथा गारंटी स्वीकार करने से संबंधित अन्य अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ताकि इस संबंध में धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके ।

4. औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग द्वारा अब तक जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों में निहित संबंधित अनुदेश तथा बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 26 जुलाई 2002 के मास्टर परिपत्र. बैंपविवि. सं. बीसी. 07/13.03.00/2002-03 के पैरा 4.2.3 में निहित अनुदेश इस परिपत्र द्वारा अधिक्रामित माने जाएँगे ।

[संदर्भ सं : औनिऋवि सं.17/08.12.01/2002-03 दिनांक 5 अप्रैल 2003]

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन मासिक आधार पर ब्याज प्रभारित करना

कृपया दिनांक 30 दिसंबर 2002 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. सं. आरएफ.बीसी.39/07.37.02/2002-2003 देखें जिसमें कृषि ऋणों और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋणों के अतिरिक्त अन्य ऋणों के अनर्जक ऋण के रुप में निर्धारण के लिए 90 दिन के मानदण्ड अपनाने और 1 अप्रैल 2004 से मासिक आधार पर ब्याज प्रभारित करने संबंधी अनुदेश सूचित किए गए थे ।

2. इस संबंध में राज्य/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऋणों और अग्रिमों पर मासिक आधार पर ब्याज प्रभारित करने की प्रणाली लागू करने के संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करें :-

(i) मासिक आधार पर ब्याज लगाना सभी चल खातों के लिए प्रतिबन्धित होगा यथाः नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात पैकिंग ऋण खाते इत्यादि । मासिक आधार पर अंतरण करते समय बैंक दस्तावेजीकरण के प्रयोजन हेतु उधारकर्ताओं से सहमति पत्र/पूरक करार पत्र ले सकते हैं ।

(ii) मासिक आधार पर ब्याज सभी नए तथा वर्तमान सावधि ऋणों तथा अन्य दीर्घ/निर्धारित अवधि के ऋणों पर लागू होगा ।

(iii) दीर्घ/निर्धारित अवधि के वर्तमान ऋणों के संबंध में बैंक, शर्तों की समीक्षा करते समय अथवा ऐसे ऋण खातों के नवीकरण के समय अथवा उधारकर्ताओं से सहमति प्राप्त करके मासिक आधार पर ब्याज लागू कर सकते हैं ।

3. मासिक आधार पर ब्याज प्रभारित करने संबंधी अनुदेश कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए अग्रिमों पर लागू नहीं होंगे तथा बैंक फसल से सहलग्न कृषि अग्रिमों पर ब्याज प्रभारित करने/यौगिक करने की वर्तमान प्रक्रिया का पालन करेंगे ।

4. 1 अप्रैल 2004 की आरंभ होने वाली तिमाही में बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल मासिक आधार पर ब्याज प्रभारित/यौगिक करने की प्रणाली लागू करने के कारण

ही ब्याज अधिक नही होता ही तथा उधारकर्ता पर ब्याज का भार बढ़ना नहीं चाहिए ।

उदाहरणः

यदि बैंक उधारकर्ता के खाते के तिमाही आधार पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित करता है तो प्रभावी दर 12.55 प्रतिशत होती है । यदि बैंक उसी खाते में मासिक आधार पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाता है तो प्रभावी दर 12.68 प्रतिशत आती है । अतः बैंकों की उधारकर्ता से ली गई 12 प्रतिशत की ब्याज दर को इस प्रकार समायोजित करना चाहिए कि उधारकर्ता के लिए प्रभावी ब्याज दर 12.55 प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि अब तक होता रहा है । अतः उक्त उदाहरण में बैंकों को 11.88 प्रतिशत न कि 12 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित करना चाहिए । ऐसा करने पर, मासिक आधार पर यौगिक करने पर भी प्रभावी दर 12.55 प्रतिशत होगी ।

[संदर्भ सं : ग्राआऋवि के. का. आरएफ बीसी.69/07.37.02/ 2002-03 दिनांक 31 जनवरी 2003]

शहरी बैंक विभाग

बैंकों में धोखाधड़ी - पुलिस में शिकायत दायर करना

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सूचित की गई बैंक निधियों की धोखाधड़ी, **दुर्विनियोजन**, गबन, हड़पना, आदि संबंधी आवधिक रिपोर्टों से यह देखा गया है कि इनमें लिप्त व्यक्ति / व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरु करने के लिए प्रायः मामलों की सूचना तत्काल पुलिस को नहीं दी जाती है । यह भी देखा गया कि कुछ बैंकों ने इस प्रकार के मामलों की सूचना पुलिस को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संबंधित बैंक / बैंकों के साथ मामला उठाने के बाद ही दी थी । चूँकि बैंकों में धोखाधड़ी बैंकों के अधिकारियों तथा / अथवा गैर अधिकारियों के आपराधिक कृत्यों से संबंधित हो सकती है इसलिए यह आवश्यक है कि इन अपराधों की सूचना तत्काल संबंधित जांच एजेंसियों को दी जाए । यह संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपने विरुद्ध अभियोजनीय साक्ष्य में फेरबदल करने या उसे नष्ट करने की आशंका से बचाव के लिए विशेष रुप से आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, बैंकों के सार्वजनिक निधियों का अभिरक्षक होने के कारण बैंक कर्मचारियों से उच्च स्तर की ईमानदारी और निष्ठा की अपेक्षा की जाती है । इस तथ्य का कोई मतलब नहीं कि संबंधित धनराशि कम थी एवं उसे पूरी तरह वसूल कर लिया गया है ।

2. उपर्युक्त के संबंध में, बैंकों को सूचित किया जाता है कि एक सामान्य नियम के रुप में बाहरी व्यक्तियों द्वारा स्वयं या बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से की गई बैंक धोखाधड़ी तथा स्वयं बैंक अधिकारियों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी के मामलों की सूचना, बैंक के इस निष्कर्ष पर पहुँचने के तुरंत बाद कि धोखाधड़ी की गई है, जांच एजेंसियों को दी जानी चाहिए या जहां उचित हो न्यायालय में आपराधिक मामले दायर किए जाने चाहिए ।

[संदर्भ सं : शबैंवि आईपी पीसीबी 32/ 12.05.00/2002-03 दिनांक 15 जनवरी 2003]

प्रयुक्त शब्दावली

प्राधिकृत व्यापारी	Authorised Dealer	वित्तपोषण	Financing
निर्यात अर्जन	Export Earning	अनर्जक आस्तियां	Non-productive assets
विनिवेश	Disinvestment	सह-स्वीकृति	Co-concurrence
अवरूद्धता अवधि	Lock-in-period	आश्वासन पत्र	Letter of comfort
विनियामक	Regulatory	दुर्विनियोजन	Misappropriation

पुस्तक का नाम	:	**प्राचीन भारत में बैंकिंग शब्दावली का स्वरूप**
लेखक का नाम	:	डॉ. सुरेश कांत
प्रकाशक	:	अभिरूचि प्रकाशन, दिल्ली -95
पुस्तक पृष्ठ	:	240
पुस्तक मूल्य	:	550/- रुपये

भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकिंग-विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक-लेखन-योजना के अंतर्गत डॉ.सुरेश कांत लिखित तथा अभिरूचि प्रकाशन संस्था द्वारा प्रकाशित 'प्राचीन भारत में बैंकिंग शब्दावली का स्वरूप' पुस्तक अत्यंत मौलिक अनुसंधान है। लेखक ने भारतीय बैंकिंग का बुनियादी दस्तावेज़ ही आधुनिक बैंकिंग-उद्योग को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के सर्वथा प्रथम प्रयास को सौ प्रतिशत सफल प्रयास कहना सार्थक होगा।

प्रस्तुत अनुसंधान कुल आठ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में बैंकिंग-प्रणाली और तत्संबंधी शब्दावली के उद्‌भव एवं विकास के लिए अनुकूल धरातल प्रस्तुत करनेवाले सामाजिक-आर्थिक और भाषिक परिवर्तनों का विवेचन किया गया है। प्राग्-हड़प्पा की आरण्यक एवं ग्राम्य अर्थव्यवस्था, हड़प्पा-सभ्यता में बैंकिंग-प्रणाली, ऋग्वेदकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था, ऋग्वेदकालीन समाज में वर्ग-विभाजन, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में ऋणदान, उत्तरवैदिक युग का समाज एवं अर्थतंत्र, लौह-प्रविधि का विकास एवं तज्जनित आर्थिक प्रगति, द्वितीय नागर क्रांति तथा विकसित बैंकिंग-प्रणाली का उदय, बैंकिंग-शब्दावली का उद्‌भव और विकास-इन विभिन्न आयामों से लेखक ने पाठकों को इस कदर प्रभावित किया है कि अत्यंत कठिन विषय का आकलन सुगम बन गया है। आध्यात्मिक संदर्भों का 'ऋण' ऋग्वैदिक युग में 'भोग', 'निक्षेप' इनका क्रमशः ऋण (उधार) कर्ज के लिए उपयोग में आने लगा, 'भोग' में विलास का भाव आ गया तो 'उप' उपसर्ग के योग से 'उपभोग' शब्द बना। जमा के लिये 'निक्षेप' आज भी वैकल्पिक रूप से प्रयुक्त होता है। पणि, पण्य, विपण परवर्ती संस्कृत में प्रयुक्त 'पणिक', 'वणिक', 'पणि', से ही विकसित हुए। विक्रय या व्यापार के अर्थ में 'विपणन' आज भी बैंकिंग-शब्दावली का हिस्सा बने हुए हैं। विषय-प्रवेश की दृष्टि से तथा कठिन विषय का सुगम प्रतिपादन करने के लिए लेखक ने प्रथम अध्याय में विस्तृत धरातल प्रस्तुत किया है। यह अध्याय अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक बना है।

दूसरे अध्याय में ऋण देनेवाले बैंकर तथा तत्संबंधी शब्दावली का विवेचन किया गया है। मूलधन की वृद्धि की आकांक्षा के कारण ब्याज के लिए 'वृद्धि' शब्द का प्रयोग किया गया। 'चक्रवृद्धि' शब्द आज भी विद्यमान है, जिसका अर्थ चक्र की तरह तेजी से होनेवाली वृद्धि (अर्थात् ब्याज) है। व्यापारिक गतिविधियों के कारण पूंजीपतियों का वर्ग उभरकर आया, जिन्हें 'श्रेष्ठि' कहा गया। बौद्ध काल में 'सेट्ठि' का रूप ग्रहण करता हुआ वह 'सेठ' के रूप में आज भी विद्यमान है।

तीसरे अध्याय में ऋणों के विविध प्रकार एवं नामकरण तथा तत्संबंधी शब्दावली का विवेचन है। यह भी रोचक अध्याय है। वस्तु-ऋण, द्रव्य-ऋण, ऋणों के वर्गीकरण एवं नामकरण के आधार, ब्याज के आधार पर ऋणों का नामकरण, ऋतुओं के आधार पर ऋणों का नामकरण, प्रयोजन के आधार पर ऋणों का नामकरण आदि विभिन्न मदों में बैंकिंग ऋण-प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई है। उदाहरण के लिए देखिए -

'वत्सकार्ण', 'वसनार्ण', 'कंबलार्ण' आदि ऋणों के नाम प्रयोजन के आधार पर रखे गए थे और क्रमशः बछड़ा, वस्त्र और कंबल आदि खरीदने हेतु दिए जाते थे । प्रस्तुत जानकारी आधुनिक बैंकिंग के लिए निश्चय ही मार्गदर्शी है । संभावना है कि इन्हीं के आधार पर भविष्य में 'नये प्रोडक्ट' के नाम से इन्हीं ऋणों को प्रस्तुत किया जाएगा।

चौथे अध्याय में ब्याज की मान्य एवं प्रचलित दरें तथा तत्संबंधी शब्दावली का विवेचन है । धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित ब्याज-दरें, अष्टाध्यायी एवं महाभाष्य में उल्लिखित ब्याज-दरें, त्रिपिटक एवं जातक-साहित्य तथा ब्याज-दरें, प्रारंभिक अभिलेखों से ज्ञात ब्याज-दरें, गुप्तकालीन साहित्य एवं अभिलेखों से ज्ञात ब्याज-दरें, ब्याज-दरों को प्रभावित करने वाले कारक आदि विभिन्न मदों का विस्तृत विवेचन कर लेखक ने उन सभी कारकों का गहन अध्ययन-आकलन प्रस्तुत किया है जो सामाजिक गतिविधियों के विभिन्न आयामी लक्षण प्रस्तुत करता है । उदाहरण के तौर पर वर्ण-व्यवस्था से स्थापित विषमता ब्याज-दरों में भी स्पष्ट रूप से अपना अस्तित्व प्रकट करती है । वर्णक्रम से क्रमशः चौबीस प्रतिशत, छत्तीस प्रतिशत, अड़तालीस प्रतिशत एवं साठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज-दरें बताई गई हैं ।

पंचम अध्याय में ऋण के आदान-प्रदान से संबंधित विधि तथा तत्संबंधी शब्दावली का विवेचन किया गया है । प्रस्तुत अध्याय में आधि (ऋण के बदले में दिया गया बंधक), प्रतिभू, साक्षी, साक्षी के गुण-दोष, लेख, ऋण उगाहने की विधियां, ऋण-शोधन के उत्तरदायी व्यक्ति-इनके बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है ।

षष्ट अध्याय में निक्षेपण-पद्धति तथा तत्संबंधी शब्दावली का विवेचन प्रस्तुत है । लेखक का मंतव्य है कि प्राचीन भारत में बैंकिंग-उद्योग का यह महत्वपूर्ण कार्य अधिकांशतः अविकसित रहा । धन छिपाकर रखने की प्रथा, धरोहर संबंधी नियम, उपनिधि , निक्षेप, न्यास, बैंकिंग-व्यवसाय के विकास में श्रेणियों का योगदान, श्रेणियों का संगठन, श्रेणियों का बैंकिंग-कार्य, पूर्वमध्यकालीन मंदिर एवं बैंकिंग-व्यवसाय आदि का वर्णन सार्थक तथा पठनीय है ।

सप्तम अध्याय में बैंकिंग-व्यवहार के सामाजिक-आर्थिक और भाषिक प्रभाव का निरूपण किया गया है । ऋण से संबंधित दुष्प्रभाव की सर्वप्रथम चर्चा की गई है । ऋण देनेवाले बैंकर निर्धन जनों का इतना अधिक शोषण करते थे कि कुसीद-व्यवसाय ही घृणित समझा जाने लगा । ऋण से मुक्ति के लिए अनेक व्यक्तियों को अपनी भूमि महाजनों को सौंप देनी पड़ती थी । यदा-कदा निर्धन ऋणियों को ऋणमुक्त होने के लिए अपनी कन्याओं का विक्रय तक करना पड़ता था । किंतु इसके साथ ही ऋण की उपलब्धता ने वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया । निक्षेप संबंधी बैंकिंग ने धार्मिक एवं जनहित-कार्यों को बढ़ावा दिया । इससे एक नई शब्दावली-बैंकिंग शब्दावली-विकसित हुई जिसने आधुनिक बैंकिंग-शब्दावली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया ।

आठवां अंतिम अध्याय उपसंहार है । प्रस्तुत अध्याय में प्राचीन बैंकिंग-शब्दावली के आधुनिक बैंकिंग-शब्दावली पर प्रभाव का सार-रूप विवेचन है । ''आधुनिक बैंकिंग को भारतीय संस्कृति एवं परिवेश ने प्रभावित कर अपने अनुकूल ढाला है और यही काम प्राचीन भारत की बैंकिंग शब्दावली ने आधुनिक बैंकिंग-शब्दावली के संदर्भ में किया है'', लेखक का यह कथन अर्थपूर्ण एवं परिपूर्ण प्रतीत होता है ।

प्रत्येक अध्याय के अंत में दिये गये तकनीकी शब्द, एवं पाद टिप्पणियां पाठक की समझ को व्यापक करने में सहायक सिद्ध होती हैं । लेखक ने अपनी रचना को प्रामाणिक बनाने के लिये अध्ययन की भूमि को सन्दर्भों से सींचा है ।

डॉ. सुरेश कांत ने प्रस्तावना में लिखा है, ''यह शोधकर्ता के संस्कृत-साहित्य एवं इतिहास के अध्ययन में रुचि, शब्दार्थ-विज्ञान में दिलचस्पी और बैंकिंग-उद्योग में 21 वर्षों के दीर्घ सेवा-अनुभव का परिणाम है ।'' मेरा मानना है कि केवल 'रुचि', 'दिलचस्पी', और 'दीर्घ सेवा-अनुभव' मात्र का यह फल नहीं है, बल्कि मूलतः भाषा के बारे में गहन चिंतन, संस्कृत, हिंदी, पाली तथा अंग्रेज़ी भाषाओं पर प्रभुत्व, सर्जनात्मक नवोन्मेषी प्रतिभा और कठोर परिश्रम के कारण ही यह ग्रंथ सिद्ध हो सका है । इस मौलिक रचना के लिए डॉ. सुरेश कांत को अंतःकरणपूर्वक बधाई ।

राजभाषा और विशेषतः शब्दावली-निर्माण, वाणिज्य और विशेषतः भारतीय बैंकिंग के इतिहास तथा सामाजिक शास्त्रों के अध्ययनकर्ताओं के लिए प्रस्तुत ग्रंथ का महत्व अनन्यसाधारण है ।

डॉ. अरुणकुमार इंगळे
उप महाप्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक,
आंचलिक कार्यालय, पुणे

ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता

रिज़र्व बैंक ने बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया है कि वे निम्नलिखित स्थूल दिशा-निर्देश अपनायें तथा अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उचित व्यवहार संहिता तैयार करें। भारत सरकार द्वारा गठित ऋणदाता दायित्व विधि संबंधी कार्य-दल की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता लागू करने की संभावना की जांच सरकार, चुने हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से की है।

दिशा-निर्देश

ऋण के लिए आवेदन पत्रों की जांच

(क) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दो लाख रुपये तक के अग्रिमों के संबंध में ऋण आवेदन के फार्म व्यापक होने चाहिए। इसमें शुल्क/प्रभार, यदि कोई हों, आवेदन पत्र स्वीकार न होने की स्थिति में ऐसे शुल्क की वापस की जा सकने वाली राशि, पूर्व भुगतान के विकल्प तथा ऋणकर्ता के हित को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मामले के संबंध में जानकारी होनी चाहिए।

(ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे सभी ऋण आवेदनपत्रों की पावती दें। इस तरह की पावती में यह भी जानकारी होनी चाहिए कि दो लाख रुपये तक के आवेदनपत्रों का निपटान कब तक कर दिया जायेगा।

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण आवेदनपत्रों का सत्यापन उचित समय में कर लेना चाहिए। यदि कोई अतिरिक्त ब्यौरे/दस्तावेज चाहिए हों तो उसकी जानकारी ऋणकर्ता को तुरंत दी जानी चाहिए।

(घ) दो लाख रुपये तक का ऋण मांगने वाले छोटे ऋणकर्ताओं के मामले में ऋणदाता को चाहिए कि वह निर्धारित समय में आवेदक को लिखित रूप में बताये कि उचित विचार के बाद किन-किन मुख्य कारणों से बैंक की राय में ऋण आवेदनपत्र अस्वीकार किया गया है।

ऋण मूल्यांकन

(क) बैंक/वित्तीय संस्था यह सुनिश्चित करें कि ऋणकर्ता के ऋण आवेदनपत्र का उचित मूल्यांकन किया गया है। उन्हें मार्जिन और जमानत की शर्तों को ऋणकर्ता की ऋण पात्रता के बारे में उचित अध्यवसाय के विकल्प के रूप में नहीं लेना चाहिए।

(ख) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे ऋण-सीमा की जानकारी नियमों और शर्तों के साथ ऋणकर्ता को दें और इन नियमों और शर्तों को ऋणकर्ता की पूर्ण जानकारी में रिकॉर्ड में रखें।

(ग) ऋण देने वाली संस्थाओं और ऋणकर्ता द्वारा बातचीत के बाद बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जानेवाली ऋण सुविधाओं को शासित करने वाले नियम और शर्तें तथा अन्य आपत्ति सूचनाएं लिखित रूप में रखी जानी चाहिए और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उन्हें विधिवत् प्रमाणित किया जाना चाहिए। ऋण करार और ऋण करार में उल्लिखित सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति ऋणकर्ता को दी जानी चाहिए।

(घ) जहां तक हो सके, ऋण करार में ऐसी ऋण सुविधाओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जो पूरी तरह ऋणदाताओं के विवेक पर हैं। इनमें सुविधाओं का अनुमोदन या अनुमति न देना शामिल हो सकता है, जैसे मंजूर की गयी सीमाओं से अधिक आहरण, ऋण मंजूरी में विशेष रूप से सहमत प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए चेक का भुगतान तथा उसके अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण या मंजूरी की शर्तों का अनुपालन न किये जाने कारण ऋण खाते से आहरण की अनुमति न देना। यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कारोबार में वृद्धि के कारण ऋणकर्ताओं की और अपेक्षाओं को ऋण सीमाओं की उपयुक्त समीक्षा के बिना पूरा करने का ऋणदाता का कोई दायित्व नहीं है।

(ङ) सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण दिये जाने के मामले में, सहभागी ऋणदाताओं को ऐसी क्रियाविधि शुरू करनी चाहिए, जिससे कि प्रस्तावों का मूल्यांकन यथासंभव समयबद्ध रूप में पूरा किया जा सके तथा वित्त देने या न देने के संबंध में अपने निर्णय की सूचना उचित समय में दे देनी चाहिए।

ऋण का वितरण

बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को ऐसी मंजूरी को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अनुरूप मंजूर किये गए ऋण का समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज दरों, सेवा प्रभारों आदि सहित शर्तों में होने वाले किसी परिवर्तन की सूचना दी जानी चाहिए। बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों और प्रभारों में परिवर्तन केवल प्रत्याशित रूप से किया जाता है।

(क) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा **वितरण के बाद** पर्यवेक्षण, विशेष रूप से दो लाख रुपये तक के ऋणों के संदर्भ में, रचनात्मक होना चाहिए ताकि ऋणकर्ता के सामने आनेवाली ऋणदाता से संबंधित किसी वास्तविक कठिनाई पर ध्यान दिया जा सके।

(ख) करार के अंतर्गत ऋण वापस मांगने/भुगतान जल्दी करने या कार्य-निष्पादन में तेज़ी लाने को कहने या अतिरिक्त जमानत मांगने का निर्णय लेने के पहले ऋणदाता द्वारा ऋण करार में निर्दिष्ट किये गये अनुसार ऋणकर्ता को नोटिस दिया जाना चाहिए या ऋण करार में ऐसी शर्त न होने पर उचित समय दिया जाना चाहिए।

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे ऋण का भुगतान प्राप्त होने या ऋण की वसूली होने पर ऋणकर्ताओं को, ऋणदाताओं के खिलाफ अपने किसी अन्य दावे के लिए उचित ग्रहणाधिकार (लियन) की शर्त पर सभी जमानतें लौटा दें। क्षतिपूर्ति के ऐसे अधिकार का प्रयोग करने पर ऋणकर्ता को उन शेष दावों और दस्तावेज़ों के बारे में पूरे ब्यौरे देते हुए नोटिस दिया जाये जिनके अंतर्गत ऋणदाता, संबंधित दावे का निपटान/भुगतान होने तक जमानत रखने का हकदार है।

सामान्य

(क) बैंक/वित्तीय संस्थाओं को, ऋण मंजूरी के दस्तावेजों की शर्तों में किये गये प्रावधान को छोड़कर (जब तक ऋणकर्ता द्वारा पहले प्रकट न की गयी नयी सूचना ऋणदाता की जानकारी में आयी हो) ऋणकर्ताओं के कार्यकलाप में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

(ख) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के मामले में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तथापि, इससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनायी गयी ऋण संबद्ध योजनाओं में ऋणदाताओं के भाग लेने की रोक नहीं है।

(ग) ऋणों की वसूली के मामले में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुचित रूप से परेशान किये जाने का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए अर्थात् ऋणदाताओं को बेवक्त लगातार बल का प्रयोग आदि नहीं करना चाहिए।

(घ) यदि ऋणकर्ता या किसी बैंक/वित्तीय संस्था से, जो उसके खाते को लेनेवाली है, ऋण खाते के अंतरण के लिए अनुरोध प्राप्त हो तो सहमति या असहमति, अर्थात् यदि ऋणदाता को कोई आपत्ति हो तो, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर सूचित की जानी चाहिए।

पहली अगस्त तक शुरू की जाने वाली व्यवहार संहिता

इन दिशा-निर्देशों के आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उचित व्यवहार संहिता दिये जाने वाले सभी संभावित ऋणों के संदर्भ में पहली अगस्त 2003 तक तैयार कर ली जानी चाहिए। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह स्वतंत्रता होगी कि वे दिशा-निर्देशों की व्याप्ति बढ़ाते हुए उचित व्यवहार संहिता का प्रारूप तैयार करें परंतु किसी भी हालत में उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पीछे निहित भावना का उल्लंघन न हो। इस प्रयोजन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों को स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए।

शिकायत निवारण

निदेशक बोर्ड द्वारा इस संबंध में उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए संगठन के भीतर शिकायत निवारण का उचित तंत्र भी स्थापित करना चाहिए। इस तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण देने वाली संस्थाओं के कार्यालयों के निर्णयों के फलस्वरूप उठने वाले सभी विवादों को अगले उच्चतर स्तर पर सुना जाता है और उनको निपटाया जाता है। निदेशक बोर्डों को उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन तथा नियंत्रक कार्यालयों के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की कार्य-प्रणाली की आवधिक समीक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ऐसी समीक्षाओं की समेकित रिपोर्ट बोर्ड को, उनके द्वारा निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जाये।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू, मई 2003)

लेखकों से

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' बैंकिंग विषयों को समर्पित एकमात्र पत्रिका है जिसकी प्रतियाँ बैंकों की शाखाओं, कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, विभागों आदि को उपलब्ध करायी जाती हैं। इस प्रकार यह पत्रिका समूचे बैंकिंग क्षेत्र में पाठकों के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा पढ़ी जाती है।

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखनेवाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी ? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर सांकेतिक **मानदेय देने** की व्यवस्था है। ***कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :-***

- सामग्री ***बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों*** पर ही है।
- उसमें दी गयी जानकारी ***उपयोगी*** और ***अद्यतन*** है एवं ***अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों*** में है।
- वह कागज़ के ***एक ओर*** स्पष्ट अक्षरों में ***लिखित*** अथवा ***टंकित*** है।
- यथासंभव ***सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली*** का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं।
- यह प्रमाणित करें कि लेख ***मौलिक है,*** प्रकाशन के लिए ***अन्यत्र नहीं भेजा गया है*** और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल ***आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत*** का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि ***जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती,*** संबंधित लेख किसी ***अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।***

पाठकों से

इस पत्रिका को आप पाठकों का निरंतर स्नेह मिलता रहा है। जनवरी 2001 से इस पत्रिका को इंटरनेट पर डाल दिए जाने के बाद से हमें अपने पाठकों से इस आशय की शिकायतें मिलने लगीं कि पत्रिका का मुद्रण क्यों बंद कर दिया गया है। इस संबंध में हम अपने पाठकों को बताना चाहेंगें कि यह पत्रिका **मुद्रित रूप में अब भी उपलब्ध है और इसका प्रकाशन बंद नहीं किया गया है।** बल्कि अब इसे आप **निःशुल्क** प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखित रुप में " कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन " से अनुरोध करना होगा। आपका पत्र मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका निरंतर मिलती रहेगी। आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें।

❋ क्या आप जानते हैं ? ❋
मुद्रा का सफर

✧ भारतीय रुपये को जन्म देने का श्रेय अफगान शाासक शेरशाह सूरी को जाता है । उसने रुपये का मानकीकरण करते हुए इसे एक तोला शुद्ध चाँदी (11.5 ग्राम) का बनवाया ।

✧ भारत में कागजी मुद्रा के प्रचलन का श्रेय अंग्रेजों को है । उन्होंने सर्वप्रथम 14 अप्रैल, 1928 को नासिक में 'इंडिया सिक्युरिटी प्रेस' की स्थापना की । उससे पहले सभी कागजी नोट इंग्लैंड से छप कर भारत आते थे ।

✧ 1795 में फ्रांस की क्रांति के दौरान 'रेशमी मुद्रा' जारी की गई थी ।

✧ रेशम के थानों जैसे दिखने वाले 'चीनी सिक्कों' का प्रयोग 12वीं शताब्दी में किया जाता था और उनसे रेशम के उतने ही थान खरीदे जा सकते थे जितनी तहें उस सिक्के में होती थीं ।

✧ मिस्र में 908 से 1171 ई. तक 'शीशे के सिक्के', जो मूल्य के अनुसार अलग-अलग रंगों के होते थे, प्रयोग में लाए गए थे । माँग पर वे सिक्के सोने में बदले जा सकते थे ।

✧ 12 वीं शताब्दी में यूरोप में जारी सोने-चाँदी के सिक्के 'ब्रेकटीट' इतने पतले होते थे कि एक दर्जन सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख कर उँगलियों के दबाव से ही मोड़ा जा सकता था ।

✧ आकार में सबसे छोटा नोट रोमानिया में सन् 1917 में छापा गया था । उसका आकार 1.49 इंच लम्बा तथा 1.09 इंच चौड़ा था । 'दस बानी' मूल्य के इस नोट को रोमानिया के वित्त मंत्रालय ने जारी किया था ।

✧ आकार में सबसे बड़ा नोट चीन में 1368 ई. में छपा था । उसकी लम्बाई 1 फुट 1 इंच तथा चौड़ाई 9 इंच थी । शहतूत के पेड़ की छाल से बने कागज पर छापे गए उस एक क्वान मुद्रा वाले नोट को सन् 1368 से 1399 में चीन में मिंग शासकों के शासन के दौरान जारी किया गया था ।

✧ वर्तमान में सबसे कम कीमत का नोट इंडोनेशिया में प्रचलन में है, जो एक सैन का है। यह वहाँ के रुपए के सौवें हिस्से की कीमत का है ।

✧ अधिकतम मूल्य का एक अन्य उदाहरण 1920 में जारी किए गए जर्मनी के दो सौ बिलियन (2,00,000,000,000,000) मार्क मूल्य का नोट है जो 7 अक्तूबर, 1983 को एक नीलामी में सिर्फ 225 डालर में बिका ।

*तथ्यभारती, अक्तूबर 2002 अंक से साभार ।

इस अंक के संपादन में महाविद्यालय से सम्बद्ध संकाय सदस्य सर्वश्री डॉ. शरदकुमार एवं एस. मौर्य का योगदान रहा और राजभाषा कक्ष से सम्बद्ध गौरी करंदीकर, एम. वी. चांदनानी और बी. सी. सोनवणे का सहयोग प्राप्त हुआ । बैं प्र म का फैक्स नंबर 2430 3882

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखकों के हैं । यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय उन विचारों से सहमत हों । इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादक - मंडल

प्रबंध संपादक

सी.आर. गोपालसुंदरम

प्रधानाचार्य और मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

एन. पी. सिन्हा

प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

के. सी. चौधरी

सचिव, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

डॉ. सुरेश कुमार

उप महा प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई

श्रीमती सुलेखा मोहन

वरिष्ठ प्रबंधक,केनरा बैंक,मैसूर

एम. एस. आनंद

उप मुख्य प्रबंधक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

डॉ. श्रीनिवास द्विवेदी

मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. राजेश्वर गंगवार

महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

के. प्रसाद

उप प्रधानाचार्य, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

यू. एस. पालीवाल

महा प्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

पुष्पकुमार शर्मा

सहायक महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य-सचिव

सावित्री सिंह

प्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग

दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028.

प्रबंध संपादक, मुद्रक और प्रकाशक श्री सी. आर. गोपालसुंदरम, बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भार तीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर(पश्चिम), मुंबई - 400 028 द्वारा प्रकाशित तथा मयूर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मुंबई - 400 001 में मुद्रित ।

इंटरनेट http://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध ।

E mail : btcrajbhasha@rbi.org.in

पंजीकरण सं. 470 43/88

"यह स्मरण रखने की बात है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए आन्दोलन का श्रीगणेश हिन्दी क्षेत्र के लोगों द्वारा नहीं किया गया, वह आन्दोलन विशाल दृष्टि रखने वाले, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी द्वारा हुआ जो स्वयं अहिन्दी भाषी थे। यह शुद्ध और सहज राष्ट्रीय भावना ही थी जिसने उनको राष्ट्रीयकरण के सर्वाधिक सुलभ उपकरण के रूप में हिन्दी को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया।"

-- डॉ. सम्पूर्णानन्द